

रैपिड आईडी:

ऋण समझौता माइक्रो बिजनेस लोन

CEDIT गारंटी/असुरक्षित द्वारा सुरक्षित

ग्राहक का नाम:



एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

ऋण समझौता

यह ऋण समझौता ("समझौता") अनुसूची में उल्लिखित दिन और स्थान पर किया जाता है, जैसा कि उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता के रूप में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा और उनके बीच सामूहिक रूप से "उधारकर्ता" के रूप में संदर्भित किया जाता है। अभिव्यक्ति 'उधारकर्ता', जब तक कि यह संदर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसका अर्थ होगा और इसमें शामिल होंगे: (i) इस घटना में कि उधारकर्ता कंपनी अधिनियम के अर्थ के भीतर एक कंपनी है, 2013 या सीमित देयता भागीदारी, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत निर्गमित, इसके उत्तराधिकारी; (ii) इस घटना में कि उधारकर्ता भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के प्रयोजनों के लिए एक साझेदारी फर्म है, फिलहाल और समय-समय पर भागीदार और उनके संबंधित कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक और प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि और उत्तराधिकारी; (iii) इस घटना में कि उधारकर्ता एकमात्र स्वामित्व है, एकमात्र मालिक और उसके कानूनी उत्तराधिकारी, प्रशासक, निष्पादक और कानूनी प्रतिनिधि; (iv) इस घटना में कि उधारकर्ता एक व्यक्ति है, उसके कानूनी उत्तराधिकारी, प्रशासक और निष्पादक; (v) यदि उधारकर्ता एक संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार है, कर्ता और एचयूएफ के कोई या प्रत्येक वयस्क सदस्य और उनके उत्तरजीवी (ओं) और उसके / उसके / उसके / उनके संबंधित उत्तराधिकारियों, निष्पादक, प्रशासकों में से कोई है; (vi) इस घटना में कि उधारकर्ता एक सोसायटी है, सोसायटी के शासी निकाय के सदस्य और उस पर निर्वाचित, नियुक्त या सहयोजित कोई भी नया सदस्य; (vii) इस घटना में कि उधारकर्ता एक ट्रस्ट है, ट्रस्टी या ट्रस्टी उस समय के लिए और उनके संबंधित कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और उत्तराधिकारी; पहले भाग और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की एक लघु वित्त बैंक, जिसका पंजीकृत कार्यालय 19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर - 302001, राजस्थान में है, इसके बाद "बैंक/ऋणदाता" के रूप में जाना जाता है (जो अभिव्यक्ति जब तक कि उसके संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो तब तक इसका अर्थ होगा और इसके उत्तराधिकारियों और असाइनमेंट को शामिल करेगा)। उधारकर्ता और बैंक को इसके बाद "पक्षों" के रूप में और व्यक्तिगत रूप से "पार्टी" के रूप में संदर्भित किया जाता है।

जबकि

उधारकर्ता के अनुरोध पर, बैंक उधारकर्ता द्वारा विधिवत स्वीकार किए गए बैंक के स्वीकृति पत्र/प्रस्ताव पत्र (अनुसूची 1 में उल्लिखित भी) में उल्लिखित नियमों और शर्तों पर उधारकर्ता को अनुसूची 1 में निर्दिष्ट राशि ("ऋण राशि/सुविधा राशि") का ऋण देने के लिए सहमत हो गया है (इसके बाद "स्वीकृति पत्र" के रूप में संदर्भित किया गया है (लिखित रूप में पारस्परिक रूप से स्वीकृत संशोधनों सहित) और जैसा कि यहां उल्लेख किया गया है।

A. उधारकर्ता बैंक से उधार लेने के लिए सहमत होता है और बैंक उधारकर्ता को अनुसूची 1 ("ऋण/सुविधा") में उल्लिखित ऋण देने के लिए सहमत होता है और बैंक द्वारा ऋण/सुविधा प्रदान करने के लिए सहमत होने के विचार में, उधारकर्ता अपरिवर्तनीय रूप से सहमत होता है और बैंक को निम्नानुसार वचन देता है और पुष्टि करता है;

एक. उधारकर्ता ब्याज, एपीआर (जैसा कि नीचे संलग्न केएफएस में उल्लिखित है), प्रतिबद्धता शुल्क, दंड शुल्क और अतिदेय ईएमआई/किस्त/राशि/ऋण पर देय ब्याज का भुगतान निम्नानुसार करने के लिए सहमत है: लागू ब्याज दर स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट ब्याज और ब्याज कर के अनुसार होगी, जैसा कि समय-समय पर लागू दर हो सकती है, मासिक आराम के साथ देय, या ऐसी अन्य दर जो बैंक द्वारा निर्धारित की जा सकती है और उधारकर्ता को सलाह दी जा सकती है।

उधारकर्ता द्वारा देय ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई ब्याज दर में परिवर्तन के अधीन होगी। उधारकर्ता हर महीने (तारीख) के अंतिम दिन ब्याज दर का भुगतान करेगा जब तक कि ऋण चुकाया नहीं जाता है। यदि ब्याज तिथि पर देय रहता है, तो ब्याज मासिक रूप से चक्रवृद्धि होगा। ब्याज की गणना 365 दिन के वर्ष और बीते हुए वास्तविक दिनों के आधार पर की जाएगी। एमसीएलआर का अर्थ होगा बैंक की "निधियों की सीमांत लागत आधारित उधार दर" जैसा कि इस संबंध में आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों और बैंक की संबंधित आंतरिक नीतियों के अनुसार निर्धारित (और

संशोधित) किया गया है, जैसा कि समय-समय पर रीसेट किया गया है और बैंक द्वारा फंड आधारित उधार दर की सीमांत लागत के रूप में अधिसूचित किया गया है। बैंक ब्याज रीसेट तिथि और एमसीएलआर/बाहरी बेंच मार्क दर (ईबीआर) पर मंजूरी पत्र में निर्दिष्ट मार्जिन को रीसेट करने का हकदार होगा, जो बैंक उचित समझे। बैंक को एमसीएलआर/ईबीआर में किसी भी परिवर्तन के परिणामस्वरूप मार्जिन को रीसेट करने का भी अधिकार होगा और यदि आरबीआई बैंकिंग परिसंपत्ति या आरबीआई के लिए जोखिम भार मानदंडों को बढ़ाते हुए बैंकिंग परिसंपत्ति या आरबीआई के लिए जोखिम वेटेज मानदंडों को बढ़ाता है या उधारकर्ता या सुरक्षा प्रदाता की क्रेडिट रेटिंग में नीचे की ओर संशोधन करता है या बैंक की क्रेडिट रेटिंग में कमी की घटना या बैंक की उपस्थिति में बैंकिंग परिसंपत्ति की मानक प्रावधान आवश्यकता को संशोधित करता है तो बैंक को एमसीएलआर/ईबीआर को रीसेट करने का अधिकार भी होगा।

डिफॉल्ट की स्थिति या डिफॉल्ट की संभावित घटना या बैंक की आंतरिक समीक्षा या आरबीआई द्वारा एमसीएलआर/ईबीआर की गणना की नीति में बदलाव। एमसीएलआर/ईबीआर/मार्जिन के रीसेट होने पर, बैंक उधारकर्ता को संशोधित ब्याज दर के बारे में सूचित करेगा और उधारकर्ता ऋण राशि पर रीसेट की तारीख से संशोधित ब्याज दर का भुगतान करेगा।

1ए। उधारकर्ता स्वीकार करता है, स्वीकार करता है और पुष्टि करता है कि बैंक ऋण राशि से अग्रिम कटौती करने का हकदार होगा (संवितरण से पहले उधारकर्ता द्वारा भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में), स्वीकृति पत्र/केएफएस (केएफएस जैसा कि इसके नीचे संलग्न है) और/या ऋण राशि के संवितरण के समय ऋण से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज। बैंक उधारकर्ता की ओर से उधारकर्ता या किसी तीसरे पक्ष को शेष ऋण राशि का वितरण करेगा, जैसा भी मामला हो, और उधारकर्ता ऋण राशि को सहमत ब्याज के साथ और ऐसी तिथियों/अंतरालों पर चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा।

- दो. उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक नियत तिथि तक, जैसा भी लागू हो, ऋण/सुविधा के अनुसार बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बैंक के साथ उनके खाते में हर समय पर्याप्त ऋण शेष बनाए रखा जाए।
- तीन. उपर्युक्त ब्याज दर को हर तिमाही/छमाही/वार्षिक या ऐसी आवृत्ति पर रीसेट किया जाएगा जो बैंक उचित समझे।
- चार. ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों, सांविधिक और विनियामक आवश्यकताओं, मुद्रा बाजार की शर्तों, ऋण योग्य निधियों की उपलब्धता आदि के अनुरूप भिन्नता के अधीन है।
- पाँच. उधारकर्ता को बैंक को स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट प्रतिबद्धता शुल्क का भी भुगतान करना होगा। ऋण/सुविधा (या उसके किसी भी हिस्से) को ऋणदाता / बैंक द्वारा उधारकर्ता से ड्रॉडाउन अनुरोध प्राप्त होने पर वितरित किया जा सकता है।

संपूर्ण ऋण/सुविधा का लाभ ऋण स्वीकृति की तारीख से महीनों की संख्या के भीतर लिया जाना चाहिए, जैसा कि स्वीकृति पत्र ("उपलब्धता अवधि") में निर्दिष्ट है। ड्रॉ करने का उधारकर्ता का अधिकार उपलब्धता अवधि ("ड्रॉडाउन समाप्ति तिथि") के अंत में समाप्त हो जाएगा। हालांकि, स्वीकृत ऋण/सुविधा को ऋणदाता/बैंक के विवेकाधिकार पर ऋणदाता/बैंक के विवेकाधिकार पर इतनी दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए खुला रखा जा सकता है।

उपलब्धता अवधि जो बैंक/ऋणदाता उचित समझे।

यदि ऋण/सुविधा उधारकर्ता द्वारा उपलब्धता अवधि के भीतर पूरी तरह से नहीं लिया जाता है, तो बैंक दंड लगाने का हकदार होगा, यदि कोई हो, जैसा कि स्वीकृति पत्र में उल्लेख किया गया है। संवितरण का तरीका और तरीका ऋणदाता/बैंक के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया

जाता है। उधारकर्ता या उधारकर्ता की ओर से किसी तीसरे पक्ष के पक्ष में सभी संवितरण इस समझौते के तहत उधारकर्ता के पक्ष में किए गए माने जाएंगे, जिसे उधारकर्ता उन पर बाध्यकारी होने की बात स्वीकार करता है।

छ. उधारकर्ता बैंक को बैंक या उसके किसी भी सहयोगी द्वारा किए गए किसी भी बढ़ी हुई लागत की राशि का भुगतान करने के लिए सहमत होता है, जिसके परिणामस्वरूप

१. किसी भी कानून या विनियम की व्याख्या, प्रशासन या अनुप्रयोग में कोई परिवर्तन, या कोई परिवर्तन; या
२. स्वीकृति पत्र की तारीख के बाद प्रभावी बनाए गए किसी भी कानून या विनियम का अनुपालन। बशर्ते कि उधारकर्ता बढ़ी हुई लागत के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा यदि:
 १. बढ़ी हुई लागत की भरपाई इस समझौते के एक अन्य खंड के तहत की जाती है या उस खंड के अपवाद के लिए होती थी।
 २. बढ़ी हुई लागत बैंक या उसके सहयोगियों के कारण जानबूझकर किसी भी कानून या विनियम का पालन करने में विफल रहती है।

इस समझौते में "बढ़ी हुई लागत" का अर्थ होगा (ए) एक अतिरिक्त या बढ़ी हुई लागत (बी) ऋण से या बैंक की (या इसके सहयोगी) समग्र पूंजी पर वापसी की दर में कमी (सहित, बिना किसी सीमा के, बैंक या उसके सहयोगियों में से किसी एक द्वारा आवंटित की जाने वाली अधिक पूंजी द्वारा लाई गई पूंजी पर वापसी की दर में किसी भी कमी के परिणामस्वरूप या (सी) देय राशि में कमी और इस समझौते के तहत देय है।

सात. भुगतान के लिए डिफॉल्ट रूप से सभी राशियां (यानी ऋणदाता द्वारा भुगतान नहीं की गई जब ऋणदाता को देय है) जिसमें ईएमआई का बकाया, किस्त, ईएमआई शुरू होने से पहले ब्याज, लागत, शुल्क और ऋण खाते में डेबिट किए गए खर्च और/या उधारकर्ता द्वारा समझौते के नियमों और शर्तों का उल्लंघन शामिल है, यहां अनुसूची II में निर्दिष्ट दर पर दंडात्मक शुल्क लगेगा। इस तरह के दंडात्मक शुल्क का भुगतान उधारकर्ता द्वारा इस तरह के भुगतान डिफॉल्ट और/या नियमों और शर्तों के उल्लंघन की तारीख से किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, जब तक कि पूरी डिफॉल्ट राशि का भुगतान नहीं किया जाता है और/या उल्लंघन ठीक नहीं हो जाता है। ऋण/सुविधा का परिशोधन यदि बैंक द्वारा पहले नहीं किया गया है, जैसा कि बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है और तदनुसार और इसके अधीन पुनर्भुगतान अनुसूची के नियम और शर्तों के अधीन है। ईएमआई के लिए अनुसूची I में निर्दिष्ट पुनर्भुगतान लिखत (पंजीकृत पुनर्भुगतान मोड के अनुसार) अनुसूची I में निर्दिष्ट ईएमआई प्रस्तुति तिथि पर प्रस्तुत किए जाएंगे।

किसी भी शुल्क से बचने के लिए उधारकर्ता को अपने बैंक खाते में पर्याप्त शेष राशि रखनी होगी। ऐसी पुनर्भुगतान देय तिथि के बाद उधारकर्ता द्वारा ईएमआई/किस्त/राशि और/या ब्याज और/या किसी अन्य पुनर्भुगतान के पुनर्भुगतान में देरी पर, ऋणदाता दंडात्मक शुल्क के अलावा, ऋणदाता बकाया पूरी राशि पर ऋण/सुविधा की ब्याज दर के बराबर ब्याज लेने का हकदार होगा, चाहे वह ईएमआई/किस्त/राशि और/या ब्याज और/या किसी अन्य पुनर्भुगतान के कारण हो। पुनर्भुगतान में डिफॉल्ट जारी है।

आठ. उधारकर्ता सभी लागतों, शुल्कों, ब्याज, परिसमापन क्षति और व्यय और अन्य सभी धनराशियों के साथ ऋण राशि/सुविधा राशि को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो भी देय है और

नौ. उधारकर्ता द्वारा बैंक को देय ("द सफाईड

बकाया"), फॉर्म में बैंक के पक्ष में अपनी संपत्ति ("सुरक्षा") पर प्रतिभूतियों का निर्माण करके और ऐसे दस्तावेजों को निष्पादित करके, जैसा कि स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट है।

- दस. ऋण/सुविधा के ब्याज के साथ मूलधन का भुगतान स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा। बशर्ते कि बैंक ऋण राशि/सुविधा राशि के तत्काल पुनर्भुगतान की मांग करने का हकदार होगा यदि ब्याज/ऋण/सुविधा किस्तों की कोई किस्त उसके भुगतान की नियत तारीख को भुगतान नहीं की जाती है।
- ग्यारह. उधारकर्ता इसके द्वारा वारंट, आश्वासन देता है, प्रतिनिधित्व करता है और पुष्टि करता है कि
- (अ) उधारकर्ता, यदि यह एक कंपनी है, तो विधिवत निगमित है और निगमन के अपने अधिकार क्षेत्र के कानून के तहत वैध रूप से मौजूद है जो इसके व्यवसाय और संचालन को प्रभावित करता है।
- (आ) उधारकर्ता द्वारा बैंक को प्रदान की गई सभी जानकारी सभी मामलों में सत्य और सटीक है, भ्रामक नहीं है और किसी भी भौतिक तथ्य को नहीं छोड़ती है, जिसकी चूक किसी भी तथ्य या कथन को भ्रामक बना देगी
- (इ) अपने व्यवसाय या उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक सभी लाइसेंस, परमिट और प्राधिकरण प्राप्त कर लिए गए हैं और पूरी तरह से लागू और प्रभावी हैं
- (ई) उधारकर्ता सभी लागू कानूनों के अनुपालन में है, जिसमें पर्यावरण कानून, और इसकी संपत्ति, उसके व्यवसाय और संचालन को प्रभावित करने वाले नियम शामिल हैं और उसके पास अच्छा शीर्षक या वैध पट्टे या लाइसेंस हैं, या अन्यथा अपनी संपत्ति का उपयोग करने का हकदार है
- (उ) उधारकर्ता के पास बैंक से ऋण/सुविधा प्राप्त करने की शक्ति है और ऋण/सुविधा सहित कुल उधार निर्धारित सीमा, यदि कोई हो, के भीतर है
- (ऊ) उधारकर्ता के पास इस समझौते की शर्तों और प्रावधानों को निष्पादित करने, वितरित करने और निष्पादित करने की शक्ति और अधिकार है और उसने इस समझौते के निष्पादन, वितरण और प्रदर्शन को अधिकृत करने के लिए आवश्यक सभी आवश्यक कार्रवाई की है और निष्पादन पर, यह समझौता उधारकर्ता के कानूनी, वैध और बाध्यकारी दायित्वों का गठन करेगा जो उनके अनुसार लागू करने योग्य है संबंधित शर्तें
- (ऋ) उधारकर्ता द्वारा प्रवेश, वितरण और प्रदर्शन, और इस समझौते द्वारा विचार किए गए लेनदेन किसी भी लागू कानून के साथ संघर्ष नहीं करते हैं और न ही किसी भी लागू कानून के साथ संघर्ष करेंगे, यदि कोई हो, उधारकर्ता के; या किसी भी समझौते या साधन के साथ जो उधारकर्ता या उसकी किसी भी संपत्ति पर बाध्यकारी है
- (ल) कोई भी डिफॉल्ट भरण-पोषण नहीं कर रहा है या ऋण/सुविधा के निष्पादन या लाभ उठाने के परिणामस्वरूप हो सकता है के तहत यह करारनामा द्वारा उधारकर्ता
- (एँ) उधारकर्ता के सबसे हाल ही में लेखापरीक्षित खातों का विधिवत लेखापरीक्षण किया गया है और लागू लेखांकन सिद्धांतों और प्रथाओं के अनुसार तैयार किया गया है और इसकी वित्तीय स्थिति के बारे में एक सच्चे और निष्पक्ष दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है और जिस

तारीख को उन खातों को तैयार किया गया था, उस तारीख से कोई भौतिक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है

- (ऐ) सभी कर और अनुपालन रिपोर्ट समय पर दायर कर दी गई हैं और कोई दावा लंबित नहीं है
- (ए) मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संदर्भ में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्पादन या उपभोग से संबंधित किसी भी गतिविधि के लिए ऋण/सुविधा का लाभ नहीं लिया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार एक पक्षकार है
- (ऐ) कोई भी उधारकर्ता और उसके प्रमोटर, निदेशक और भागीदार, सहयोगी, सहायक कंपनियां या सहयोगी कंपनियां या समूह कंपनियां डिफॉल्ट में नहीं हैं या भारतीय रिजर्व बैंक के डिफॉल्टर्स (विलफुल डिफॉल्टर्स सहित) की किसी भी सूची में शामिल नहीं हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ किसी भी समझौते का उल्लंघन नहीं किया है जिसने उधारकर्ता या किसी नियामक या वैधानिक प्राधिकरण को ऋण या जमा या अग्रिम या गारंटी या अन्य वित्तीय सुविधाएं प्रदान की हैं
- (ऑ) उधारकर्ता या उसके प्रमोटर, निदेशकों, उधारकर्ता या उसकी किसी भी संपत्ति के प्रबंधन में भागीदारों के खिलाफ किसी भी प्रकृति की कोई कानूनी या अन्य प्रतिकूल कार्यवाही लंबित नहीं है, जिसका भौतिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है
- (ओ) वहाँ हैं नहीं भार ऊपर द प्रतिभूति, बचत और बैंक द्वारा अनुमति के अलावा और उधारकर्ता इसके बाद बैंक की अनुमति के बिना ऐसी प्रतिभूति को भारत नहीं करेगा और यह कि उधारकर्ता के पास ऐसी प्रतिभूति पर एक स्पष्ट और विपणन योग्य शीर्षक / स्पष्ट और हस्तांतरणीय ब्याज है और बैंक को यह आश्वासन देता है कि यह किसी भी पूर्व प्रभार, ग्रहणाधिकार या ऋण से मुक्त है
- (ओ) का उद्देश्य और व्यवसाय उधारकर्ता कानूनी और नियामक रूप से वैध है
- (औ) उधारकर्ता या उसकी किसी भी संपत्ति के लिए परिसमापन के संबंध में कोई नोटिस नहीं दिया गया है या उधारकर्ता को दिवालियापन में रखा जाना चाहिए; उधारकर्ता के समापन के लिए एक प्रस्ताव या इस तरह के प्रस्ताव को पारित करने के लिए किसी भी प्रस्ताव या आशंका का पारित करना; लेनदारों के साथ व्यवस्था, समामेलन या पुनर्निर्माण या संरचना की एक योजना उधारकर्ता या उधारकर्ता की किसी भी संपत्ति के संबंध में एक संरक्षक रिसीवर, परिसमापक या प्रबंधक को जब्त करने, कुर्क करने, कब्जा लेने या नियुक्त करने के लिए कोई कार्रवाई करना या उधारकर्ता की किसी भी संपत्ति को जब्त करना, कुर्क करना, कब्जा लेना या नियुक्त करना
- (अं) उधारकर्ता ने किसी भी वित्तीय सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ किए गए किसी भी समझौते के तहत कोई उल्लंघन नहीं किया है।
- (अः) उधारकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उधारकर्ता के खाते में डेबिट किए गए सभी ब्याज/शुल्क/प्रभारों का भुगतान उनकी संबंधित नियत तारीख पर कर दिया जाए।
- (अअ) उधारकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस समझौते के तहत किसी भी अधिकार, लाभ या दायित्वों को प्रत्यक्ष या

अप्रत्यक्ष रूप से असाइन करने/प्रतिभूतिकरण करने या किसी भी तरह से हस्तांतरण करने का हकदार नहीं होगा।

(आआ) तीसरे पक्ष की नियुक्ति/वसूली

एजेंट: बैंक, अपने विवेकाधिकार में, समझौते के तहत अपने किसी भी अधिकार, कार्य, शक्तियों या कर्तव्यों का प्रयोग या निर्वहन कर सकता है, या तो स्वयं (अपने अधिकारियों या कर्मचारियों के माध्यम से) या अपने नियुक्त तृतीय पक्षों (वसूली एजेंटों सहित) के माध्यम से। उधारकर्ता बैंक को इस बात की पुष्टि करता है और स्पष्ट रूप से सहमति देता है कि चूक की घटना होने पर, बैंक या तो स्वयं (अपने अधिकारियों या कर्मचारियों के माध्यम से) या अपने नियुक्त तृतीय पक्षों (वसूली एजेंटों सहित) के माध्यम से, उधारकर्ता और गारंटर द्वारा बैंक को प्रदान किए गए संपर्क विवरण का उपयोग उधारकर्ता/गारंटर से संपर्क करने के लिए करता है, जिसमें उनके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/प्रतिनिधि और परिवार के सदस्य शामिल हैं और उन्हें ऋण से संबंधित प्रासंगिक विवरण का खुलासा करना शामिल है।

बारह. जहां उधारकर्ता एक व्यक्ति है, वह एक निदेशक या किसी बैंकिंग कंपनी के निदेशक के निकट संबंध नहीं है; जहां उधारकर्ता एक है

साझेदारी फर्म/एचयूएफ एचयूएफ के भागीदारों या सदस्यों में से कोई भी बैंकिंग कंपनी के निदेशक का निदेशक या निर्दिष्ट निकट संबंध नहीं है; जहां उधारकर्ता एक संयुक्त स्टॉक कंपनी है, उसका कोई भी निदेशक है, एक बैंकिंग कंपनी के निदेशक का निदेशक या निर्दिष्ट निकट संबंध है।

तेरह. जहां उधारकर्ता एक व्यक्ति है, वह बैंक के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी के साथ निर्दिष्ट निकट संबंध नहीं है; जहां उधारकर्ता एक साझेदारी फर्म/एचयूएफ है, एचयूएफ के भागीदारों या सदस्यों में से कोई भी बैंक के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी का निर्दिष्ट निकट संबंध नहीं है; जहां उधारकर्ता एक संयुक्त स्टॉक कंपनी है, उसका कोई भी निदेशक बैंक के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी का निर्दिष्ट निकट संबंध नहीं है।

चौदह. इसकी किसी भी सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी या समूह की कंपनियों की पहचान नहीं की गई है और न ही उसे डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

पंद्रह. उधारकर्ता आवश्यक वचन पत्र और ऐसे आगे के दस्तावेजों, प्रपत्रों और कागजात को निष्पादित करेगा जिनकी बैंक समय-समय पर अपने विवेक से आवश्यकता कर सकता है। उपर्युक्त अभ्यावेदनों में से प्रत्येक तब तक सही और अनुपालन किया जाएगा जब तक ऋण/सुविधा और/या कोई राशि यानी उसके तहत उक्त बकाया बकाया बकाया रहेगा।

सोलह. उधारकर्ता ऋण/सुविधा की मुद्रा के दौरान, अपनी लागत पर, ऐसे जोखिमों के खिलाफ और ऐसी राशियों के लिए और ऐसी अवधि और प्रपत्रों के लिए प्रतिभूति को पूरी तरह से बीमित रखेगा, जिसकी बैंक और उधारकर्ता के संयुक्त नाम पर या सामान्य बैंक प्रतिभूति खंड के साथ बैंक की आवश्यकता हो सकती है, किसी भी बीमा कंपनी के साथ और बीमा पॉलिसियों और सभी कवर नोट, प्रीमियम रसीदें आदि बैंक द्वारा उसे दिए गए ऋण/सुविधा के खिलाफ बैंक के पास जमा करेगा।

उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि उपरोक्त बीमा के अलावा वह किसी भी कारण से उत्पादन बंद होने की स्थिति में स्थायी शुल्क और व्यवसाय में हानि या लाभ के संबंध में बीमा कवर की व्यवस्था करेगा। उधारकर्ता सभी प्रीमियम का समयनिष्ठ भुगतान करेगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या नहीं करेगा जो ऐसे बीमाओं को अमान्य कर

सकता है और उक्त पॉलिसियों के तहत किसी भी धन की प्राप्ति पर, बैंक को उसका भुगतान करेगा, जो बैंक के विकल्प पर, या तो प्रतिभूति को बहाल करने या बदलने या उक्त देय राशि के पुनर्भुगतान में लागू किया जाएगा। यदि उधारकर्ता उपरोक्त के अनुसार सभी/किसी भी प्रतिभूति का बीमा करने या बीमित रखने में विफल रहता है, तो बैंक इसके तहत अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना या प्रभावित किए बिना, बीमा करने और उसी बीमित व्यक्ति को रखने के लिए स्वतंत्र होगा (लेकिन बाध्य नहीं) और उधारकर्ता मांग पर बैंक को ऐसा करने में बैंक द्वारा खर्च की गई या खर्च की गई सभी राशि का भुगतान करेगा, ऋण/सुविधा के लिए पूर्वोक्त ब्याज के साथ।

सत्रह. उधारकर्ता बैंक के प्रतिनिधियों और/या नामांकित व्यक्तियों को समय-समय पर उस परियोजना का दौरा करने और निरीक्षण करने की अनुमति देगा जिसके लिए ऋण/सुविधा मांगी गई है या उधारकर्ता के परिसर, कारखानों और अन्य संपत्ति, यदि कोई हो, और संपत्ति खातों की पुस्तकें और अन्य सभी प्रासंगिक खाते, दस्तावेज और रिकॉर्ड। इस तरह के दौरों और/या निरीक्षणों की लागत और व्यय का भुगतान उधारकर्ता द्वारा किया जाएगा और वहन किया जाएगा।

अठारह. यदि किसी भी समय बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट मार्जिन आवश्यकता में कमी पैदा करने के लिए प्रतिभूति का मूल्य बिगड़ जाता है, यदि कोई हो, तो उधारकर्ता बैंक से नोटिस मिलने के सात दिनों के भीतर, नकदी या ऐसी अन्य प्रतिभूतियों के रूप में बैंक के पास अतिरिक्त सुरक्षा जमा करेगा जो बैंक को स्वीकार्य हो सकती हैं, ऐसा न करने पर, बैंक अपने विवेक से उक्त प्रतिभूति में से किसी भी या सभी को बेच सकता है या अन्यथा निपटा सकता है, बिना किसी हानि या क्षति या मूल्य में कमी के लिए उत्तरदायी हुए।

उत्तीस. उधारकर्ता एतद्वारा सहमत होता है, वचन देता है और पुष्टि करता है कि वह बैंक पुनर्भुगतान लिखतों को वितरित करेगा, जो विशेष रूप से स्वीकृति पत्र/अनुसूची 1 में वर्णित है, बकाया दायित्वों के भुगतान के साथ-साथ बैंक के साथ ब्याज के साथ जिसमें भुगतानकर्ता के रूप में नामित है।

बीस. उधारकर्ता ने आगे अनुबंधों को निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:

१. ऋण/सुविधा की शर्तों का अनुपालन करने के लिए समय-समय पर बैंक को ऐसी सभी जानकारी, विवरण, विवरण, विवरण, अनुमान और रिपोर्ट आदि प्रस्तुत करना जिसकी बैंक को आवश्यकता हो सकती है।

२. बैंक को संतोषजनक रूप और विवरण में, प्रत्येक अर्ध-वार्षिक अवधि की समाप्ति के 60 (साठ) दिनों के भीतर उधारकर्ता के अलेखापरीक्षित अर्धवार्षिक आय विवरण और लेखापरीक्षित की प्रतियां भी प्रस्तुत करेगा

प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर तुलन-पत्र और लाभ और हानि खाते (विस्तार से और संक्षिप्त रूप में नहीं) सहित वित्तीय विवरण;

३. विलय, समामेलन की किसी भी योजना में प्रवेश नहीं करना, समझौता या बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना पुनर्निर्माण;

४. उधारकर्ता के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं देना है, जिससे बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना उधारकर्ता का प्रभावी लाभकारी स्वामित्व या नियंत्रण बदल जाएगा;

५. व्यवसाय के प्रबंधन में किसी भी भौतिक परिवर्तन को प्रभावित नहीं करने के लिए उधारकर्ता, बैंक की किसी पूर्व लिखित सहमति के बिना;

६. (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना उधारकर्ता का मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन;

७. बैंक की पूर्व लिखित सहमति को छोड़कर, लंबी अवधि की प्रकृति की किसी भी और ऋणग्रस्तता को बनाने, ग्रहण करने या खर्च करने के लिए नहीं, चाहे उधार लिए गए धन के लिए या अन्यथा;
८. यदि मूलधन या ब्याज के लिए कोई किस्त उसकी नियत तारीख पर भुगतान नहीं की जाती है तो किसी भी लाभांश की घोषणा नहीं करनी चाहिए।
९. किसी ऐसे व्यक्ति को शामिल नहीं करना जो किसी कंपनी के बोर्ड में निदेशक है, जिसे एक विलफुल डिफॉल्टर के रूप में पहचाना गया है और यदि ऐसा व्यक्ति उधारकर्ता के बोर्ड में पाया जाता है, तो उधारकर्ता उस व्यक्ति को निदेशक मंडल से हटाने के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाएगा।
१०. ऋण/सुविधा की आय का उपयोग उधारकर्ता द्वारा शेयरों, डिबेंचरों, अग्रिमों और अन्य कंपनियों (सहायक और अन्य समूह कंपनियों सहित) को अंतर-कॉर्पोरेट ऋण/जमाराशियों में निवेश के लिए नहीं किया जाना है।
११. उधारकर्ता स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है और स्वीकार करता है कि ऋण/सुविधा प्रदान करने पर बैंक पूर्ण रूप से हकदार होगा, और उसके पास किसी भी तरीके से, पूर्ण या आंशिक रूप से, और इस तरह से और ऐसी शर्तों पर जो बैंक निर्णय ले सकता है, बेचने, आवंटित करने या अन्यथा हस्तांतरित करने की पूरी शक्ति और अधिकार होगा। क्रेता, समनुदेशिनी या अंतरिनी की ओर से उधारकर्ता उधारकर्ता की कोई या सभी बकाया स्थितियां और बकाया, बैंक की पसंद के किसी भी तीसरे पक्ष को, उधारकर्ता को बिना किसी और संदर्भ या सूचना या सूचना के, और उधारकर्ता की कोई सहमति मांगे बिना। ऐसी कोई भी कार्रवाई और इस तरह की कोई भी बिक्री, असाइनमेंट या हस्तांतरण उधारकर्ता को ऐसे तीसरे पक्ष को लेनदार के रूप में विशेष रूप से या बैंक या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त लेनदार के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य करेगा, जैसा भी मामला हो। इस संबंध में कोई भी लागत, चाहे इस तरह की बिक्री, असाइनमेंट या हस्तांतरण या अधिकारों के प्रवर्तन और उक्त बकाया राशि की वसूली के कारण हो, उधारकर्ता के खाते में होगी।
१२. उधारकर्ता बैंक के पक्ष में उधारकर्ता द्वारा बनाई गई ऋण/सुविधा और/या सुरक्षा के संबंध में उधारकर्ता द्वारा निष्पादित दस्तावेजों पर स्टॉप ड्यूटी में किसी भी कमी को पूरा करने की सभी लागतों को वहन करेगा।
१३. उधारकर्ता बैंक को अपनी पुस्तकों और अभिलेखों और गिरवी रखे गए परिसर, यदि कोई हो, और बैंक को हाइपोथेक किए गए सामान का ऑडिट और निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
१४. उधारकर्ता घोषणा करता है कि: मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि मैं/हमने पुनर्भुगतान सौंप दिया है और द
 ऋणदाता से लिए गए ऋण/सुविधा के लिए प्रतिभूति के रूप में या ऊपर निर्दिष्ट बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए ईएमआई का पुनर्भुगतान और यह कि सभी पुनर्भुगतान लिखत "एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड" के पक्ष में लिए गए थे।
 मैं/हम एतद्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से परक्राम्य के प्रावधानों के अनुसार ऋणदाता के अधिकार को अधिकृत और पुष्टि करते हैं
 उक्त पुनर्भुगतान लिखतों पर तारीख और राशि भरने के लिए और सभी मामलों में पुनर्भुगतान लिखतों को पूरा करने और भुगतान के लिए इसे प्रस्तुत करने के लिए लिखत अधिनियम ("अधिनियम") है। मैं/हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भुगतान के लिए प्रस्तुति पर उक्त पुनर्भुगतान लिखतों का सम्मान किया जाए। मैं/हम सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि मैं/हमने उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को देय कानूनी ऋण के निर्वहन में स्वेच्छा से पुनर्भुगतान लिखत

जारी किए हैं। मैं/हम सहमत हैं, स्वीकार करते हैं और पुष्टि करते हैं कि

पुनर्भुगतान लिखतों का उपयोग ऋणदाता द्वारा उक्त ऋण/सुविधा के खिलाफ सुरक्षा के रूप में किया जाना है और उधारकर्ता द्वारा किसी भी चूक या सुविधा की किसी भी अवधि के उल्लंघन के मामले में अतिदेय ईएमआई/किस्त/राशि/ब्याज, यदि कोई हो, पर दंडात्मक शुल्क और ब्याज के साथ उधारकर्ता से उक्त बकाया राशि की वसूली के लिए इसे लागू करना है। मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि मैं/हम इस तथ्य से अवगत हैं कि मेरे द्वारा जारी किए गए और ऋणदाता द्वारा भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए किसी भी पुनर्भुगतान लिखत का कोई भी अनादर, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के प्रावधानों के तहत एक अपराध का गठन करेगा और ऋणदाता मुझे/हमारे खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर सकता है जैसा कि सलाह दी जा सकती है। मेरे द्वारा जारी किए गए पुनर्भुगतान लिखतों के समाप्त होने से पहले, मैं/हम ऋणदाता को नए पुनर्भुगतान लिखत जारी करेंगे, और ऐसे लिखत इस समझौते के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे। उधारकर्ता को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, जो किसी भी तरह से, ऋणदाता को उसके तहत भुगतान को प्रभावित करता है या प्रभावित करने की संभावना है, जिसमें बिना किसी सीमा के, भुगतान रोकने के निर्देश शामिल हैं। इस घटना में कि अपने संबंधित बैंक खातों (खातों) के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं में कोई परिवर्तन होता है, उधारकर्ता या तो उस बैंक को बिना शर्त और अपरिवर्तनीय निर्देश देगा जिस पर पुनर्भुगतान किया गया है

परिवर्तन से पहले प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के हस्ताक्षर वाले ऐसे सभी पुनर्भुगतान लिखतों (जिनका विवरण ऋणदाता को प्रदान किया जाएगा) को स्पष्ट करने और सम्मानित करने के लिए उपकरण तैयार किए गए हैं या, वैकल्पिक रूप से, उधारकर्ता ऋणदाता को नए पुनर्भुगतान लिखत जारी करेगा या नए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नए पुनर्भुगतान लिखत प्रस्तुत करेगा, जैसा भी मामला हो। जबकि ऋणदाता द्वारा पुनर्भुगतान लिखतों की सुरक्षित धारण सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और उन्हें एजेंटों, कूरियर एजेंसियों, संवाददाता बैंकों (बैंकों) के माध्यम से उठाया जाएगा, संसाधित किया जाएगा और मंजूरी दी जाएगी, यह पूरी तरह से मेरे जोखिम और लागत पर होगा। इस घटना में मेरे / हमारे द्वारा ऊपर जारी किए गए किसी भी पुनर्भुगतान उपकरण पारगमन में खो जाते हैं या गुम हो जाते हैं या किसी भी कारण से, मैं/हम इस संबंध में ऋणदाता से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर तुरंत ऋणदाता को पुनर्भुगतान लिखत का प्रतिस्थापन देने के लिए सहमत हैं। यदि मैं/हम ऋणदाता को दिए गए पुनर्भुगतान लिखतों को रद्द कर देते हैं या संबंधित बैंक खाते को बंद कर देते हैं या संबंधित बैंक खाते के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को बदलते हैं या ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना पुनर्भुगतान लिखत को रद्द करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे कार्यों को ऋणदाता को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के आपराधिक इरादे से किया गया माना जाएगा और आगे इसे डिफॉल्ट और ऋणदाता की घटना के रूप में माना जाएगा लागू कानून (कानूनों) के तहत ऋणदाता के अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मुझे/हमारे और उधारकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही सहित उचित कानूनी कार्यवाही शुरू करने का हकदार होगा।

इक्कीस. उधारकर्ता स्पष्ट रूप से पहचानता है और स्वीकार करता है कि बैंक, स्वयं या अपने अधिकारी या सेवकों के माध्यम से ऐसी गतिविधियों

को करने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पूरी तरह से हकदार होगा और उसके पास बैंक की पसंद के एक या अधिक तीसरे पक्ष को नियुक्त करने और ऐसे तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने और प्रत्यायोजित करने का अधिकार और अधिकार बैंक की ओर से इसके तहत सभी राशियों को एकत्र करने और सभी को निष्पादित करने और निष्पादित करने का अधिकार होगा। मांग-पत्र के नोटिस भेजना, उधारकर्ता के निवास या कार्यालय में उपस्थित होना या अन्यथा उधारकर्ता से संपर्क करना, बैंक के नाम पर पुनर्भुगतान लिखतों के माध्यम से किश्तें प्राप्त करना, उधारकर्ता के साथ समझौता करना, एक वैध रसीद देना और उधारकर्ता को प्रभावी निर्वहन प्रदान करना और आम तौर पर सभी वैध कृत्यों को करना जैसे कि तीसरे पक्ष इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त समझ सकते हैं। पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए या बैंक के विवेक पर किसी अन्य प्रयोजन के लिए, बैंक ऐसे तीसरे पक्ष को उधारकर्ताओं और ऋण से संबंधित सभी आवश्यक या प्रासंगिक जानकारी का खुलासा करने का हकदार होगा, और उधारकर्ता एतद्वारा बैंक द्वारा इस तरह के प्रकटीकरण के लिए सहमति देते हैं। उपरोक्त के बावजूद, उधारकर्ता स्पष्ट रूप से बैंक को स्वीकार करते हैं और अधिकृत करते हैं (उधारकर्ताओं और ऋण से संबंधित तीसरे पक्ष की जानकारी का खुलासा करने के लिए और उधारकर्ता इसके द्वारा बैंक द्वारा इस तरह के प्रकटीकरण के लिए सहमति देते हैं।

बाईस. उधारकर्ता मांग पर किसी भी अन्य प्रतिभूति को ऐसे रूप और मूल्य में प्रस्तुत करेगा जो बैंक की राय में बैंक की राय में हर समय पर्याप्त मात्रा और मूल्यों में हो सकता है ताकि यहां प्रदान किए गए ऋण/सुविधा के भुगतान को सुरक्षित किया जा सके और बैंक के प्रति उधारकर्ता के किसी भी अन्य दायित्व।

तेईस. उधारकर्ता पुष्टि करता है कि उधारकर्ता उक्त ऋण/सुविधा का उपयोग केवल अपने व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए करेगा जैसा कि ऋण/सुविधा के लिए उसके आवेदन में निर्धारित किया गया है।

चौबीस. यदि उधारकर्ता बैंक को देय किसी भी राशि का भुगतान करने में विफल रहता है और बैंक ऐसी राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू करेगा, तो उधारकर्ता इस समझौते द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय का प्रयोग करने में बैंक द्वारा किए गए या भुगतान किए गए कानूनी शुल्क सहित सभी लागतों और खर्चों का भुगतान करेगा।

पच्चीस. उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि उक्त प्रतिभूति (यदि कोई हो) में कोई वृद्धि और उक्त प्रतिभूति या उसके किसी भी हिस्से के संबंध में समय-समय पर होने वाले अन्य लाभों को भी उधारकर्ता द्वारा बैंक के साथ परिकल्पित/गिरवी रखा जाएगा।

छब्बीस. उधारकर्ता बैंक हस्तांतरण की पूर्व लिखित सहमति के बिना या ऋण/सुविधा को सुरक्षित करने के लिए बैंक को प्रभारित किसी भी प्रतिभूति पर किसी भी तरह से कोई प्रभार, ग्रहणाधिकार, हाइपोथिकेशन, गिरवी या अन्य भार बनाने की अनुमति नहीं देगा।

सत्ताईस. इस समझौते द्वारा बैंक को दिए गए अधिकार, उपचार और शक्तियां किसी अन्य सुरक्षा, कानून या कानून के शासन के आधार पर बैंक को दी गई सभी अधिकार शक्तियों और उपचारों के अतिरिक्त होंगी। बैंक बैंक के प्रति उधारकर्ता के किसी भी दायित्व के संबंध में सूचना के साथ या बिना किसी सूचना के बैंक के ग्रहणाधिकार या सेट-ऑफ के अधिकार का प्रयोग उसी तरह कर सकता है जैसे कि दायित्व असुरक्षित था और बैंक के कब्जे या अभिरक्षा में उधारकर्ता के सभी धन, संपत्ति, यदि कोई हो, या प्रतिभूतियों पर ग्रहणाधिकार होगा, चाहे वह सुरक्षित रखने के लिए हो या अन्यथा। किसी भी कमी के मामले में, घाटे की राशि उधारकर्ता से वसूल की जा सकती है। इस संबंध में, उधारकर्ता अनुलग्नक 1 और/या किसी अन्य दस्तावेज को निष्पादित करेगा जैसा कि ऋणदाता आवश्यक समझे।

अठ्ठाईस. उधारकर्ता पुष्टि करता है कि ऋणदाता किसी भी समय, उधारकर्ता की किसी भी सहमति या नोटिस के बिना, इस समझौते या अन्य ऋण दस्तावेजों के तहत ऋणदाता के अधिकार और दायित्वों के सभी या

किसी भी हिस्से को किसी भी व्यक्ति को और इस तरह से और ऐसी शर्तों पर स्थानांतरित करने का हकदार होगा जो ऋणदाता तय कर सकता है। और इस तरह की कोई भी बिक्री, असाइनमेंट, नवीनीकरण, प्रतिभूतिकरण या हस्तांतरण निर्णायक रूप से उधारकर्ता को बाध्य करेगा।

उत्तीस. उधारकर्ता पुष्टि करता है कि ऋणदाता, पूरी तरह से और बिना शर्त इस समझौते के निर्वह के दौरान किसी भी समय सुविधा के किसी भी अप्राप्त/अलाभित/अप्रयुक्त हिस्से (पूरे या आंशिक रूप से) को कम कर सकता है, रद्द कर सकता है और/या संशोधित कर सकता है, अपने विवेकाधिकार पर, उधारकर्ता (ओं) को कोई पूर्व सूचना दिए बिना या उसके कोई कारण बताए बिना। ऋणदाता इस समझौते के तहत उधारकर्ता द्वारा देय ब्याज, शुल्क, लागत, शुल्क और व्यय और अन्य सभी राशियों के साथ सुविधा की किसी भी संवितरित राशि को वापस लेने का भी हकदार होगा।

इस तरह के किसी भी रद्दीकरण/कटौती/निरसन/संशोधन और/या वापस लेने की स्थिति में, इस समझौते के सभी प्रावधान और अन्य सभी संबंधित दस्तावेज प्रभावी और वैध बने रहेंगे और उधारकर्ता इस समझौते के तहत बकाया राशि का भुगतान विधिवत और समय पर करेगा, जैसा कि यहां प्रदान किया गया है।

तीस. निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक घटनाओं की घटना डिफॉल्ट की घटना का गठन करेगी। इस प्रश्न पर कि क्या उपर्युक्त में से कोई घटना/परिस्थिति घटित हुई है, बैंक का निर्णय अंतिम, निर्णायक और उधारकर्ता के लिए बाध्यकारी होगा:

- (१) उधारकर्ता बैंक को उधारकर्ता के किसी भी दायित्व के मूलधन या ब्याज के भुगतान में चूक करता है, जब यह देय और देय होता है।
- (२) बैंक को दी गई प्रतिभूति या बैंक के पक्ष में उस पर बनाए गए शुल्क पूरी तरह या आंशिक रूप से अमान्य या अप्रवर्तनीय हो जाएंगे।
- (३) उधारकर्ता किसी भी कारण से व्यवसाय करना बंद कर देगा या उधारकर्ता की संपत्ति के लिए रिसीवर की नियुक्ति करने में असमर्थ होगा।
- (४) उधारकर्ता द्वारा किया गया कोई भी अभ्यावेदन, वारंटी या बयान किसी भी संबंध में गलत या भ्रामक साबित होता है जब किया जाता है या किया जाता है और यदि उधारकर्ता इन उपहारों के प्रदर्शन या पालन में कोई उल्लंघन या चूक करता है या इस ऋण/सुविधा के संबंध में बैंक और उधारकर्ता के बीच किसी अन्य समझौते की किसी भी शर्त या प्रावधानों को रखने या निष्पादित करने में विफलता करता है।
- (५) उधारकर्ता मांग पर स्वीकार्य अतिरिक्त या वैकल्पिक प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं करता है या उधारकर्ता बैंक के पक्ष में प्रतिभूति बनाने में विफल रहता है।
- (६) यदि उधारकर्ता की मृत्यु हो जाती है।
- (७) यदि उधारकर्ता अपने व्यवसाय को बंद कर देता है या बंद करने की धमकी देता है।
- (८) ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो बैंक की राय में उधारकर्ता की मूलधन और ब्याज का भुगतान/पुनर्भुगतान करने या उक्त बकाया राशि या बैंक को देय किसी भी राशि का भुगतान करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं या प्रभावित कर सकती हैं और/या उधारकर्ता देय और देय होने पर बैंक को उधारकर्ता के किसी भी दायित्व के मूल राशि या ब्याज के भुगतान में कोई चूक करता है।
- (९) बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना उधारकर्ता के स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण में परिवर्तन होता है।

- (१०) यदि प्रतिभूतियों में गिरावट या हानि होती है या बाजार मूल्य (वास्तविक या यथोचित प्रत्याशित) में कोई गिरावट/मूल्यहास होता है, तो बैंक की राय में प्रतिभूतियाँ चरित्र या मूल्य के रूप में असंतोषजनक हो सकती हैं।
- (११) यदि उधारकर्ता, अपने किसी भी ऋण पर भुगतान करने को निलंबित कर देता है या, वास्तविक या प्रत्याशित वित्तीय कठिनाइयों के कारण, अपने किसी भी ऋणग्रस्तता को पुनर्निर्धारित करने की दृष्टि से अपने किसी भी लेनदारों (या उनमें से किसी भी वर्ग) के साथ बातचीत शुरू करता है या अपने लेनदारों के साथ लाभ के लिए एक सामान्य असाइनमेंट बनाता है या किसी भी देयता का भुगतान करने का आदेश दिया जाता है और देय होने पर इस तरह की देयता का भुगतान नहीं किया जाता है; और अगर
- (अ) की संपत्ति की संपत्ति का मूल्य (नौ) उधारकर्ता अपनी देनदारियों से कम है;
- (आ) उधारकर्ता की किसी भी ऋणग्रस्तता के संबंध में एक अधिस्थगन घोषित किया जाता है;
- (इ) परिसमापन आदेश पारित किया गया है (x)
- दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के प्रावधानों के अनुसार उधारकर्ता के खिलाफ ऋणशोधन अक्षमता संहिता;
- (ई) उधारकर्ता के संबंध में एक समाधान योजना के अंत में निर्णयन प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता है।
- दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि (xi)
- पर्यवेक्षण या पुनर्गठन (उपरोक्त में से किसी भी घटना के घटित होने पर, स्वैच्छिक व्यवस्था पर, बैंक के विकल्प की योजना, और व्यवस्था की आवश्यकता के बिना या अन्यथा) उधारकर्ता को किसी भी मांग या नोटिस के बिना, सभी कर्जदार;
- (२) a मिश्रण, समझौता या कर्जदार तथा के बावजूद के किसी भी लेनदार के साथ कुछ भी व्यवस्था इसमें या किसी भी सुरक्षा दस्तावेजों में निहित उधारकर्ता या इसके लिए एक असाइनमेंट ऋणदाताओं के लाभ में उधारकर्ता द्वारा निष्पादित किया जाता है/निष्पादित किया जाना है बैंक का पक्ष, उक्त बकाया और सभी उधारकर्ता (या ऐसे लेनदारों का एक वर्ग); दायित्वों का द कर्जदार सेवा मेरे द बैंक, इसके तहत तुरंत देय हो जाएगा और
- (३) एक परिसमापक की नियुक्ति, रिसीवर की नियुक्ति, किसी भी सहमत परिपक्वता पर ध्यान दिए बिना, और प्रशासक, प्रशासनिक रिसीवर की नियुक्ति, बैंक अपनी सुरक्षा को लागू करने का हकदार होगा। अनिवार्य प्रबंधक, अंतिम पर्यवेक्षक, दिवाला पेशेवर या इस सवाल पर कि क्या घटनाओं/परिस्थितियों के संबंध में उपरोक्त अन्य समान अधिकारियों में से कोई घटित हुआ है/हुआ है,
- उधारकर्ता या उनकी कोई भी संपत्ति; और बैंक का निर्णय अंतिम, निर्णायक और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा। उधारकर्ता
- (४) किसी भी प्रतिभूति हित को लागू करने से बैंक को एक नोटिस दिया जाएगा, यदि उधारकर्ता की किसी भी संपत्ति की कोई घटना होती है। डिफॉल्ट या कोई भी घटना जो नोटिस के बाद या
- (५) कोई अन्य घटना जो पूर्वाग्रहपूर्ण रूप से समय की चूक को बदल देती है या दोनों एक घटना का गठन करेगी जो बैंक के हित में होगी या डिफॉल्ट की सामग्री हो सकती है, लिखित रूप में प्रतिकूल प्रभाव होगा। "भौतिक प्रतिकूल प्रभाव" डिफॉल्ट या घटना की ऐसी घटना को निर्दिष्ट करने का मतलब घटित होने में प्रतिकूल प्रभाव होगा। यदि किसी भी कानून के तहत समापन या शर्त, वित्तीय या अन्यथा, दिवालियापन का कोई वैधानिक नोटिस या उधारकर्ता या किसी भी सहायक कंपनी या सहयोगी के खिलाफ दायर किए जाने वाले उधारकर्ता की प्रक्रिया के किसी भी मुकदमे या कानूनी संभावना या संचालन का कोई वैधानिक नोटिस उधारकर्ता या किसी भी सहायक कंपनी या सहयोगी के खिलाफ दायर किया जाना है, तो उधारकर्ता या भविष्य या जो एकमात्र राय में बैंक को तुरंत सूचित करेगा।
- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत;
- (उ) किसी भी वित्तीय द्वारा एक आवेदन दायर किया जाता है (xii)
- लेनदार या किसी भी परिचालन लेनदार कर्जदार और/ या बाध्यताधारी के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया।
- इक्तीस. कोई भी कॉर्पोरेट कार्रवाई, कानूनी कार्यवाही या अन्य प्रक्रिया या कदम निम्नलिखित के संबंध में उठाया जाता है:
- (१) भुगतान का निलंबन, किसी भी ऋणग्रस्तता पर रोक, दिवालियापन समाधान, परिसमापन, विघटन, प्रशासन, अंतिम
- उधारकर्ता अपने किसी भी ऋणग्रस्तता का भुगतान करने में असमर्थ है या लिखित रूप में स्वीकार किया है क्योंकि वे परिपक्व हो जाते हैं या देय होने पर भुगतान करने में असमर्थता रखते हैं।
- यदि उधारकर्ता बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना उधारकर्ता की संपत्ति या संपत्ति के किसी भी हिस्से पर कोई प्रभार, गिरवी, हाइपोथिकेशन, ग्रहणाधिकार या कोई अन्य भार बनाने का प्रयास करता है जो ऋण/सुविधा के पुनर्भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में बनाया गया है।
- यदि उधारकर्ता एक साझेदारी होने के नाते विघटन की प्रक्रिया में है या भंग हो गया है।
- यदि यह बैंक द्वारा नियुक्त एक लेखाकार द्वारा प्रमाणित किया जाता है (जिसका बैंक हकदार है और इसके द्वारा किसी भी समय ऐसा करने के लिए अधिकृत है) कि उधारकर्ता की देनदारियां उधारकर्ता की संपत्ति से अधिक हैं या उधारकर्ता घाटे में व्यवसाय कर रहा है या यदि उधारकर्ता बैंक या उधारकर्ता के किसी भी सहयोगी/समूह कंपनियों के संबंध में किसी अन्य ऋणग्रस्तता के संबंध में चूक करता है, तो उनके संबंध में चूक करता है। बैंक के प्रति ऋणग्रस्तता।

32 बैंक के 32 बैंक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि उधारकर्ता ऋण/सुविधा के पुनर्भुगतान में चूक करता है। उक्त बकाया राशि या उसके किसी भी हिस्से के लिए, बैंक

- (६) ऋण/सुविधा का उपयोग किसी भी स्वतंत्रता के लिए किया जाता है (लेकिन ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है) इस समझौते या कानून की अदालत और/या न्यायालय में कार्यवाही का सहारा लिए बिना उद्देश्य नामांकित व्यक्ति को रिसीवर के रूप में नियुक्त करने के लिए, स्वीकृति पत्र। उधारकर्ता की प्रतिभूति का कब्जा लें
- (७) यदि बैंक द्वारा प्रतिभूति के रूप में धारित एक या अधिक निर्णय या डिक्री ऋण/सुविधा के तहत या किसी अन्य के तहत प्रदान किए गए हैं या दर्ज किए गए हैं और ऐसे निर्णय या सुरक्षा दस्तावेज (दस्तावेजों) को डिक्री द्वारा निष्पादित किया जाता है, तो बैंक के पक्ष में उधारकर्ता को खाली नहीं किया जाता है, निर्वहन नहीं किया जाता है या उधारकर्ता को बैंक के पक्ष में किया जाता है। 30 दिनों की अवधि के लिए रहे। और इस तरह के निर्णय या डिक्री कुल मिलाकर, एक दायित्व जिसमें भौतिक प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है
- (८) क्रेडिट रेटिंग एजेंसी/कंपनियों द्वारा खुद को रेटिंग प्राप्त करने में उधारकर्ता की विफलता

तैतीस.	उधारकर्ता स्पष्ट रूप से सहमत है और स्वीकार करता है कि बैंक के साथ किसी अन्य समझौते के तहत उधारकर्ता द्वारा किए जा रहे किसी भी चूक की स्थिति में, जिसके तहत उधारकर्ता वित्तीय/ऋण सुविधा का आनंद ले रहा है, ऐसी घटना, जिसमें नीचे (ए) से (डी) तक उल्लिखित चूक शामिल है, को इस समझौते के तहत हुई चूक की घटना के रूप में माना जाएगा और बैंक, इस समझौते के तहत या लागू कानून के तहत या सरफेसी अधिनियम 2002 या किसी भी संबंधित कानून सहित लागू कानून के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करने का पूरी तरह से हकदार होगा, जिसमें बैंक से प्राप्त किए गए किसी भी ऋण/सुविधा (ऋण/सुविधा (ऋण)) में उधारकर्ता के क्रेडिट के लिए खड़ी किसी भी राशि के संबंध में सेट ऑफ करने का अधिकार शामिल है।	
	(अ) कोई भी वित्तीय ऋणग्रस्तता का उधारकर्ता को देय होने पर या किसी भी मूल रूप से लागू छूट अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है। (आ) कोई भी वित्तीय ऋणग्रस्तता का उधारकर्ता को डिफॉल्ट की घटना, डिफॉल्ट या अन्य समान स्थिति या घटना (हालांकि वर्णित) के परिणामस्वरूप इसकी निर्दिष्ट परिपक्वता से पहले देय और देय घोषित किया जाता है। (इ) उधारकर्ता की किसी भी वित्तीय ऋणग्रस्तता के लिए कोई भी प्रतिबद्धता डिफॉल्ट की घटना, डिफॉल्ट या अन्य समान स्थिति या घटना (हालांकि वर्णित) के परिणामस्वरूप उसके किसी भी लेनदार द्वारा रद्द या निलंबित कर दी जाती है। (ई) उधारकर्ता का कोई भी लेनदार डिफॉल्ट की घटना, डिफॉल्ट या अन्य समान स्थिति या घटना (हालांकि वर्णित) के परिणामस्वरूप उधारकर्ता की किसी भी वित्तीय ऋणग्रस्तता को घोषित करने का हकदार हो जाता है।	तरीके से संसाधित कर सकती है; और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड, और इस प्रकार प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी, बैंकों/वित्तीय संस्थानों और अन्य क्रेडिट अनुदानकर्ताओं या पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को, जैसा कि इस संबंध में आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, उनके द्वारा प्राप्त संसाधित जानकारी और डेटा या उसके उत्पादों को विचारार्थ प्रस्तुत कर सकती है। पैंतीस. उधारकर्ता मांग पर बैंक को पूरी तरह से भुगतान करेगा या प्रतिपूर्ति करेगा a) इस समझौते की तैयारी की कानूनी लागत, सुरक्षा बनाने वाले दस्तावेज और उससे संबंधित सभी दस्तावेज (ख) बैंक को दी गई सुरक्षा के किसी अन्य तरीके से आवधिक मूल्यांकन, निरीक्षण, बीमा और संरक्षण/संरक्षण से संबंधित सभी लागत, व्यय और शुल्क और बैंक द्वारा किसी को भी परिरक्षित करने, पूर्णता या लागू करने में किए गए सभी लागतें (कानूनी शुल्क सहित) इस समझौते के तहत या उसके संबंध में, या किसी भी वर्तमान या भविष्य की सुरक्षा और अन्य दस्तावेजों के संबंध में इसके अधिकार।
		छत्तीस. इसके तहत किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय का प्रयोग करने में बैंक द्वारा किसी भी सहनशीलता या विफलता या देरी को ऐसे अधिकार, शक्ति या उपाय की छूट नहीं माना जाएगा, और इसके तहत किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय का कोई भी एकल या आंशिक प्रयोग इसके आगे के प्रयोग को बाधित नहीं करेगा और बैंक का प्रत्येक अधिकार और उपाय पूरी तरह से लागू होगा और तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि ऐसा अधिकार, शक्ति या उपाय विशेष रूप से बैंक द्वारा निष्पादित लिखित रूप में एक साधन द्वारा माफ कर दिया जाता है। सैंतीस. उधारकर्ता बैंक की मंजूरी के बिना इस समझौते के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार, लाभ या दायित्वों को सौंपेगा या स्थानांतरित नहीं करेगा। बैंक, किसी भी समय, उधारकर्ता को सूचना दिए बिना इस समझौते के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार, लाभ और दायित्वों को सौंप या हस्तांतरित कर सकता है। इस तरह के किसी भी असाइनमेंट या हस्तांतरण के बावजूद, उधारकर्ता, जब तक कि बैंक द्वारा अन्यथा अधिसूचित न किया गया हो, के तहत सभी भुगतान करना जारी रखेगा
चौतीस.	उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि बैंक द्वारा प्राप्त किसी भी अन्य अधिकारों के अलावा, उधारकर्ता द्वारा कोई चूक करने की स्थिति में, बैंक भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य वैधानिक या नियामक प्राधिकरण या किसी अन्य तीसरे व्यक्ति को उधारकर्ता और/या उसके निदेशकों के नाम/पहचान और प्रतिबद्ध चूक का खुलासा करने का हकदार होगा। किसी के भुगतान में चूक के मामले में बैंक, बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक के प्रति ऋणग्रस्तता के पास उधारकर्ता और/या उसके निदेशकों के नाम को डिफॉल्टर (विलफुल डिफॉल्टर के रूप में सहित) के रूप में इस तरह से और ऐसे माध्यम से प्रकट करने या प्रकाशित करने का अयोग्य अधिकार होगा जैसा कि बैंक और/या आरबीआई अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे। उधारकर्ता आगे इस बात से सहमत है कि बैंक, जैसा कि वह उचित और आवश्यक समझता है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड, और आरबीआई द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी भी अन्य एजेंसी को निम्नलिखित में से सभी या किसी भी का खुलासा और प्रस्तुत कर सकता है (ए) उधारकर्ता से संबंधित जानकारी और डेटा (बी) प्राप्त किए गए ऋण से संबंधित जानकारी या डेटा, उधारकर्ता द्वारा; और ऋणग्रस्तता के निर्वहन में उधारकर्ता द्वारा किए गए डिफॉल्ट की जानकारी और विवरण, यदि कोई हो। उधारकर्ता सहमत होता है और यह वचन देता है कि (ए) क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड, और कोई अन्य एजेंसी इस प्रकार अधिकृत बैंक द्वारा प्रकट की गई उक्त जानकारी और डेटा को उनके द्वारा उचित समझे जाने वाले	यह बैंक के साथ समझौता और बैंक को किए जाने वाले ऐसे सभी भुगतान ऐसे भुगतानों के संबंध में उधारकर्ता को अपनी सभी देनदारियों से पूर्ण निर्वहन का गठन करेंगे। अड़तीस. उधारकर्ता बैंक या बैंक के किसी भी नामांकित व्यक्ति के पक्ष में किसी भी आगे/अतिरिक्त/ ताज़ा कर्म/ दस्तावेज़ आदि, जब कभी बैंक द्वारा ऐसा करने की आवश्यकता होती है। उन्तालीस. उधारकर्ता ऋण/सुविधा के पुनर्भुगतान को संतुष्ट करने के उद्देश्य से उक्त प्रतिभूतियों (यदि कोई हो) को बेचने या स्थानांतरित करने के लिए बैंक को प्राधिकृत करने के लिए बैंक के पक्ष में अपरिवर्तनीय मुख्तारनामा देने का भी वचन देता है। चालीस. बिना किसी विरोध या डिमर् के बैंक को किसी भी और सभी, नुकसान, देनदारियों, दायित्वों, क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति, मुकदमेबाजी के खर्च, निर्णय, लागत, कर, दंड, शुल्क, व्यय (सहित, बिना किसी सीमा के, सलाहकारों की फीस), दावे, जुर्माना, दंड, कार्यवाही, कार्रवाई या मांग, जो भी बैंक द्वारा लाया या किया जा सकता है या बनाए रखा जा सकता है या किया जा सकता है (चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से और चाहे द्वारा भुगतान किया गया हो) बैंक या नहीं) या जो बैंक इस समझौते के तहत या उसके संबंध में उत्तरदायी हो सकता है और बैंक, उसके संवाददाताओं या पुष्टि करने वाले बैंकों या एजेंटों के खिलाफ की गई या की गई कोई भी कार्रवाई या

उधारकर्ता

कार्यवाही; भारत में किसी भी कर में कटौती किए बिना, चाहे इस तरह के भुगतान भारत में विदेशीकरण टैक्स को आकर्षित करते हैं या एक योग्य एकाउंटेंट द्वारा उचित प्रमाणन की आवश्यकता होती है।

इक्तालीस. बैंक ऋण/सुविधा प्राप्त करने के लिए उधारकर्ता द्वारा देय देय राशि में इस खंड के तहत देय किसी भी राशि को शामिल करने का हकदार होगा।

बयालीस. ऋण/सुविधा के तहत या उसके संबंध में सभी नोटिस या अन्य संचार लिखित रूप में दिए जाएंगे और, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, पत्र या प्रतिकृति द्वारा किया जा सकता है। ऐसा कोई भी नोटिस या अन्य संचार प्रभावी माना जाएगा:

- (१) यदि पत्र द्वारा भेजा जाता है, जब व्यक्तिगत रूप से वितरित किया जाता है या यदि डाक द्वारा भेजा जाता है, जब पत्र को वापस बुलाना प्रेषक के नियंत्रण से बाहर होता है; तथा
- (२) यदि प्रतिकृति द्वारा भेजा जाता है, तो सही प्रतिकृति संख्या से पुष्टि प्राप्त होने पर। परन्तु यह कि बैंक को कोई भी सूचना या संचार तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वास्तव में बैंक द्वारा प्राप्त न किया जाए। नोटिस या संचार किया जा सकता है:

अ. द उधारकर्ता का पता या प्रतिकृति संख्या; तथा

आ. स्वीकृति पत्र में विनिर्दिष्ट बैंक का पता या उसके जोनल/क्षेत्रीय कार्यालय की प्रतिकृति संख्या, या ऐसे अन्य पते या प्रतिकृति संख्या के लिए जो उधारकर्ता और बैंक द्वारा लिखित रूप में एक दूसरे को निर्दिष्ट किया जा सकता है। उधारकर्ता स्वीकार करता है और पुष्टि करता है कि बैंक द्वारा प्रदान की गई नोटिस, यदि कोई हो, जैसा कि इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट है या किसी अन्य तरीके से, ऊपर उल्लिखित दरों (दरों) में किसी भी बदलाव या बदली हुई दर (दरों) पर राशि के भुगतान के लिए बैंक से कोई नोटिस दिया गया है, तो उधारकर्ता द्वारा उधारकर्ता को पर्याप्त और उचित नोटिस के रूप में माना जाएगा और बैंक इस तरह के परिवर्तनों की कोई और सूचना जारी करने के लिए बाध्य नहीं है कर्जदार।

तैतालीस. बैंक के खातों/खाता बही/अभिलेखों में की गई प्रविष्टियां अपनी सामान्य प्रथा के अनुसार और सांविधिक आवश्यकताओं के अनुपालन में और/या किसी नामित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित विवरण

बैंक, उधारकर्ता के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। इस तरह की प्रविष्टियां और/या विवरण ऋण/सुविधा के संबंध में दर्ज उधारकर्ता के अस्तित्व और दायित्वों की राशि का प्रथम दृष्टया और निर्णायक साक्ष्य होगा। उधारकर्ता बैंक द्वारा या बैंक के किसी अन्य अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भेजे गए खाते के विवरण को उसके द्वारा देय होने का दावा की गई किसी भी राशि की शुद्धता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत होता है।

चवालीस. उधारकर्ता एतद्वारा इस बात से सहमत है कि यदि उधारकर्ता बैंक को उक्त देय राशि के भुगतान/पुनर्भुगतान में या नियत तारीख को उस पर ब्याज की अदायगी में चूक करता है, तो बैंक और/या आरबीआई के पास हमारे नाम या उधारकर्ता और उसके निदेशकों/भागीदारों/मालिकों के नाम को डिफॉल्टर (जानबूझकर चूककर्ताओं सहित) के रूप में इस

तरह के तरीके से और बैंक और/या आरबीआई जैसे माध्यम से प्रकट करने या प्रकाशित करने का अयोग्य अधिकार होगा अपने पूर्ण विवेक में उचित लग सकता है। उधारकर्ता सहमत होता है और वचन देता है कि वह निदेशक या प्रमोटर की क्षमता में किसी ऐसे व्यक्ति को शामिल नहीं करेगा जो कंपनी का निदेशक/भागीदार/सदस्य/ट्रस्टी हो/फर्म/व्यक्तियों/ट्रस्ट का सहयोगी, जैसा भी मामला हो, जिसे विलफुल डिफॉल्टर के रूप में पहचाना जाता है। यदि ऐसा व्यक्ति किसी कंपनी/फर्म/व्यक्तियों/ट्रस्ट के निदेशक/भागीदार/सदस्य/ट्रस्टी के रूप में पाया जाता है, जैसा भी मामला हो, विलफुल डिफॉल्टर के रूप में पहचाना जाता है, तो उधारकर्ता ऐसे व्यक्ति को हटाने के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाएगा।

पैंतालीस. उधारकर्ता बैंक या बैंक के किसी भी नामांकित व्यक्ति के पक्ष में किसी भी आगे/अतिरिक्त/ ताज़ा कर्म/ दस्तावेज़ आदि, जब कभी बैंक द्वारा ऐसा करने की आवश्यकता होती है।

छियालीस. इस समझौते को स्वीकृति पत्र के साथ पढ़ा जाएगा। किसी भी असंगति के मामले में, इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और उधारकर्ता के लिए बाध्यकारी होगा।

सत्तालीस. जैसा कि ऊपर बताया गया है, चूक की किसी भी घटना के संदर्भ में किसी भी उल्लंघन के मामले में, बैंक के पास ऐसे नियमों और शर्तों पर प्रतिभूतियों को बेचने, निपटाने या वसूल करने का अधिकार होगा, जिसमें मूल्य भी शामिल है जो बैंक अपनी एकमात्र राय में उचित समझता है और शुल्क और व्यय सहित ऋण/सुविधा की संतुष्टि के लिए उसकी आय को लागू करता है, यदि कोई हो। इस समझौते के तहत उधारकर्ता की वाचा का कोई भी उल्लंघन चूक की घटना का गठन करेगा।

अड़तालीस. ऊपर दी गई किसी बात के होते हुए भी, बैंक अपने विवेकाधिकार में उधारकर्ता को बिना किसी सूचना के, भागीदारी के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऋण/सुविधा के पूरे या एक हिस्से के ऋण जोखिम को साझा कर सकता है। इस तरह की भागीदारी के बावजूद, इस समझौते के तहत बैंक द्वारा प्राप्त या प्रदान किए गए या धारित सभी अधिकार, शीर्षक, हित, विशेष दर्जा और अन्य लाभ और विशेषाधिकार समान नियमों और शर्तों पर बैंक द्वारा वैध, प्रभावी और प्रवर्तनीय रहेंगे और उधारकर्ता बैंक के लिए इस समझौते के तहत अपने सभी दायित्वों का पूर्ण निर्वहन करना जारी रखेगा। उधारकर्ता के पास किसी भी कारण से ऐसे व्यक्ति के साथ अनुबंध की किसी भी गोपनीयता का दावा नहीं होगा और न ही करेगा। इस तरह की कोई भी बिक्री, असाइनमेंट या हस्तांतरण निर्णायक रूप से उधारकर्ता को बाध्य करेगा।

उन्चास. यह वचन देता है और स्वीकार करता है कि यह उधारकर्ता की जिम्मेदारी है कि वह सेवा के प्राप्तकर्ता के प्रासंगिक स्थान का निर्धारण करने के लिए बैंक को उपयुक्त रिकॉर्ड/संचार पता प्रदान करे। सही पता प्रदान करने में उधारकर्ता की विफलता के कारण किसी भी कर या संबंधित मांग के मामले में, उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

पचास. उधारकर्ता बिना शर्त सहमत होता है, वचन देता है और स्वीकार करता है उस द खाता होना है एक

ऋण/सुविधा की मुद्रा के दौरान किसी भी समय इस करार के तहत बकाया अप्रাপ्त प्रतिबद्धताओं को रद्द करने का बिना शर्त अधिकार है और बैंक उधारकर्ता को इसकी पूर्व सूचना प्रदान करने का प्रयास करेगा। उधारकर्ता बिना शर्त सहमत होता है, वचन देता है और स्वीकार करता है कि बैंक को उधारकर्ता की

उधारकर्ता

साख में गिरावट की स्थिति में अपनी बकाया अनिर्धारित प्रतिबद्धता को बिना शर्त रद्द करने का अधिकार होगा।

इकावन. उधारकर्ता यह स्वीकार करता है कि बिलिंग के उद्देश्य से किसी विशेष राज्य के जीएसटीआईएन नंबर को सूचित करना उधारकर्ता की जिम्मेदारी है। अपंजीकृत उधारकर्ता के मामले में, जीएसटी की गणना के उद्देश्य से उधारकर्ता के विवरण के तहत दिए गए पते पर विचार किया जाएगा। पंजीकृत आवेदकों के मामले में, उधारकर्ता के विवरण के तहत दिए गए पते को जीएसटी की गणना के उद्देश्य से व्यवसाय के पंजीकृत स्थान के रूप में माना जाएगा। कृपया ध्यान दें कि इस समझौते के प्रयोजन के लिए, पंजीकृत आवेदक का अर्थ जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत व्यक्ति होगा। इस खंड के प्रयोजन के लिए, 'जीएसटी' शब्द में केंद्रीय माल और सेवा कर ('सीजीएसटी'), राज्य माल और सेवा कर शामिल होंगे

('एसजीएसटी'), एकीकृत वस्तु और सेवा कर

('आईजीएसटी'), केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर

('यूटीजीएसटी') और भारत में जीएसटी से संबंधित कानूनों के तहत लगाए गए कोई भी अन्य कर जो लागू हो सकते हैं। तदनुसार 'जीएसटी कानून' शब्द की व्याख्या की जानी चाहिए।

बावन. उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रतिभूति, ऋणदाता के साथ किए गए या किए जाने वाले किसी अन्य समझौते के तहत, इस समझौते के तहत प्रतिभूतियां मानी जाएंगी और तब तक इसे तब तक निर्वहन नहीं किया जाएगा जब तक कि सभी ऋण (ऋणों)/सुविधाओं (ओं) को ऋणदाता की संतुष्टि के लिए पूरी तरह से निर्वहन नहीं किया जाता है। उधारकर्ता स्पष्ट रूप से सहमत है और स्वीकार करता है कि ऋणदाता के साथ किसी अन्य समझौते के तहत उधारकर्ता द्वारा किए जाने वाले किसी भी चूक की स्थिति में, जिसके तहत उधारकर्ता वित्तीय/ऋण सुविधा का आनंद ले रहा है, ऐसी घटना को इस समझौते के तहत होने वाली चूक की घटना के रूप में माना जाएगा और ऋणदाता, इस समझौते के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करने का पूरी तरह से हकदार होगा, जिसमें किसी के संबंध में सेट ऑफ करने का अधिकार भी शामिल है। ऋणदाता से प्राप्त किए गए/प्राप्त किए जाने वाले किसी भी ऋण/सुविधा (ऋण) में उधारकर्ता के क्रेडिट में खड़ी राशि।

तिरपन. यह समझौता और इस समझौते के तहत/इस समझौते के संबंध में निष्पादित सभी दस्तावेज भारत के कानूनों के अनुसार शासित और समझे जाएंगे।

चौवन. उधारकर्ता और गारंटर पुष्टि करते हैं कि ऋणदाता क्रेडिट संदर्भ जांच, सत्यापन, असाइनमेंट आदि के प्रयोजनों के लिए किसी भी का खुलासा कर सकता है

उधारकर्ताओं और गारंटर्स (उधारकर्ता द्वारा प्राप्त ऋण/सुविधा से संबंधित) से संबंधित सूचना/दस्तावेज इसके द्वारा नियुक्त किसी तीसरे पक्ष को दिए गए हैं। उधारकर्ता और गारंटर ऋणदाता ऋणदाता को आरबीआई, आयकर अधिकारियों, क्रेडिट ब्यूरो, तीसरे पक्षों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, डेटाबैंकों, कॉरपोरेट्स, बैंकों, वित्तीय संस्थानों या किसी अन्य सरकारी या नियामक प्राधिकरणों, वैधानिक प्राधिकरणों, अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों को उक्त जानकारी/दस्तावेजों का खुलासा करने के लिए अधिकृत करते हैं।

पचपन. नियामक घोषणा

घोषणाएं (यदि उधारकर्ता एक कंपनी है): इस समझौते पर हस्ताक्षर करके, उधारकर्ता एतद्वारा घोषणा करता है कि इसकी तारीख के अनुसार, इसका कोई भी निदेशक या गारंटर (या इसका कोई निदेशक, यदि लागू हो) एक बैंकिंग कंपनी के निदेशक/वरिष्ठ अधिकारी का निदेशक/वरिष्ठ अधिकारी नहीं

है, या ऋणदाता के निदेशक/वरिष्ठ अधिकारी के निर्दिष्ट निकट संबंध में नहीं है। बैंक को बताई गई सीमा को छोड़कर, किसी भी सहयोगी या समूह कंपनियों (यदि लागू हो) के साथ उधारकर्ता के सभी अनुबंध या समझौते, या उनके प्रति कोई प्रतिबद्धता हाथ की लंबाई के आधार पर है। इसके अलावा, बैंक का कोई भी निदेशक उधारकर्ता/इसकी सहायक कंपनी/होलिंग कंपनी का निदेशक, प्रबंधक, प्रबंध एजेंट, कर्मचारी या गारंटर नहीं है, या उधारकर्ता/इसकी सहायक कंपनी/होलिंग कंपनी में पर्याप्त हित रखता है और अनुसूचित सहकारी बैंक के निदेशक और म्यूचुअल फंड/वेंचर कैपिटल फंड की सहायक कंपनियों/ट्रस्टियों के निदेशकों सहित किसी अन्य बैंक का कोई निदेशक पर्याप्त हित रखता है या उधारकर्ता के निदेशक या गारंटर के रूप में रुचि रखता है। उधारकर्ता या किसी भी उधारकर्ता (गारंटर सहित) के कोई भी निदेशक/प्रमोटर/सहयोगी चिंताएं/नहीं हैं और उनकी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार:

अ. निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) की निर्दिष्ट अनुमोदन सूची पर; या

आ. विदेशी मुद्रा संरक्षण के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया और रोकथाम का तत्करी गतिविधि अधिनियम, 1974; या

इ. भारतीय रिज़र्व बैंक की विलफुल डिफॉल्टर/चेतावनी सूची में; या

ई. ऋणदाता की डिफॉल्टर सूची में; या

उ. या लागू कानून के अनुसार निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए योग्य नहीं है।

ऐसे मामले में जहां उपरोक्त नकारात्मक पुष्टियां/घोषणाएं सत्य नहीं हैं, तो उधारकर्ता ऋणदाता को ऐसे संबंधों के विवरण के साथ एक लिखित घोषणा प्रदान करेगा। यदि सुविधा की अवधि के दौरान इस तरह की घोषणा का विवरण बदल जाता है, तो उधारकर्ता तुरंत ऐसे किसी भी परिवर्तन के बारे में ऋणदाता को एक लिखित घोषणा प्रदान करेगा।

छप्पन. उधारकर्ता इसके द्वारा विशिष्ट सहमति देता है बैंक/ऋणदाता दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3 (13) में परिभाषित 'वित्तीय जानकारी' का प्रकटीकरण/प्रस्तुत करने के लिए (संक्षेप में 'कोड') को प्रासंगिक के साथ पढ़ें विनियम/नियम

संहिता के तहत बनाए गए प्रासंगिक विनियमों के अनुसार, समय-समय पर यथा संशोधित और समय-समय पर लागू और समय-समय पर उसके तहत विनिदष्ट के अनुसार, बैंक/ऋणदाता से प्राप्त ऋण/वित्तीय सुविधाओं के संबंध में, संहिता की धारा 3 (21) में परिभाषित किसी भी 'सूचना उपयोगिता' (संक्षेप में 'आईयू') के संबंध में, संहिता के तहत बनाए गए प्रासंगिक विनियमों के अनुसार, और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर बैंकों को जारी किए गए निदेश और एतद्वारा विशेष रूप से संबंधित 'आईयू' द्वारा अनुरोध किए जाने पर बैंक/ऋणदाता द्वारा प्रस्तुत वित्तीय जानकारी को शीघ्र प्रमाणित करने के लिए सहमत हैं।

सत्तावन. सभी मामले, प्रश्न, विवाद, डिफॉल्ट, अंतर और या दावे और/या संबंधित, और/या संबंधित, और/या उल्लंघन, समाप्ति या अमान्यता के परिणामस्वरूप या इस समझौते से संबंधित, इस समझौते के तहत किसी एक या दोनों पक्षों के दायित्व इस तरह के विवाद के समय निर्वह कर रहे हैं या नहीं और इस समझौते को समाप्त कर दिया गया है या समाप्त या पूरा किया गया है या नहीं, मध्यस्थता द्वारा तय किया जाएगा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 या उसके किसी भी सांविधिक संशोधन के प्रावधान के अनुसार और ऋणदाता/बैंक द्वारा नामित किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ को भेजा जाएगा। एकमात्र मध्यस्थ द्वारा दिया गया पुरस्कार अंतिम होगा और समझौते के सभी पक्षों के सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता की सीट जयपुर, राजस्थान होगी। उन मामलों के संबंध में जहां यह पिछले पैराग्राफ के अनुसार आयोजित मध्यस्थता कार्यवाही में निर्धारित किया जाता है कि (i) ऐसे पैराग्राफ में प्रदान की गई मध्यस्थता कार्यवाही अप्रवर्तनीय है; या (ii) भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के तहत उसकी विषय वस्तु गैर-मध्यस्थ है, जैसा कि संशोधित किया गया है, ऐसी स्थिति में, जयपुर, भारत में अदालतों के पास ऐसे मामलों के संबंध में अनन्य क्षेत्राधिकार होगा, प्रत्येक पक्ष अपरिवर्तनीय रूप से किसी भी अधिकार को छोड़ देता है जो उन अदालतों में से किसी में की जा रही कार्रवाई पर आपत्ति कर सकता है, यह दावा करने के लिए कि कार्रवाई एक असुविधाजनक मंच में लाई गई है या यह दावा करने के लिए कि उन अदालतों के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है।

अठ्ठावन. बैंक व्हाट्सएप सहित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किसी भी प्रचार अभियान/ऑफर के लिए उधारकर्ता और गारंटर से संपर्क करने का हकदार होगा। ऋण का समय पर पुनर्भुगतान/सुविधा इस अनुबंध का सार है।

उनसठ. इस करार के निबंधन और शर्तों का भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार वसूली नीति के निबंधन और शर्तों के साथ पालन किया जाता है जिसमें पार्टियां निम्नलिखित प्रावधानों का पालन करेंगी

- अ. नोटिस अवधि इससे पहले कब्जा लेना
- आ. जिन परिस्थितियों में नोटिस की अवधि माफ की जा सकती है
- इ. द प्रक्रिया के लिए सुरक्षा पर कब्जा करना
- ई. प्रतिभूति की बिक्री/नीलामी से पहले ऋण/सुविधा की अदायगी के लिए

उधारकर्ता को दिए जाने वाले अंतिम अवसर के संबंध में एक प्रावधान।

- उ. द प्रक्रिया के लिए उधारकर्ता को पुनर्ग्रहण देना और
- ऊ. प्रतिभूति की बिक्री/नीलामी की प्रक्रिया जब तक कि बैंक द्वारा अन्यथा सहमति न दी गई हो, करार के तहत देय और देय कोई भुगतान और उधारकर्ता द्वारा किया गया या बैंक द्वारा प्राप्त किया गया हो, आदेश में ऐसे बकायों के लिए विनियोजित किया जाएगा, अर्थात्:

- (१) ऋण की ईएमआई या मूल राशि
- (२) पेमी
- (३) लागत, शुल्क, खर्च आकस्मिक शुल्क और अन्य धन जो वसूली के संबंध में बैंक द्वारा खर्च किए जा सकते हैं;
- (४) दंडात्मक शुल्क, ईएमआई/किस्त/राशि/ब्याज और/या परिसमापन पर ब्याज हर्जाना पर डिफॉल्ट राशि;
- (५) प्रतिबद्धता शुल्क और शुल्क; vi. लागत, शुल्क और शुल्क और अन्य खर्चों पर ब्याज की ओर; लागत, शुल्क और शुल्क और अन्य खर्च; ऋण/सुविधा के बकाये पर ब्याज; ऋण/सुविधा का पुनर्भुगतान; शेष राशि, यदि कोई हो, ऋणदाता के साथ किए गए किसी अन्य समझौते के तहत या इस तरह से ऋणदाता द्वारा बकाया उक्त बकाया राशि के लिए या इस तरह से कि ऋणदाता अपने विवेकाधिकार में आवश्यक या समीचीन विचार कर सकता है।

59ए।

शिकायत निवारण तंत्र:

इस समझौते से उत्पन्न होने वाली किसी भी शिकायत के निवारण के लिए, उधारकर्ता बैंक की शिकायत निवारण नीति में निर्धारित निवारण तंत्र को अपना सकता है जिसे बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है www.au.bank.in और/या मैट्रिक्स के अनुसार नोडल शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क कर सकता है और इस समझौते से संलग्न केएफएस में प्रदान किए गए ईमेल/फोन नंबर पर संपर्क कर सकता है।

साठ.

इस समझौते के निष्पादन की तारीख अनुसूची 1 में उल्लिखित तारीख होगी। यदि इस समझौते की अनुसूची 1 के तहत तारीख को खाली रखा जाता है और दस्तावेज डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित होता है, तो इस समझौते के निष्पादन की तारीख वह तारीख होगी जब समझौते पर अंतिम बार किसी भी पक्ष द्वारा डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर किए गए थे ("अंतिम डिजिटल तिथि")। ऋण/सुविधाओं के संबंध में निष्पादित दस्तावेजों के निष्पादन की तारीख के संबंध में, वही समझ लागू की जाएगी जहां दस्तावेज पर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं।

इकसठ.

उधारकर्ता एतद्वारा इलेक्ट्रॉनिक और/या डिजिटल स्टैम्पिंग और/या इस समझौते और संबंधित दस्तावेजों के निष्पादन के लिए बैंक द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी भी तरीके से सहमत और सहमति देता है, जिसमें आधार या वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) या बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण या

यूएसबी टोकन आधारित डिजिटल का उपयोग करना शामिल है, लेकिन सीमित नहीं है हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी)।

बासठ. उधारकर्ता एतद्वारा अपरिवर्तनीय रूप से सहमत होता है, सहमति देता है और बैंक को उधारकर्ता/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के आधार विवरण और मूल बायोमेट्रिक जानकारी का उपयोग करने के लिए अधिकृत करता है ताकि उधारकर्ता को प्रमाणित और सत्यापित किया जा सके/हस्ताक्षरकर्ताओं को अधिकृत किया जा सके। उधारकर्ता एतद्वारा अपरिवर्तनीय रूप से सहमत होता है और सहमति देता है कि ओटीपी दर्ज करके और/या उधारकर्ता/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के फिंगरप्रिंट इंप्रेशन (बायोमेट्रिक केवाईसी) प्रदान करके, इसे पैन को मान्य करने और आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए आधार विवरण का उपयोग करने के लिए बैंक को उधारकर्ता/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की निहित और स्वेच्छा से सहमति के रूप में माना जाएगा और उधारकर्ता एतद्वारा बैंक को राष्ट्रीय स्तर से उधारकर्ता/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के व्यक्तिगत विवरण प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता है (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इसके अलावा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) से भी इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है।

तिरसठ. उधारकर्ता एतद्वारा अपरिवर्तनीय रूप से सहमत होता है, सहमति देता है और स्वीकार करता है कि समझौते और संबंधित दस्तावेजों को बैंक के ई-प्लेटफॉर्म/डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से या बैंक द्वारा नियुक्त किसी भी विक्रेता के माध्यम से निष्पादित/डिजिटल रूप से मुद्रांकन/संग्रहीत किया जा सकता है और निष्पादन, ई-स्टाम्पिंग, डेटा भंडारण आदि से संबंधित ऐसे प्लेटफॉर्म की शर्तों को भी स्वीकार किया जा सकता है। उधारकर्ता स्वीकार करता है कि इस तरह के ई-प्लेटफॉर्म/डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वीकार किए गए और/या निष्पादित दस्तावेज, उधारकर्ता के लिए वैध और बाध्यकारी होंगे और बैंक द्वारा साक्ष्य के एक उचित रूप के रूप में भरोसा किया जा सकता है और उपयोग किया जा सकता है और उस पर स्वीकार किए गए नियमों और शर्तों के संबंध में और इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निष्पादित दस्तावेजों के संबंध में कोई विवाद या प्रश्न नहीं उठाने का वचन देता है। बैंक या ऐसे तीसरे पक्ष के विक्रेता आईपी पते से संबंधित उधारकर्ता के सभी डेटा एकत्र करने के हकदार होंगे, कंप्यूटर के स्थान या निष्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य उपकरण और लेनदेन की पुष्टि के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए।

चौसठ. उधारकर्ता एतद्वारा अपरिवर्तनीय रूप से सहमत होता है और स्वीकार करता है कि बैंक द्वारा नियुक्त बैंक/तीसरे पक्ष के विक्रेताओं/एजेंटों आदि से प्राप्त और/या भेजा गया कोई भी संचार, चाहे वह बैंक के पास उपलब्ध उधारकर्ता/उधारकर्ता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के पंजीकृत मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी (ओं) पर एसएमएस, ईमेल आदि के माध्यम से हो, उधारकर्ता के लिए वैध और बाध्यकारी माना जाएगा। उधारकर्ता सहमति से भी सहमत है और स्वीकार करता है कि बैंक उधारकर्ता/उधारकर्ता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के पंजीकृत मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी को संचार के लिए वैध और अनुमत सेल नंबर/ईमेल आईडी के रूप में मानने के लिए स्वतंत्र होगा।

पैंसठ. उधारकर्ता के खाते में सुविधाओं का संवितरण ऋण/सुविधाओं का लाभ उठाने और समझौते और संबंधित दस्तावेजों के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए उधारकर्ता की सहमति होगी और यह उधारकर्ता पर वैध और बाध्यकारी

होगा और अधिकृत भागीदारों/हस्ताक्षरकर्ताओं के अधिकार के संबंध में या अन्यथा बैंक के पक्ष में निष्पादित दस्तावेजों के संबंध में कोई विवाद नहीं उठाया जाएगा।

छियासठ. उधारकर्ता अपरिवर्तनीय रूप से सहमत होता है और सहमति देता है कि प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एतद्वारा किसी भी ई-प्लेटफॉर्म/डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऋण/सुविधाओं के प्रयोजनों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर को प्रमाणित/ई-हस्ताक्षर/चिपकाने के लिए अधिकृत है, जैसा कि बैंक द्वारा वांछित हो सकता है।

उधारकर्ता समझता है और सहमत है कि उधारकर्ता इस समझौते के निष्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पूरी तरह से अद्यतन और किसी भी वायरस, खराबी या साइबर संबंधी खतरों से सुरक्षित रखेगा। उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि न तो बैंक या कोई ई-सेवा/सॉफ्टवेयर प्रदाता मध्यस्थ उधारकर्ता के उपकरण, अन्य सॉफ्टवेयर, सुविधाओं, उधारकर्ता द्वारा नियोजित तीसरे पक्ष के अनुप्रयोगों, या इंटरनेट कनेक्टिविटी की किसी भी विफलता या दोष के लिए या बैंक के ई-प्लेटफॉर्म/डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग के संबंध में या बैंक द्वारा नियुक्त किसी भी विक्रेता के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक और/या डिजिटल स्टैम्पिंग और/या निष्पादन के संबंध में किसी भी कारण से जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। यह समझौता और संबंधित दस्तावेज।

सड़सठ. खंड 60-66 में उल्लिखित प्रावधान ऋण/सुविधाओं के संबंध में उधारकर्ता और/या सह-उधारकर्ताओं द्वारा डिजिटल रूप से निष्पादित सभी दस्तावेजों पर लागू होंगे।

अड़सठ. उधारकर्ता एतद्वारा पुष्टि करता है, स्वीकार करता है और सहमत होता है कि वेबसाइट या ऐसे अन्य इंटरनेट या वेब-आधारित साधनों के माध्यम से किसी भी परिशिष्ट सहित इस समझौते की ऑनलाइन स्वीकृति पार्टियों के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध में परिणाम देती है।

उनहत्तर. उधारकर्ता को पता है कि इस समझौते के संचरण, इस समझौते के परिशिष्ट, नियम और शर्तें, निर्देश, स्वीकृति और संचार ('संचार') इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे ईमेल, प्रतिकृति, एसएमएस टेक्स्ट मैसेजिंग, व्हाट्सएप, वेबसाइट, ऑनलाइन स्वीकृति, आदि ('इलेक्ट्रॉनिक मीडिया') में धोखाधड़ी वाले परिवर्तन और गलत प्रसारण और गोपनीयता की अनुपस्थिति सहित कई जोखिम शामिल हैं। हालांकि, उधारकर्ता बैंक से संचार प्राप्त करने और बैंक को संचार प्रदान करने का इच्छुक है

इसके तहत विभिन्न मामलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऋण/सुविधा और उसके संचालन के संबंध में समझौता शामिल है।

सत्तर. बैंक द्वारा इसकी अनुमति देने के विचार में, उधारकर्ता एतद्वारा अपरिवर्तनीय रूप से, पुष्टि करता है और बैंक को निम्नानुसार वचन देता है: (ए) बैंक अपनी आवश्यकताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रदान किए गए संचार पर भरोसा करने का हकदार होगा (और इसे वास्तविक मानते हैं)। इस प्रश्न के मामले में कि कौन से संचार प्रदान किए गए या प्राप्त किए गए थे, बैंक द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिकॉर्ड को अंतिम, निर्णायक और बाध्यकारी माना जाएगा। (ख) उधारकर्ता ने यह सुनिश्चित किया है और यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रदान किए गए संचार उधारकर्ता द्वारा प्रदान किए गए हैं और एतद्वारा सहमत हैं और पुष्टि करते हैं कि बैंक इस संबंध में किसी भी प्रकार का सत्यापन करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(ग) उधारकर्ता इस बात की पुष्टि करता है कि बैंक संचार के पूरे या किसी भाग के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होगा जैसा कि इस प्रकार संप्रेषित संचार में दिखाई दे सकता है और यह उधारकर्ता के एकमात्र जोखिम पर होगा। (घ) बैंक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से संचार के आधार पर बैंक द्वारा किसी भी कार्य या कार्य करने से इनकार या चूक या कार्रवाई को स्थगित करने के परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। (ङ) बैंक को निम्नलिखित के संबंध में कोई कार्रवाई करने से पहले लिखित रूप में संचार की प्राप्ति की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रदान किए गए संचार और लिखित रूप में ऐसे संचार की गैर-डिलीवरी और गैर-अनुरूपता किसी भी तरह से इस समझौते के तहत या अन्यथा बैंक के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी। (च) बैंक किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से संचार के संबंध में उधारकर्ता को प्रदान की गई सुविधा/सुविधाओं को वापस ले सकता है या संशोधित कर सकता है या जोड़ सकता है। (छ)

उधारकर्ता इस बात से अवगत है और पुष्टि करता है कि बैंक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रदान किए गए किसी भी संचार पर कार्रवाई करने के लिए सहमत है, केवल इस खंड में निहित उपक्रम और क्षतिपूर्ति के कारण और उन पर भरोसा करता है।

ड्रॉडाउनशेड्यूल

ड्रॉडाउन प्रारंभ तिथि	
अगली किश्त की तारीख	
अगली किश्त की तारीख	
अगली किश्त की तारीख	
ड्रॉडाउन समाप्ति तिथि	

अनुसूची - I

S.No	विवरण	या क्रिस्म	विवरण
1.	निष्पादन का विवरण	तारीख	
		स्थान	
2.	उधारकर्ता का विवरण	नाम	
		पता	
3.	सह-उधारकर्ता का विवरण	नाम	
		पता	
4.	बैंक की शाखा का पता		
5.	सुविधा/ऋण का विवरण	समग्र सावधि ऋण सुविधा की राशि	
		ईएमआई प्रेजेंटेशन की तारीख	
6.	स्वीकृति पत्र	संदर्भ नहीं।	
		दिनांक:	
7.	पुनर्भुगतान अनुसूची	अवधि:	
		ईएमआई प्रेजेंटेशन की तारीख	
		ईएमआई फ्रीकेंसी	
		ईएमआई प्रारंभ तिथि:	
		ईएमआई राशि	
		अधिस्थगन अवधि	
8.	के पक्ष में संवितरण		
9.	चुकोती उपकरण		

अनुसूची II (शुल्क की अनुसूची) (एमबीएल - सीजी द्वारा सुरक्षित)

S.No I	शुल्क पैरामीटर	लागू शुल्क*
--------	----------------	-------------

1.	ब्याज दर	न्यूनतम: रेपो दर/ईबीआर अधिकतम: 24% प्रति वर्ष तक।
2.	ऋण प्रसंस्करण शुल्क	ऋण राशि का 3% तक
3.	मुद्रांकन शुल्क	राज्य के स्टाम्प अधिनियम के अनुसार
4.	मुद्रांकन व्यय	₹ 100 (जीएसटी सहित)
5.	अतिदेय ईएमआई पर ब्याज	ब्याज की अनुबंधित दर पर (ऋण आईआरआर)
6.	ईएमआई डिफॉल्ट पर दंडात्मक शुल्क	₹ 0.65 प्रति ₹ 1,000 (या उसके हर हिस्से) का शुल्क बकाया ईएमआई पर प्रतिदिन लिया जाएगा
7.	प्री-पेमेंट/फोरक्लोज़र शुल्क	अनुलग्नक का संदर्भ लें
8.	संग्रह शुल्क	₹ 600 प्रति विज़िट
9.	चेक/एसआई/एसीएच/ईसीएस रिटर्न शुल्क	₹ 500
10.	खाते का विवरण	₹ 500
11.	डुप्लिकेट परिशोधन/पुनर्भुगतान अनुसूची	₹ 500
12.	पुनर्भुगतान साधन स्वैप शुल्क (पीडीसी का प्रतिस्थापन या बैंक का परिवर्तन)	₹ 1,000
13.	किस्त की तारीख में बदलाव	₹ 500 प्लस अंतर अवधि ब्याज (यदि कोई हो)
14.	ऋण दस्तावेज़ की डुप्लिकेट प्रति	₹ 1,000
15.	अनंतिम/अंतिम ब्याज प्रमाण पत्र	शून्य
16.	ऋणदाता एनओसी/सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट	न्यूनतम: ₹ 10,000 और अधिकतम: ₹ 50,000
17.	आरओसी भरने का शुल्क	वास्तविक में
18.	चेक/संवितरण/ऋण रद्द करना	₹ 1,000 (चेक जारी करने की तिथि के 7 दिनों के भीतर) ₹ 1,000 प्लस कैंसलेशन अवधि तक ब्याज़
19.	नकद संग्रह शुल्क (केवल पूर्व भुगतान/फौजदारी के समय, यदि नकद संग्रह 20,000 रुपये से अधिक है)	नकद संग्रह के लिए ₹ 5 प्रति हजार
20.	नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट का डुप्लिकेट इश्यू	₹ 500
21.	आरसीयू शुल्क (प्रयोज्यता के अनुसार)	₹ 750
22.	फौजदारी विवरण शुल्क	₹ 500
23.	कानूनी और कूरियर शुल्क	₹ 1,100
24.	डिफॉल्ट संग्रह शुल्क	₹ 600
25.	टेली कलेक्शन चार्ज	₹ 40
26.	कानूनी/सरफेसी/आकस्मिक शुल्क*	
दक्षिणी। नहीं।	शुल्क पैरामीटर	लागू शुल्क*
a)	मध्यस्थता	₹ 5,100 तक
b)	मध्यस्थता पुरस्कारों का निष्पादन	₹ 6,800 तक
c)	धारा 138 (एनआई अधिनियम)/25 (पास अधिनियम) के तहत शिकायत	₹ 6,800 तक
d)	सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी करना	₹ 11,100 तक
e)	सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रवर्तन कार्रवाई	₹ 17,000 तक
f)	बैंक द्वारा या उसके खिलाफ की गई कोई अन्य कानूनी कार्रवाई	वास्तविक में

* प्रभार्य आधारित प्रयोज्यता

परिशिष्ट:

आंशिक पूर्व भुगतान के लिए पूर्व भुगतान शुल्क		
स्लैब	लागू शुल्क*	
a)	यदि अंतिम संवितरण तिथि से 6 महीने तक भुगतान किया जाता है	राशि का 5% जो आंशिक प्रीपेड है
b)	यदि 6 महीने और 12 महीने तक भुगतान किया जाता है	यदि वित्त वर्ष में कुल राशि पीओएस के 25% तक जमा की जाती है तो कोई पूर्व भुगतान शुल्क नहीं लिया जाएगा
	अंतिम संवितरण तिथि से महीने	(वित्त वर्ष की शुरुआत)
		वित्त वर्ष में कुल आंशिक प्रीपेड राशि का 5%, यदि सभी पार्ट प्री-पेमेंट का योग वित्त वर्ष की शुरुआत में मूलधन खोलने की 25% की सीमा को पार कर जाता है। यानी, शुल्क उसी वित्त वर्ष में आंशिक रूप से प्री-पेड कुल राशि पर लागू होगा।
c)	यदि अंतिम संवितरण तिथि से 12 महीने के बाद भुगतान किया जाता है	यदि पीओएस के 25% तक राशि जमा की जाती है तो कोई पूर्व भुगतान शुल्क नहीं लिया जाएगा (वित्त वर्ष की शुरुआत)
		वित्त वर्ष में कुल आंशिक प्रीपेड राशि का 4%, यदि सभी पार्ट प्री-पेमेंट का योग वित्त वर्ष की शुरुआत में मूलधन खोलने की 25% की सीमा को पार कर जाता है। यानी, शुल्क उसी वित्त वर्ष में आंशिक रूप से प्री-पेड कुल राशि पर लागू होगा।
पूर्ण समापन के लिए पूर्व भुगतान फौजदारी शुल्क		
a)	यदि अंतिम संवितरण तिथि से 12 महीने पहले भुगतान किया जाता है	बंद होने के समय शेष राशि का 5%
b)	यदि अंतिम संवितरण तिथि से 12 महीने के बाद भुगतान किया जाता है	बंद होने के समय शेष राशि का 4%

टिप्पणियाँ:

- एक. शुल्कों की अनुसूची एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी:
<https://www.au.bank.in/service-fee>
- दो. ऋण गारंटी योजना के तहत, संबंधित नियामक निकाय द्वारा निर्धारित शुल्क (यदि कोई हो) उपर्युक्त पर लागू होगा और तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
- तीन. उपरोक्त शुल्क मानक हैं, बैंक या तो इस अनुसूची के अनुसार या ग्राहक और बैंक के बीच द्विपक्षीय रूप से स्वीकृत शर्तों के अनुसार शुल्क लागू कर सकता है।
- चार. उपरोक्त शुल्क अधिकतम स्तर पर हैं, उपरोक्त शुल्कों पर किसी भी छूट या छूट के लिए संबंधित प्राधिकरण द्वारा शुल्क अनुमोदन मैट्रिक्स के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा।
- पाँच. आंशिक भुगतान बकाया मूलधन पर लागू किया जाएगा, देय ईएमआई और शुल्क, यदि कोई हो, के समायोजन के बाद।
- छः. प्रचलित दर के अनुसार लागू जीएसटी और अन्य सरकारी कर शुल्क और शुल्क के अतिरिक्त लिए जाएंगे।
- सात. बैंक 25,000 रुपये तक के प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों पर ऋण संबंधी कोई ऋण और तदर्थ सेवा प्रभार/निरीक्षण प्रभार नहीं लगाता है।
- आठ. यदि ग्राहक किश्तों में आंशिक भुगतान करता है, तो जिस किश्त में वित्त वर्ष में किए गए कुल भाग पूर्व-भुगतान वित्त वर्ष की शुरुआत में पीओएस के 25% को पार कर जाते हैं, तो पूर्व भुगतान शुल्क उसी वित्त वर्ष में पहले किए गए सभी आंशिक भुगतानों पर लागू होंगे।
- नौ. न्यूनतम आंशिक भुगतान राशि 3 ईएमआई के बराबर होनी चाहिए।
- दस. आंशिक संवितरित मामलों में किसी भी आंशिक भुगतान की अनुमति नहीं है और केवल पूर्ण संवितरित मामलों में ही किया जा सकता है।
- ग्यारह. डिफॉल्ट प्रभाव केवल अवधि पर दिया जाएगा यानी ग्राहक द्वारा ईएमआई पर प्रभाव देने के लिए लिखित अनुरोध दिए जाने तक अवधि कम की जाएगी।
- बारह. ईएमआई और अवधि दोनों में आंशिक पूर्व भुगतान के प्रभाव की अनुमति नहीं है। असाधारण मामलों में, बैंक ग्राहक से अतिरिक्त/अद्यतन दस्तावेजों की मांग कर सकता है, साथ ही लागू स्टॉप शुल्क और शुल्क के साथ ऋण में सभी ग्राहकों द्वारा हस्ताक्षरित पूरक समझौते को प्रस्तुत कर सकता है।
- तेरह. एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा परिभाषित नियम और शर्तें लागू होती हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.au.bank.in देखें।

मुख्य तथ्य कथन

भाग 1 (ब्याज दर और शुल्क/शुल्क)

1	ऋण प्रस्ताव/खाता सं.		ऋण का प्रकार	एमबीएल सीजी द्वारा सुरक्षित
2	स्वीकृत ऋण राशि (रुपये में)			

3	संवितरण अनुसूची (१) चरणों में संवितरण या 100% अग्रिम में। (२) यदि यह चरणवार है, तो प्रासंगिक विवरण वाले ऋण समझौते के खंड का उल्लेख करें		
4	ऋण अवधि (वर्ष/महीने/दिन)		
5	किस्त का विवरण		
	किस्तों का प्रकार	ईपीआई की संख्या	ईपीआई (₹)
	मासिक पत्रिका		मंजूरी के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत
6	ब्याज दर (%) और प्रकार (निश्चित या फ्लोटिंग या हाइब्रिड)		
7	ब्याज की फ्लोटिंग दर के मामले में अतिरिक्त जानकारी		
	हवाला कसौटी	बेंचमार्क दर (%) (B)	स्प्रेड (%) (एस)
			अंतिम दर (%) R = (B) + (S)
			आवधिकता रीसेट करें (महीने)
			संदर्भ बेंचमार्क में परिवर्तन का प्रभाव ('आर' में 25 बीपीएस परिवर्तन के लिए, में बदलें:)
			जन्म
			दक्षिणी
			ईपीआई (₹)
			नहीं। ईपीआई की संख्या
	एन / ए	एनए	एनए
	एनए	एनए	एन / ए
	एन / ए	एन / ए	एन / ए
8	शुल्क/शुल्क		
	आरई (ए) के लिए देय		आरई (बी) के माध्यम से किसी तीसरे पक्ष को देय
		एक बार/आवर्ती	राशि (₹ में) या लागू प्रतिशत (%)
			एक बार/आवर्ती
			राशि (₹ में) या लागू प्रतिशत (%)
1	प्रोसेसिंग फीस	एक बार	
2	कानूनी और आकस्मिक शुल्क	एक बार	
3	प्री ईएमआई	एक बार	
4	आरसीयू शुल्क	एक बार	
5	मुद्रांकन व्यय	एक बार	
6	स्टाम्प शुल्क	एक बार	
7	मूल्यांकन शुल्क	एक बार	
8	बीमा शुल्क		एक बार
			0
9	वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) (%)		

10	आकस्मिक शुल्क का विवरण (₹ या % में, जैसा लागू हो)	
(i)	भुगतान में देरी के मामले में दंडात्मक शुल्क, यदि कोई हो,	ईएमआई डिफॉल्ट पर दंडात्मक शुल्क: 1000 रुपये (या उसके हर हिस्से) पर 0.65 रुपये प्रति बकाया किस्त पर रोजाना शुल्क लिया जाएगा।
(ii)	अन्य दंडात्मक शुल्क, यदि कोई हो	एनए
(iii)	फौजदारी शुल्क, यदि लागू हो	यदि 12 संवितरण तिथि पिछले महीने से महीने तक भुगतान किया जाता है बंद होने के समय शेष राशि का 5%। यदि 12 संवितरण तिथि पिछले महीने से महीने के बाद भुगतान किया जाता है बंद होने के समय शेष राशि का 4%।
(iv)	ऋणों को वेरिबल/फ्लोटिंग से फिक्स्ड रेट में बदलने और इसके विपरीत ऋणों को बदलने के लिए शुल्क	बकाया मूलधन का 1%

(v)	कोई अन्य शुल्क (कृपया निर्दिष्ट करें)	(प्रभारों की अनुसूची के अनुसार) - https://www.au.bank.in/service-fee
-----	---------------------------------------	---

भाग 2 (अन्य गुणात्मक जानकारी)

1	वसूली एजेंटों की नियुक्ति से संबंधित ऋण समझौते का खंड	बैंक, अपने विवेकाधिकार में, समझौते के तहत अपने किसी भी अधिकार, कार्य, शक्तियों या कर्तव्यों का प्रयोग या निर्वहन कर सकता है, या तो स्वयं (अपने अधिकारियों या कर्मचारियों के माध्यम से) या अपने नियुक्त तीसरे पक्ष (वसूली एजेंटों सहित) के माध्यम से।									
2	ऋण समझौते का खंड जो शिकायत निवारण तंत्र का विवरण देता है	फ़ोन : 1800 1200 1200 कॉल सेंटर ईमेल : customercare@aubank.in									
3	नोडल शिकायत निवारण अधिकारी का फोन नंबर और ईमेल आईडी	<table> <tr> <td>स्तर 1</td><td>शाखा/परिसंपत्ति केंद्र</td><td>(निकटतम शाखा/परिसंपत्ति केंद्रों का पता लगाने के लिए कृपया www.au.bank.in पर जाएं)</td></tr> <tr> <td>स्तर 2</td><td>द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी ऑफिस पता: -19- A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर, 302001</td><td>कॉल करें: +91-8690998401 समय: सुबह 9.15 बजे से शाम 6.15 बजे तक सोमवार से शनिवार (दूसरे और चौथे शनिवार और बैंक अवकाश को छोड़कर) ईमेल: grievance.redressal@aubank.in में</td></tr> <tr> <td>स्तर 3</td><td>प्रधान नोडल अधिकारी</td><td>यदि शिकायत का समाधान नहीं होता है या यदि ग्राहक विभिन्न शिकायत समाधान चैनलों से संपर्क करने के बाद भी 15 कार्य दिवसों के भीतर प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो शिकायत को प्रधान नोडल तक पहुंचाया जा सकता है अधिकारी पर: प्रधान नोडल अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड CP3- 235, औद्योगिक क्षेत्र, परिधान पार्क, महल रोड, जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान, पिन - 302022 या भेजें एक ई-मेल पर: pno@aubank.in</td></tr> </table>	स्तर 1	शाखा/परिसंपत्ति केंद्र	(निकटतम शाखा/परिसंपत्ति केंद्रों का पता लगाने के लिए कृपया www.au.bank.in पर जाएं)	स्तर 2	द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी ऑफिस पता: -19- A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर, 302001	कॉल करें: +91-8690998401 समय: सुबह 9.15 बजे से शाम 6.15 बजे तक सोमवार से शनिवार (दूसरे और चौथे शनिवार और बैंक अवकाश को छोड़कर) ईमेल: grievance.redressal@aubank.in में	स्तर 3	प्रधान नोडल अधिकारी	यदि शिकायत का समाधान नहीं होता है या यदि ग्राहक विभिन्न शिकायत समाधान चैनलों से संपर्क करने के बाद भी 15 कार्य दिवसों के भीतर प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो शिकायत को प्रधान नोडल तक पहुंचाया जा सकता है अधिकारी पर: प्रधान नोडल अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड CP3- 235, औद्योगिक क्षेत्र, परिधान पार्क, महल रोड, जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान, पिन - 302022 या भेजें एक ई-मेल पर: pno@aubank.in
स्तर 1	शाखा/परिसंपत्ति केंद्र	(निकटतम शाखा/परिसंपत्ति केंद्रों का पता लगाने के लिए कृपया www.au.bank.in पर जाएं)									
स्तर 2	द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी ऑफिस पता: -19- A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर, 302001	कॉल करें: +91-8690998401 समय: सुबह 9.15 बजे से शाम 6.15 बजे तक सोमवार से शनिवार (दूसरे और चौथे शनिवार और बैंक अवकाश को छोड़कर) ईमेल: grievance.redressal@aubank.in में									
स्तर 3	प्रधान नोडल अधिकारी	यदि शिकायत का समाधान नहीं होता है या यदि ग्राहक विभिन्न शिकायत समाधान चैनलों से संपर्क करने के बाद भी 15 कार्य दिवसों के भीतर प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो शिकायत को प्रधान नोडल तक पहुंचाया जा सकता है अधिकारी पर: प्रधान नोडल अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड CP3- 235, औद्योगिक क्षेत्र, परिधान पार्क, महल रोड, जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान, पिन - 302022 या भेजें एक ई-मेल पर: pno@aubank.in									
4	चाहे ऋण हो, या भविष्य में, अन्य आरई या प्रतिभूतिकरण में हस्तांतरण के अधीन हो (हां/नहीं)	हाँ									
5	सहयोगात्मक ऋण व्यवस्था (जैसे, सह-उधार/आउटसोर्सिंग) के तहत ऋण देने के मामले में, निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं:										
	मूल आरई का नाम, इसके वित्त पोषण अनुपात के साथ	साझेदार आरई का नाम और उसके वित्त पोषण के अनुपात के साथ									
	एनए	एनए									
	एनए	एनए									
6	डिजिटल ऋणों के मामले में, निम्नलिखित विशिष्ट खुलासे प्रस्तुत किए जा सकते हैं:										
	(i) संशोधित अनुमान के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार कूलिंग ऑफ/लुक-अप अवधि, जिसके दौरान उधारकर्ता से ऋण के पूर्व भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा	एनए									
	(ii) वसूली एजेंट के रूप में कार्य करने वाले और उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए प्राधिकृत एलएसपी का ब्यौरा	एनए									

अनुलग्नक बी

खुदरा और एमएसएमई ऋणों के लिए एपीआर की गणना के लिए उदाहरण

Sr.No।	प्राचल	विवरण
1	स्वीकृत ऋण राशि (रुपये में) (केएफएस टेम्पलेट का क्रम संख्या 2 – भाग 1)	

2	ऋण अवधि (वर्षों/महीनों/दिनों में) (केएफएस टेम्पलेट का क्रम संख्या 4 - भाग 1)	
a)	नहीं। (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?	
b)	प्रत्येक ईपीआई की ईपीआई राशि (रुपये में) और संख्या का प्रकार। ईपीआई की संख्या (उदाहरण के लिए, मासिक किश्तों के मामले में ईएमआई की संख्या) (केएफएस टेम्पलेट का क्रम संख्या 5 - भाग 1)	
c)	नहीं। पूंजीकृत ब्याज के भुगतान के लिए किस्तों की संख्या, यदि कोई हो,	
d)	पुनर्भुगतान की शुरुआत, मंजूरी के बाद (केएफएस टेम्पलेट का क्रम संख्या 5 - भाग 1)	
3	ब्याज दर प्रकार (निश्चित या फ्लोटिंग या हाइब्रिड) (केएफएस टेम्पलेट का एसएल नंबर 6 - भाग 1)	
4	ब्याज दर (केएफएस टेम्पलेट का क्रम संख्या 6 - भाग 1)	
5	स्वीकृति तिथि को प्रचलित दर के अनुसार ऋण की पूरी अवधि के दौरान ली जाने वाली कुल ब्याज राशि (रुपये में)	
6	देय शुल्क/शुल्क (रुपये में)	
A	आरई के लिए देय (केएफएस टेम्पलेट-भाग 8 का एसएल नंबर 1)	
जन्म	आरई के माध्यम से रूट किए गए तृतीय-पक्ष को देय (केएफएस टेम्पलेट का एसएल नंबर 8बी - भाग 1)	
7	शुद्ध वितरित राशि (1-6) (रुपये में)	
8	उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि (1 और 5 की राशि) (रुपये में)	
9	वार्षिक प्रतिशत दर- प्रभावी वार्षिक ब्याज दर (प्रतिशत में) (केएफएस टेम्पलेट-भाग 1 का क्रम संख्या 9)	
10	नियम और शर्तों के अनुसार संवितरण की अनुसूची	
11	किस्त और ब्याज के भुगतान की देय तिथि	

अनुलग्नक बी में दर्शाए गए काल्पनिक ऋण के लिए समान आवधिक किस्त के तहत उदाहरणात्मक पुनर्भुगतान अनुसूची

किस्त संख्या	बकाया मूलधन (रुपये में)	मूलधन (रुपये में)	ब्याज (रुपये में)	किस्त (रुपये में)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

अनुलग्नक I

सामान्य ग्रहणाधिकार का पत्र और सेट ऑफ

प्रति,

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड,
SURAT_ALAY COMPLEX_ASSET केंद्र 9114 ("ऋणदाता/बैंक"),

ऋणदाता के पक्ष में सृजित जमाओं/ऋण शेषों/माजन भुगतानों/धनियों के संबंध में सेट-ऑफ और ऋणदाता द्वारा 1000 रुपये का ऋण/सुविधा प्रदान करने या उपलब्ध कराने को जारी रखने के विचार में संपत्तियों, प्रतिभूतियों, परिसंपत्तियों, प्राप्तियों और प्रतिभूति हितों (प्रतिभूति) के क्रॉस कोलैटरीकरण/क्रॉसलिंग के संबंध में सेट-ऑफ।

स्वीकृत ऋण राशि (रुपये शब्दों में) ("सुविधा") अधोहस्ताक्षरी को स्वीकृत पत्र की शर्तों के अनुसार दिनांक

अधोहस्ताक्षरी एतद्वारा स्वीकार करता है, सहमत होता है और वचन देता है कि:-

- एक. बैंक, किसी भी समय, अधोहस्ताक्षरी (जो भी प्रकृति का) के सभी या किसी भी मौजूदा खातों को संयोजित या समेकित कर सकता है और किसी भी अन्य खाते पर या किसी अन्य संबंध में बैंक के प्रति अधोहस्ताक्षरी की किसी भी देनदारियों की संतुष्टि के लिए किसी भी एक या अधिक ऐसे खातों के क्रेडिट में खड़ी किसी भी रकम को सेट या स्थानांतरित कर सकता है, चाहे मूलधन के रूप में, या ज़मानत के रूप में या अन्यथा, चाहे ऐसी देनदारियां वर्तमान या भविष्य, वास्तविक या आकस्मिक, प्राथमिक या संपार्श्विक और कई या संयुक्त हों।
- दो. अधोहस्ताक्षरी:- (ए) न तो ऐसी किसी भी राशि को वापस लेगा और न ही वापस लेने का हकदार होगा (ताकि बैंक के पास अधोहस्ताक्षरी को ऐसी किसी भी राशि को जारी करने या चुकाने का कोई दायित्व नहीं होगा) और ऐसा कोई कार्य या काम नहीं करेगा जो किसी भी तरह से ऐसी रकम को बनाए रखने के बैंक के अधिकार में देरी या पूर्वाग्रह कर सकता है और/या ऐसी रकम के सभी या किसी भी हिस्से को इस तरह के भुगतान में या उसके लिए लागू कर सकता है, निर्वहन या संतुष्टि; (बी) बंधक, प्रभार, गिरवी, परिकल्पना या अन्यथा भार नहीं देगा या अन्यथा असाइन नहीं करेगा, हस्तांतरण करेगा या अन्यथा सौदा नहीं करेगा या किसी भी तीसरे पक्ष के अधिकारों को उत्पन्न करने के लिए या उसके खिलाफ (बैंक के पक्ष में पहले से बनाए गए ऋणभार को छोड़कर) और/या पूरी या ऐसी रकम का कोई हिस्सा नहीं करेगा।
- तीन. बैंक को अपने पूर्ण विवेक में, किसी भी समय और समय-समय पर यहां निर्धारित शर्तों और उपक्रमों के अधोहस्ताक्षरी के किसी भी अन्य लेनदार को सूचित करने के लिए अधिकृत किया गया है;
- चार. समझौते और/या समझौते के तहत बढ़ाई गई ऋण/सुविधा को आगे बढ़ाने में निष्पादित किसी अन्य दस्तावेज में निहित किसी भी अन्य दस्तावेज के बावजूद या ऋणदाता द्वारा पहले से ही बढ़ाई गई सुविधा को आगे बढ़ाने के लिए निष्पादित किया गया है या ऋणदाता द्वारा बढ़ाया जाना है (जिसमें ऋणदाता की सहायक कंपनियां, सहयोगी / सहयोगी संस्थाएं शामिल होंगी) भविष्य की तारीख ("लेनदेन दस्तावेज") में।
- A. वर्तमान लेनदेन दस्तावेजों के तहत प्राप्त सुविधा (सुविधाओं) के लिए अधोहस्ताक्षरी या किसी अन्य बाध्यकारी द्वारा बनाई गई सुरक्षा भी निम्नलिखित के लिए एक सतत सुरक्षा होगी:
- (१) अन्य सभी धनराशि जो पहले से ही प्राप्त की गई या ऋणदाता से प्राप्त की जाने वाली सुविधाओं के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा देय और देय हो सकती है।
- (२) समय-समय पर घोषित अधोहस्ताक्षरी समूह कंपनियों/सहयोगियों/सहयोगियों को दी गई सुविधा/जारी रखी गई है।
- आ. कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा बनाई गई कोई भी प्रतिभूति और/या, किसी अन्य लेनदेन दस्तावेजों के तहत निष्पादित या ऋणदाता के पक्ष में निष्पादित किया जाना है और जिसके खिलाफ ऋणदाता पहले ही विस्तारित कर चुका है या सुविधा का विस्तार करेगा, वर्तमान लेनदेन दस्तावेजों के तहत विस्तारित सुविधा के लिए एक सतत सुरक्षा होगी और सुरक्षा पहले से ही बढ़ाई गई या बढ़ाई जानी है, तब तक छुट्टी नहीं दी जाएगी जब तक कि ऋणदाता से पहले से ही प्राप्त की गई या प्राप्त की जाने वाली सभी सुविधाओं का पूरा भुगतान नहीं किया जाता है और ऋणदाता की संतुष्टि के लिए छुट्टी नहीं दी जाती है।
- इ. कि ऋणदाता के पास वर्तमान में, अतीत में या भविष्य में निष्पादित किसी भी लेनदेन दस्तावेज के तहत ऋणदाता के पक्ष में बनाई गई ऐसी सभी प्रतिभूतियों पर ग्रहणाधिकार और सेट ऑफ का अधिकार होगा, और अधोहस्ताक्षरी के सभी धन, जमा, परिसंपत्तियों और अन्य संपत्तियों के खिलाफ, जो ऋणदाता (या उसके किसी भी समूह की कंपनी) के साथ/नियंत्रण में जमा किए जाते हैं।
- ई. ऋणदाता अनापत्ति प्रमाण पत्र को रोकने और/या कोई बकाया प्रमाण पत्र जारी करने को रोकने और/या अपने विवेकाधिकार में, किसी भी ऋण/सुविधा/ऋण सुविधा के लिए बनाई गई सुरक्षा को रोक सकता है, जो वर्तमान लेनदेन दस्तावेजों के तहत ऋण/सुविधा/ऋण सुविधा का लाभ उठाने से पहले या बाद में अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राप्त अन्य सभी ऋण/सुविधा/ऋण सुविधा के बंद होने तक लंबित है।
- उ. समझौते के तहत बनाई गई प्रतिभूति और अधोहस्ताक्षरी की देयता को किसी भी अधोहस्ताक्षरी के नाम में किसी भी परिवर्तन, विलय या समामेलन, पुनर्निर्माण, प्रबंधन के अधिग्रहण, विघटन या राष्ट्रीयकरण (जैसा भी मामला हो) में किसी भी परिवर्तन से प्रभावित, बिगड़ा हुआ या निर्वहन नहीं किया जाएगा।
- ऊ. ऋणदाता के साथ किसी अन्य समझौते के तहत अधोहस्ताक्षरी द्वारा किए जा रहे किसी भी चूक की स्थिति में, जिसके तहत अधोहस्ताक्षरी वित्तीय/ऋण सुविधा का आनंद ले रहा है, ऐसी घटना को वर्तमान लेनदेन दस्तावेजों के तहत होने वाली चूक की घटना के रूप में माना जाएगा और ऋणदाता, समझौते के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करने का पूरी तरह से हकदार होगा, जिसमें किसी भी राशि के संबंध में सेट ऑफ करने का अधिकार शामिल है। बैंक से प्राप्त किए गए/प्राप्त किए जाने वाले किसी भी ऋण/सुविधा (ऋण) में अधोहस्ताक्षरी का ऋण।
- पाँच. यहां कुछ भी बैंक के लिए उपलब्ध किसी भी सामान्य ग्रहणाधिकार, सेट-ऑफ या अन्य अधिकारों या उपायों के संचालन को प्रतिबंधित नहीं करेगा, चाहे कानून द्वारा या अन्यथा, और सामान्य ग्रहणाधिकार, सेट-ऑफ और क्रॉस संपार्श्विक का यह पत्र बैंक द्वारा आयोजित किसी भी ग्रहणाधिकार, गारंटी, बंधक, हाइपोथिकेशन या सुरक्षा के लिए अतिरिक्त और पूर्वाग्रह के बिना है;
- छ. सामान्य ग्रहणाधिकार, सेट-ऑफ और क्रॉस कोलैटरलाइजेशन का यह पत्र भारत के कानूनों के अनुसार शासित है और इसका अर्थ लगाया जाएगा और इसके द्वारा अधोहस्ताक्षरी जयपुर में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में अपरिवर्तनीय रूप से प्रस्तुत करता है। अधोहस्ताक्षरी आगे बैंक के अनुरोध पर, अधोहस्ताक्षरी की ओर से भारत में किसी भी कानूनी प्रक्रिया की सेवा स्वीकार करने के लिए भारत में एक पते के साथ एक एजेंट को नामित करने का वचन देता है और ऐसा एजेंट बैंक को लिखित रूप में स्वीकार करेगा कि ऐसे एजेंट के रूप में इसकी नियुक्ति और ऐसे एजेंट पर कानूनी प्रक्रिया की सेवा को अधोहस्ताक्षरी पर सेवा का गठन माना जाएगा।
- सात. पार्टियां स्वीकार करती हैं और सहमत होती हैं कि इस पत्र की तारीख नीचे उल्लिखित तारीख होगी। यदि इस पत्र में तारीख खाली रखी गई है और यदि दस्तावेज़ डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित है, तो इस पत्र की तारीख वह तारीख होगी जब पत्र पर किसी भी अधोहस्ताक्षरी/निष्पादक ("अंतिम डिजिटल तिथि") द्वारा डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतिम हस्ताक्षर किए गए थे। सुविधा/ऋण के संबंध में निष्पादित दस्तावेजों के निष्पादन की तारीख के संबंध में, वही समझ लागू की जाएगी जहां दस्तावेज़ पर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं।

नाम	दस्तखत देखिए।	तारीख	स्थान
-----	---------------	-------	-------

कर्जदार			
सह-उधारकर्ता			
सह-उधारकर्ता			

अनुलग्नक II

(एसएमए, एनपीए वर्गीकरण और एनपीए उन्नयन सावधि ऋण मामलों का उदाहरण)

एक. आईआरएसी परिपत्र पैरा नंबर 2.1.2 का उल्लेख करें (i) - सावधि ऋण के संबंध में 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए ब्याज और/या मूलधन की किस्त अतिदेय रहती है उदाहरण विवरण - एसएमए और एनपीए अतिदेय तिथि के आधार पर सावधि ऋण मामलों का वर्गीकरण। उदाहरण विवरण: यदि ऋण खाते की देय तिथि 31 मार्च, 2021 है, और ऋण देने वाली संस्था द्वारा इस तिथि को दिन-अंत प्रक्रिया चलाने से पहले पूर्ण बकाया प्राप्त नहीं होता है, तो अतिदेय की तिथि 31 मार्च, 2021 होगी। यदि यह अतिदेय रहता है, तो इस खाते को 30 अप्रैल, 2021 को दिन-अंत प्रक्रिया चलने पर एसएमए-1 के रूप में टैग किया जाएगा, यानी लगातार अतिदेय होने के 30 दिन पूरे होने पर। तदनुसार, उस खाते के लिए एसएमए-1 वर्गीकरण की तारीख 30 अप्रैल, 2021 होगी। इसी तरह, यदि खाता अतिदेय रहता है, तो इसे 30 मई, 2021 को दिन-अंत प्रक्रिया चलने पर एसएमए-2 के रूप में टैग किया जाएगा और यदि आगे भी अतिदेय रहता है, तो इसे 29 जून को दिन-अंत प्रक्रिया चलाने पर एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। 2021. इसे नीचे दी गई तालिका के रूप में और विस्तृत किया गया है:

तारीख	डीपीडी	वर्गीकरण
"31-मार्च-21 (नियत तारीख)"	1	एसएमए-0
30-अप्रैल-21	3 1	एसएमए-1
30-मई-21	6 1	एसएमए-2
29-जून-21	9 1	एनपीए

आईआरएसी परिपत्र पैरा संख्या 4.2.5 का उल्लेख करें - यदि एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में उधारकर्ता द्वारा ब्याज और मूलधन के बकाया का भुगतान किया जाता है, तो खाते को अब गैर-निष्पादित नहीं माना जाना चाहिए और इसे 'मानक' खातों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

उदाहरण विवरण - एनपीए खाते का उन्नयन: एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों को 'मानक' परिसंपत्ति के रूप में अपग्रेड किया जा सकता है, यदि ब्याज और मूलधन के पूरे बकाया का भुगतान उधारकर्ता द्वारा किया जाता है

तारीख	देय राशि	डीपीडी	वर्गीकरण
"31-मार्च-21 (नियत तारीख)"	10000	1	एसएमए-0
30-अप्रैल-21	10000	3 1	एसएमए-1
30-मई-21		6 1	एसएमए-2
31-मई-21	10000		
29-जून-21		9 1	एनपीए
30-जून-21	10000		
1-जुलाई-21			अपग्रेडेशन*

*खाते को मानक श्रेणी में अपग्रेड करने के बाद उधारकर्ता से कुल 40000 रुपये का बकाया प्राप्त होने के बाद किया जा सकता है।
खाता होना

दो. आईआरएसी परिपत्र संदर्भ पैरा संख्या 4.2.7 (सी) - परिसंपत्ति वर्गीकरण उधारकर्ता-वार होना चाहिए और सुविधा-वार नहीं पैरा संख्या 4.2.7.1 - ऐसी स्थिति की कल्पना करना मुश्किल है जब उधारकर्ता को केवल एक सुविधा/उधारकर्ता द्वारा जारी की गई किसी भी प्रतिभूतियों में एक निवेश एक समस्या क्रेडिट/निवेश बन जाता है और अन्य नहीं। इसलिए, बैंक द्वारा उधारकर्ता को दी जाने वाली सभी सुविधाएं और उधारकर्ता द्वारा जारी की गई सभी प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीए/एनपीआई के रूप में माना जाएगा, न कि विशेष सुविधा/निवेश या उसका हिस्सा जो अनियमित हो गया है।

उदाहरण विवरण - एनपीए वर्गीकरण उधारकर्ता के आधार पर और सुविधा के आधार पर नहीं।

उदाहरण: यदि ग्राहक की किसी भी सुविधा को आज की तारीख में दिन-अंत प्रक्रिया चलाने पर एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो ग्राहक की सभी सुविधाओं को उसी दिन एनपीए वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है। इसे नीचे दी गई तालिका के रूप में समझाया गया है:

कस्टमर आईडी	सुविधा का नाम	तारीख	एनपीए कारण
A	सावधि ऋण 1	29-जून-21	उपरोक्त उदाहरण के अनुसार वर्गीकृत एनपीए
A	सावधि ऋण 2	29-जून-21	ग्राहक के कारण एनपीए वर्गीकृत एक सावधि ऋण 1 वर्गीकृत है

A	कैश क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट	29-जून-21	ग्राहक के कारण एनपीए एनपीए वर्गीकृत एक सावधि ऋण 1 है वर्गीकृत एनपीए
---	------------------------	-----------	--

आईआरएसी परिपत्र पैरा संख्या 4.2.5 का उल्लेख करें - यदि एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में उधारकर्ता द्वारा ब्याज और मूलधन के बकाया का भुगतान किया जाता है, तो खाते को अब गैर-निष्पादित नहीं माना जाना चाहिए और इसे 'मानक' खातों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

उदाहरण विवरण - एनपीए खाते का उन्नयन: एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों को अपग्रेड किया जा सकता है यदि उधारकर्ता की सभी सुविधाओं में ब्याज और मूलधन के बकाया का भुगतान किया जाता है

कस्टमर आईडी	सुविधा का नाम	तारीख	एनपीए कारण
A	सावधि ऋण 1	29-जून-21	उपरोक्त उदाहरण के अनुसार वर्गीकृत एनपीए
A	सावधि ऋण 2	29-जून-21	ग्राहक के कारण एनपीए वर्गीकृत एक सावधि ऋण 1 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है
A	कैश क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट	29-जून-21	ग्राहक के कारण एनपीए वर्गीकृत एक सावधि ऋण 1 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है
A	सावधि ऋण 1	15-जुलाई-21	अपग्रेड करें*
A	सावधि ऋण 2	15-जुलाई-21	अपग्रेड करें*
A	कैश क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट	15-जुलाई-21	अपग्रेड करें*

*उधारकर्ता के खातों का मानक में उन्नयन तब किया जा सकता है जब उधारकर्ता की सभी सुविधाओं में ब्याज और मूलधन के बकाया का भुगतान किया जाता है

घोषणा

उधारकर्ता स्वीकार करता है कि उसने इस समझौते की अनुसूचियों और अनुलग्नकों सहित इस समझौते की सभी पूर्वगामी शर्तों को पढ़ लिया है और इस समझौते के अंतिम पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर (भौतिक/डिजिटल, जैसा भी मामला हो)/अंगूठे का निशान/सामान्य मुहर लगा रहा है। उधारकर्ता आगे सहमत होता है और पुष्टि करता है कि पार्टियों को इस समझौते के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होगी और इस समझौते के अंतिम पृष्ठ पर हस्ताक्षर इस समझौते के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त होंगे।

उधारकर्ता पुष्टि करता है कि इस समझौते में ऊपर जो कुछ भी कहा गया है, वह अपने ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और उधारकर्ता ने स्वेच्छा से इस समझौते में प्रवेश किया है, इसके प्रभाव की पूरी जानकारी के साथ और अंतिम पृष्ठ पर इस समझौते पर हस्ताक्षर करने का अर्थ इस समझौते के प्रत्येक पृष्ठ और अन्य सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना होगा।

गवाही में जिसके तहत मैं/हम अपने हाथ सेट करने के लिए

उधारकर्ता के लिए उपर्युक्त उधारकर्ता/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नाम द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित: भीतर नामित उधारकर्ता की ओर से	दस्ताखत देखिए।:
सह-उधारकर्ता के लिए उपर्युक्त सह-उधारकर्ता/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नाम द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित: भीतर की ओर से नामित सह-उधारकर्ता	दस्ताखत देखिए।:
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के लिए इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/गठित अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया नाम: नामित बैंक/AUSFB की ओर से	दस्ताखत देखिए।:

डेबिट प्राधिकरण पत्र

प्रति,
 AUSMALLFINANCEBANKLIMITED
 19-ए, धुलेश्वर गार्डन,,

अजमेर रोड,
जयपुर - 302001,

प्रिय महोदय/महोदया

विषय: डेबिट प्राधिकरण

यह आपके स्वीकृति पत्र के संदर्भ में है जैसा कि अनुसूची में उल्लिखित हमें ऋण/ऋण सुविधाएं प्रदान करने वाली अनुसूची में उल्लिखित है। अनुसूची में उल्लिखित उधारकर्ता एतद्वारा आपको अनुसूची में उल्लिखित मेरे/हमारे ऋण खाता संख्या और/या एसबी/सीए/सीसी/ओडी खाता संख्या को डेबिट करने के लिए अधिकृत करते हैं, जैसा कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ अनुसूचीबद्ध अनुसूची में उल्लिखित है, जैसा कि प्रसंस्करण शुल्क के लिए अनुसूची में उल्लिखित है, ब्याज, किश्त, व्यय, अन्य शुल्क, कमीशन, लागत, बीमा प्रीमियम और मूल राशि जो उपर्युक्त स्वीकृति पत्र में उल्लिखित स्वीकृत नियमों और शर्तों के अनुसार उपरोक्त ऋण सुविधाओं के संबंध में लागू हो सकती है।

पार्टियां स्वीकार करती हैं और सहमत होती हैं कि इस पत्र की तारीख अनुसूची में उल्लिखित तारीख होगी। यदि इस पत्र की अनुसूची के तहत तारीख को खाली रखा जाता है और यदि दस्तावेज़ डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित है, तो इस पत्र की तारीख वह तारीख होगी जब पत्र पर अंतिम बार उधारकर्ता/निष्पादक द्वारा डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर किए गए थे ("अंतिम डिजिटल तिथि")। सुविधा/ऋण के संबंध में निष्पादित दस्तावेजों के निष्पादन की तारीख के संबंध में, वही समझ लागू की जाएगी जहां दस्तावेज़ पर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं।

हम जानते हैं कि इस पत्र के विश्वास पर आप हमें उक्त ऋण/ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहमत हुए हैं। आपका अपना

उधारकर्ता के लिए उपर्युक्त उधारकर्ता/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नाम द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित: नामित उधारकर्ता/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की ओर से	दस्तखत देखिए!:
--	----------------

अनुसूची - I			
S.No।	विवरण	विवरण	या क्रिस्म
1.	निष्पादन का विवरण	तारीख	
		स्थान	
2.	स्वीकृति पत्र	हवाला:	
		दिनांक:	
3.	सुविधा विवरण	सुविधा का प्रकार	
		कुल धनराशि	
4.	उधारकर्ता का विवरण	नाम	
		पता	
5.	ऋण खाता संख्या/ एसबी/सीए/सीसी/ओडी खाता संख्या		
6.	बैंक की शाखा		

अंतिम उपयोग पत्र

प्रति,
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड,
SURAT_ALAY COMPLEX_ASSET केंद्र 9114

रेफरी: ऋण आवेदन संख्या जैसा कि अनुसूची में उल्लिखित है और ऋण खाता संख्या जैसा कि अनुसूची में उल्लिखित उधारकर्ता के नाम पर अनुसूची में उल्लेख किया गया है

उप: एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ("बैंक") से उधार ली गई धनराशि का अंतिम उपयोग

प्रिय महोदय,

मैं/हम, आवेदन संख्या देखें। और अनुसूची में उल्लिखित तिथि। मैंने/हमने अनुसूची ("सुविधा") में उल्लिखित सुविधा समझौते ("सुविधा समझौते") के माध्यम से अनुसूची ("सुविधा") में उल्लिखित सुविधा का लाभ उठाया था। इस सुविधा का उपयोग नीचे उल्लिखित उद्देश्य के लिए किया जाता है जैसा कि अनुसूची में उल्लेख किया गया है

मैं/हम एतद्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं, वारंट करते हैं और पुष्टि करते हैं कि उपरोक्त उद्देश्य एक वैध उद्देश्य है और किसी भी तरह से सट्टा या अवैध नहीं है।
मैं/हम आगे सहमत हैं, पुष्टि करते हैं और वचन देते हैं कि सुविधा के तहत धन के उपयोग का उद्देश्य सुविधा समझौते के तहत सुविधा की अवधि के दौरान किसी भी तरह से नहीं बदला जाएगा/नहीं बदला जाएगा; या कि उद्देश्य में ऐसा परिवर्तन केवल बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के साथ होगा।

मैं/हम सहमत हैं कि उपरोक्त सभी या किसी भी उपक्रम (उपक्रमों) का अनुपालन करने में कोई भी उल्लंघन या चूक सुविधा समझौते के तहत डिफ़ॉल्ट की घटना का गठन करेगी और/या ऋणदाता अपने विवेकाधिकार पर आवश्यक कोई भी त्वरित कार्रवाई शुरू कर सकता है, जिसमें सुविधा को वापस लेना शामिल है और सीमित नहीं है।

मैं/हम सहमत हैं कि उपरोक्त सभी उपक्रमों (उपक्रमों) के अनुपालन में कोई भी उल्लंघन या चूक सुविधा समझौते के तहत डिफ़ॉल्ट की घटना का गठन करेगी।

पार्टियां स्वीकार करती हैं और सहमत होती हैं कि इस पत्र की तारीख अनुसूची में उल्लिखित तारीख होगी। यदि इस पत्र की अनुसूची के तहत तारीख को खाली रखा जाता है और यदि दस्तावेज़ डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित है, तो इस पत्र की तारीख वह तारीख होगी जब पत्र पर अंतिम बार उधारकर्ता/निष्पादक द्वारा डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर किए गए थे ("अंतिम डिजिटल तिथि")। सुविधा/ऋण के संबंध में निष्पादित दस्तावेजों के निष्पादन की तारीख के संबंध में, वही समझ लागू की जाएगी जहां दस्तावेज़ पर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं।

अनुसूची			
S.No।	विवरण	विवरण	या क्रिस्म
1.	निष्पादन का विवरण	तारीख	
		स्थान	
2.	उधारकर्ता का विवरण	नाम	
		पता	
3.	आवेदन का विवरण	संख्या	
		तारीख	
4.	सुविधा राशि		
5.	सुविधा समझौते की तिथि		
6.	उद्देश्य		
7.	ऋण खाता सं.		

उधारकर्ता के लिए उपर्युक्त उधारकर्ता/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नाम द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित: भीतर नामित उधारकर्ता की ओर से	दस्तखत देखिए।:
सह-उधारकर्ता के लिए उपर्युक्त सह-उधारकर्ता/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नाम द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित: भीतर की ओर से नामित सह-उधारकर्ता	दस्तखत देखिए।:

दोहरे हस्ताक्षर/नाम निर्मातृता

I.....

एस/ओ, डब्ल्यू/ओ, डी/ओ

.....

.....

लगभग वृद्ध..... वर्षों, पूरी तरह से पुष्टि करते हैं कि:

- एक. मेरा नाम
- दो. मुझे के नाम से भी जाना जाता है
- तीन. दोनों हस्ताक्षर यानी, और
- चार. कि मेरे हस्ताक्षर हैं
- कि उपरोक्त नामों और हस्ताक्षरों के अलावा मैं किसी अन्य तरीके से नाम और हस्ताक्षर नहीं करता।

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं, उपरोक्त नाम के गवाह एतद्वारा सत्यापित करते हैं कि मेरे उपरोक्त हलफनामे की सामग्री मेरे ज्ञान और विश्वास के लिए सही और सही है और वहां से कुछ भी सामग्री छिपाई नहीं गई है।

..... पर सत्यापित (स्थान) इस
..... का दिन

अभिसाक्षी

हस्ताक्षर सत्यापन पत्र

यह प्रमाणित करने के लिए है कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित इकाई नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित बैंक के साथ एक चालू/बचत बैंक खाता धारण कर रही है, जैसा कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित है, और उस खाते को अपने व्यवसाय/गतिविधियों के सामान्य पाठ्यक्रम में संचालित कर रही है। खाते के संचालन के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित है। नीचे दिए गए उसके हस्ताक्षर कर्तव्य सत्यापित हैं (बैंक के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार।

पार्टियां स्वीकार करती हैं और सहमत होती हैं कि इस पत्र की तारीख अनुसूची में उल्लिखित तारीख होगी। यदि इस पत्र की अनुसूची के तहत तारीख को खाली रखा जाता है और यदि दस्तावेज़ डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित है, तो इस पत्र की तारीख वह तारीख होगी जब पत्र पर पार्टियों द्वारा डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतिम बार हस्ताक्षर किए गए थे ("अंतिम डिजिटल तिथि")। सुविधा/ऋण के संबंध में निष्पादित दस्तावेजों के निष्पादन की तारीख के संबंध में, वही समझ लागू की जाएगी जहां दस्तावेज़ पर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं।

अनुसूची			
S.No।	विवरण	विवरण	या क्रिस्म
1.	निष्पादन का विवरण	तारीख	
		स्थान	
2.	इकाई का विवरण	नाम	

		पता	
3.	बैंक खाते का विवरण	संख्या	
		बैंक का नाम	
		अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता	
उधारकर्ता के लिए उपर्युक्त उधारकर्ता/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया नाम: दस्तखत देखिए।: नामित उधारकर्ता/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की ओर से			
बैंक के लिए उपर्युक्त बैंक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/शाखा द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया मैनेजर नाम: दस्तखत देखिए।: नामित बैंक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/शाखा प्रबंधक की ओर से			

स्थायी निर्देश/जनादेश/एनएसीएच

से:
दिनांक:
प्रति:
शाखा प्रमुख,
SURAT_ALAY COMPLEX_ASSET केंद्र,
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पुनः स्थायी निर्देशों/अधिदेश/मौजूदा एनएसीएच का निष्पादन
प्रिय महोदय,
यह मेरे ऋण आवेदन संख्या के संदर्भ में है..... दिनांकित
(..... रुपये की राशि के ऋण के लिए केवल) को प्रस्तुत किया गया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ("बैंक")। मेरी कस्टमर आईडी है.....
मैं आपको रुपये की राशि डेबिट करने के लिए अधिकृत करता हूं (रुपये केवल) पर..... हर महीने की शुरुआत बैंक के साथ मेरी बचत/चालू खातों से, आपके कारण मासिक ईएमआई होने के नाते।

यह निर्देश अपरिवर्तनीय है। आपका अपना

उधारकर्ता के लिए उपर्युक्त उधारकर्ता/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नाम द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित: भीतर नामित उधारकर्ता की ओर से	दस्तखत देखिए।:
---	----------------

हाइपोथिकेशन का अप्रमाणित विलेख

हाइपोथिकेशन का यह विलेख

("विलेख") अनुसूची 1 में उल्लिखित तिथि और स्थान पर

अनुसूची 1 (उधारकर्ता का विवरण) में निर्धारित व्यक्तियों द्वारा बनाया और निष्पादित किया जाता है (इसके बाद "उधारकर्ता" के रूप में संदर्भित, जो अभिव्यक्ति तब तक होगी जब तक कि यह अर्थ या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इसका मतलब समझा जाएगा और इसमें इसके उत्तराधिकारी (ओं) और अनुमत असाइन (ओं) को शामिल किया जाएगा; के पक्ष में

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, एक लघु वित्त बैंक है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 19-ए धुलेश्वर गार्डन, जयपुर, राजस्थान में है (इसके बाद "ऋणदाता" के रूप में संदर्भित, जो अभिव्यक्ति, जब तक कि यह विषय, अर्थ या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इसका अर्थ समझा जाएगा और इसके उत्तराधिकारी (ओं) को शामिल किया जाएगा और अन्य भाग के अनुमत असाइन (ओं) को शामिल किया जाएगा।

उधारकर्ता और ऋणदाता को सामूहिक रूप से इसके बाद "पक्षों" के रूप में और व्यक्तिगत रूप से "पार्टी" के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

जबकि:

- अ. उधारकर्ता ने स्वीकृति पत्र में उल्लिखित ऋण/ऋण सुविधा के लिए ऋणदाता से संपर्क किया है और ऋणदाता उधारकर्ता के अनुरोध पर, उधारकर्ता को अनुसूची 1 में उल्लिखित राशि का ऋण देने के लिए सहमत हो गया है (इसके बाद "ऋण/ऋण सुविधा" के रूप में संदर्भित) ऋण प्राप्त करने के लिए उधारकर्ता द्वारा निष्पादित ऋण/ऋण सुविधा समझौते में उल्लिखित उद्देश्य के अधीन और उसके अनुसार ऋणदाता (इसके बाद "ऋण/ऋण सुविधा समझौते" के रूप में संदर्भित)।
- आ. उधारकर्ता ने ऋणदाता द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों को स्वीकार कर लिया है और ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को ऋण/ऋण सुविधा प्रदान करने के विचार में, उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि वह अन्य बातों के साथ-साथ अपनी परिसंपत्तियों के हाइपोथिकेशन के माध्यम से स्वीकृति पत्र के अनुसार पहले और अनन्य शुल्क/समान पांशी प्रभार द्वारा ऋण/ऋण सुविधा को सुरक्षित करेगा।
- इ. ऋणदाता ने उधारकर्ता से इन उपहारों को निष्पादित करने के लिए कहा है जो उधारकर्ता ने इसके बाद व्यक्त किए गए तरीके से करने के लिए सहमति व्यक्त की है।

अब यह विलेख इस प्रकार गवाह है:

एक. परिभाषाएँ और व्याख्याएँ

इस विलेख के सभी उद्देश्यों के लिए नीचे अन्यथा परिभाषित नहीं की गई पूंजीकृत शर्तों का ऋण/ऋण सुविधा समझौते में निर्दिष्ट अर्थ होगा।

1.1 परिभाषित शर्तें

जैसा कि इस विलेख में उपयोग किया गया है, निम्नलिखित शब्दों के निम्नलिखित अर्थ होंगे:

"लागू कानून" का अर्थ है, किसी भी व्यक्ति के संबंध में, सभी कानूनों, कानूनों, संधियों, नियमों, विनियमों, निर्धारण, आदेशों, रिट, प्रक्रियाओं, डिक्री, निषेधाज्ञा, निर्णय, या एक मध्यस्थ के पुरस्कार, एक अदालत या किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण, और सभी सरकारी प्राधिकरण पर बाध्यकारी या लागू करने के लिए बाध्यकारी या ऐसे व्यक्ति या उसकी किसी भी संपत्ति या संपत्ति के लिए. "परिसंपत्तियों" का अर्थ होगा सभी वर्तमान और भविष्य की चल संपत्तियाँ, प्राप्य और ऋण परिसंपत्तियाँ, वर्तमान परिसंपत्तियाँ, संयंत्र और मशीनरी जैसा कि ऋणदाता द्वारा परिकल्पित किया गया है और जैसा कि अनुसूची-1 में वर्णित है।

"ऋण परिसंपत्ति" का अर्थ उधारकर्ता के देनदार से उधारकर्ता को देय सभी राशियाँ होंगी जो प्रासंगिक समय पर उधारकर्ता की खातों की पुस्तकों के अनुसार और जो 89 दिनों से अधिक समय से अतिदेय नहीं रही हैं और इसमें देय ब्याज शामिल होगा।

"प्राप्तियाँ" का अर्थ होगा सभी नकदी प्रवाह, धन, अन्य आय और अन्य राशियाँ, वर्तमान और भविष्य, उधारकर्ता के व्यवसाय से उत्पन्न होने वाली या उससे उत्पन्न होने वाली राशि, जिसमें बिना किसी सीमा के, प्राप्य कोई भी राशि (उधारकर्ता के व्यवसाय के संबंध में किसी भी शेष प्राप्तियों सहित) और, या, उधारकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाना है, और ऋणदाता के निर्देशों के अनुसार उसके द्वारा प्राप्त किसी भी बीमा के लिए उधारकर्ता से संबंधित सभी बीमा आय भी शामिल होगी।

"बकाया राशि" का अर्थ है समय-समय पर बकाया ऋण/ऋण सुविधा की मूल राशि, और सभी ब्याज, दंडात्मक शुल्क, अतिदेय ईएमआई/किस्त / राशि/ब्याज पर ब्याज, व्यय, पूर्व भुगतान ब्याज, शुल्क, लागत, कमीशन, शुल्क और ऋण/ऋण सुविधा समझौते के तहत या उसके संबंध में देय अन्य राशियाँ।

1.2 व्याख्या के सिद्धांत इस विलेख का अर्थ लगाते समय:

- (१) पार्टियों के संबंधित दायित्वों के प्रदर्शन में समय का सार है। यदि यहां निर्दिष्ट कोई समय अवधि बढ़ाई जाती है, तो ऐसा विस्तारित समय भी महत्वपूर्ण होगा;
- (२) जब तक संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो, एकवचन आयात करने वाले शब्दों में बहुवचन और इसके विपरीत शामिल होंगे;
- (३) लेख और अनुसूची शीर्षक केवल संदर्भ के लिए हैं और इस विलेख के निर्माण या व्याख्या को प्रभावित नहीं करेंगे;
- (४) लेखों और अनुसूचियों के संदर्भ लेखों और अनुसूचियों के संदर्भ हैं और इस विलेख के लिए;
- (५) अनुलग्नक और अनुसूचियाँ इस विलेख का एक अभिन्न अंग हैं। विलेख के किसी भी लेख और अनुलग्नक और अनुसूचियों में से किसी के बीच किसी भी संघर्ष की स्थिति में, अनुच्छेद का प्रावधान प्रबल होगा;
- (६) इस विलेख, किसी भी अन्य विलेख, दस्तावेज, उपकरण, नियम, विनियमन, अधिसूचना, कानून या इसी तरह के किसी भी समझौते के संदर्भ का मतलब उसी का संदर्भ होगा जिसे विधिवत संशोधित, संशोधित या प्रतिस्थापित किया जा सकता है। संदेह से बचने के लिए, एक दस्तावेज को संशोधित, संशोधित या प्रतिस्थापित के रूप में केवल तभी माना जाएगा जब इस तरह के संशोधन, संशोधन या प्रतिस्थापन को ऐसे दस्तावेज (दस्तावेजों) के प्रावधानों के अनुपालन में निष्पादित किया जाता है;
- (७) जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, समय अवधि जिसके भीतर या उसके बाद कोई भुगतान किया जाना है या कार्य किया जाना है,

उस दिन को छोड़कर गणना की जाए जिस दिन अवधि शुरू होती है और उस दिन को शामिल करके जिस दिन अवधि समाप्त होती है और यदि ऐसी अवधि का अंतिम दिन व्यावसायिक दिवस नहीं है तो अवधि को अगले व्यावसायिक दिवस तक बढ़ाकर;

- (८) शब्द "यहाँ", "यहाँ", "यहाँ", "यहाँ" और इसी तरह के तात्पर्य के शब्द इस विलेख को समग्र रूप से संदर्भित करते हैं;
- (९) इस विलेख में विशिष्ट उदाहरण (उदाहरणों) के बाद "सहित" शब्द का उपयोग इसके पहले के सामान्य शब्दों के अर्थ को सीमित करने के रूप में नहीं माना जाएगा;
- (१०) जहाँ भी संदर्भ की आवश्यकता होती है, 'उधारकर्ता' शब्द को संदर्भित करने के लिए मर्दाना लिंग के उपयोग का अर्थ होगा और इसे स्त्री लिंग के रूप में माना जाएगा। यदि सह-उधारकर्ता द्वारा ऋण/ऋण सुविधा का लाभ उठाया जाता है, तो "उधारकर्ता" शब्द में सह-उधारकर्ता शामिल होगा, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो।
- (११) जहाँ भी संदर्भ की आवश्यकता होती है, एक उधारकर्ता से संबंधित लेख जो एक व्यक्तिगत/एकमात्र स्वामित्व वाली चिंता, साझेदारी फर्म, कंपनी, समाज, संयुक्त देयता समूह है, ऐसी व्यक्तिगत/एकल स्वामित्व वाली चिंता, साझेदारी फर्म, कंपनी, समाज, संयुक्त देयता समूह पर इकाई के प्रकार के आधार पर लागू होगा।
- (१२) यहाँ परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों की व्याख्या और अर्थ सामान्य खंड अधिनियम, 1897 के संदर्भ में उन्हें सौंपा जाएगा।
- (१३) एक "व्यक्ति" या "व्यक्ति" (या किसी व्यक्ति को आयात करने वाले शब्द के लिए) के संदर्भ का अर्थ लगाया जाएगा ताकि इसमें शामिल हो:
- (अ) व्यक्तिगत, एकल स्वामित्व, फर्म, साझेदारी, सीमित देयता साझेदारी, ट्रस्ट, संयुक्त उद्यम, कंपनी, निगम, निकाय कॉर्पोरेट, अनिगमित निकाय, संघ, संगठन, किसी भी सरकारी प्राधिकरण या अन्य इकाई या संगठन (चाहे प्रत्येक मामले में अलग-अलग कानूनी व्यक्तित्व हो या नहीं);
- (आ) शीर्षक में उस व्यक्ति के उत्तराधिकारी, निष्पादक, और अनुमत हस्तांतरणकर्ता और अनुमत समनुदेशी; तथा
- (इ) किसी व्यक्ति के प्रतिनिधियों का संदर्भ उसके अधिकारियों, कर्मचारियों, कानूनी या अन्य पेशेवर सलाहकारों, उपठेकेदारों, एजेंटों, वकीलों और अन्य विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों के लिए होगा।
- (१४) किसी भी मामले की भौतिकता या तर्कसंगतता के संबंध में ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच किसी भी असहमति या विवाद की स्थिति में, भौतिकता के बारे में ऋणदाता की राय अंतिम और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगी।
- (१५) किसी भी कानून या वैधानिक प्रावधान के संदर्भ में शामिल होंगे:
- (अ) उस कानून या सांविधिक प्रावधान (चाहे संशोधित, संशोधित, पुनः अधिनियमित या समेकित या समेकित) के तहत समय-समय पर बनाए गए अधीनस्थ या प्रत्यायोजित विधान (चाहे नियमों, अधिसूचनाओं, उप-नियमों और दिशानिर्देशों के माध्यम से) सहित सभी सांविधिक लिखत या आदेश (चाहे संशोधित, संशोधित, पुनः अधिनियमित या समेकित); तथा
- (आ) इस तरह के प्रावधान, समय-समय पर संशोधित, संशोधित, पुनः अधिनियमित या समेकन, इस तरह के संशोधन, संशोधन, पुनः अधिनियमन या समेकन के रूप में लागू होता है या इस विलेख के तहत दर्ज किए गए किसी भी लेनदेन पर लागू करने में सक्षम है और (जिस सीमा तक देयता मौजूद हो सकती है या उत्पन्न हो सकती है) में कोई पिछला कानून या सांविधिक प्रावधान शामिल होगा (समय-समय पर संशोधित, संशोधित, पुनः अधिनियमित या समेकित) जिसे संदर्भित कानून या वैधानिक प्रावधान ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बदल दिया है।

दो. भुगतान/चुकाने की वाचा

ऋण/ऋण सुविधा करार के अनुसरण में और ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को दी गई ऋण/ऋण सुविधा प्रदान की जाने और अग्रिम करने के लिए सहमति व्यक्त की गई ऋण/ऋण सुविधा को ध्यान में रखते हुए, उधारकर्ता अनुबंध करता है और इस बात से सहमत होता है कि उधारकर्ता ऋण/ऋण सुविधा, या उसके किसी भी भाग और ब्याज भुगतान, दंडात्मक शुल्क सहित अन्य भुगतानों का पुनर्भुगतान करेगा। अतिदेय ईएमआई/किस्त/राशि/ब्याज, प्रभार, लागत पर ब्याज ऋण/ऋण सुविधा समझौते में निर्दिष्ट etc.as है (जब भी ऋण/ऋण सुविधा समझौते में विशेष रूप से निर्दिष्ट भुगतान के लिए देय होता है) और ऋण/ऋण सुविधा समझौते में निर्धारित तरीके से देय सभी बकाया राशियों का भुगतान करेगा और उक्त ऋण/ऋण सुविधा समझौते के सभी नियमों और शर्तों का विधिवत पालन करेगा और उनका निष्पादन करेगा।

तीन. चार्जिंग क्लॉज

तीन.एक बकाया राशि के लिए सुरक्षा के रूप में और किसी भी अन्य शुल्क, लागत (वकील और ग्राहक के बीच) और उसके संबंध में ऋणदाता द्वारा देय या खर्च किए गए खर्चों के भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में, उधारकर्ता इसके द्वारा ऋणदाता के पक्ष में सभी वर्तमान और भविष्य की संपत्तियों को अभी या किसी भी समय ऋण समझौते/इस विलेख की निरंतरता के दौरान चार्ज करता है और परिकल्पना करता है। परिसंपत्तियां हाइपोथिकेटेड रहेंगी और उधारकर्ता द्वारा उक्त बकाया राशि के ऋणदाता को भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में ऋणदाता के प्रभार में रहेंगी। स्वीकृति पत्र के अनुसार परिसंपत्तियों पर सृजित प्रभार-सह-हाइपोथिकेशन को प्रथम और अनन्य/समान पासु/द्वितीय प्रभार के रूप में रैंक किया जाएगा।

तीन.दो यदि शुल्क समान आधार पर बनाया जाता है, तो उधारकर्ता अन्य ऋणदाताओं से अपनी सामान्य जरूरतों के लिए अतिरिक्त धन उधार लेने के लिए स्वतंत्र होगा। उधारकर्ता स्वीकृति पत्र के अनुसार समय सीमा के भीतर प्रतिभूति पर समान पासु शुल्क देने के लिए बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार सुविधा के लिए सुरक्षा कवर को न्यूनतम सहमत अनुपात, यदि कोई हो, पर रखा जाना चाहिए।

तीन.तीन उधारकर्ता, ऋण/ऋण सुविधा समझौते/इस विलेख की निरंतरता के दौरान ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना, परिसंपत्तियों या उसके किसी भी हिस्से पर किसी भी प्रकार का कोई शुल्क या कोई और सुरक्षा ब्याज या भार बनाने का प्रयास नहीं करेगा और उधारकर्ता ऐसे सभी कार्य और चीजें करेगा जो परिसंपत्तियों को संरक्षित करने के लिए आवश्यक हैं।

तीन.चार इस विलेख के निष्पादन के तुरंत बाद संपत्ति पर प्रभार/हाइपोथिकेशन बनाया गया माना जाएगा।

तीन.पाँच उधारकर्ता विशेष रूप से इस बात से सहमत है कि परिसंपत्तियों/प्रतिभूति में कोई भी वृद्धि, वृद्धि या वृद्धि, परिसंपत्तियों के संबंध में या उसके उत्पादन और मुनाफे के माध्यम से या उसके किसी भी हिस्से को भी ऋणदाता के पास हाइपोथेकेटेड माना जाएगा। दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि इस संबंध में किसी अतिरिक्त पूरक समझौते पर हस्ताक्षर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

चार. प्रतिभूति

चार.एक सतत सुरक्षा

इस विलेख और/या ऋण/ऋण सुविधा समझौते या पार्टियों द्वारा निष्पादित किसी अन्य वित्त दस्तावेज के तहत या उसके अनुसार परिसंपत्तियों पर बनाई गई सुरक्षा एक सतत सुरक्षा है और किसी भी मध्यवर्ती भाग भुगतान या खाते या अन्य मामले या चीज के निपटान के बावजूद, पूरी ताकत और प्रभाव में रहेगी, और विशेष रूप से बकाया राशि के किसी भी हिस्से के उधारकर्ता द्वारा मध्यवर्ती भाग की संतुष्टि, और इसके अलावा, और बिना किसी पूर्वाग्रह के, किसी अन्य सुरक्षा, गारंटी, ग्रहणाधिकार, क्षतिपूर्ति या अन्य अधिकार या उपाय के लिए है, जिसे ऋणदाता अब या इसके बाद बकाया राशि या उसके किसी भी हिस्से के लिए धारण कर सकता है।

चार.दो अन्य सुरक्षा

परिसंपत्तियों की यह सुरक्षा इसके अतिरिक्त है, और न तो इसमें विलय किया जाएगा, न ही किसी भी तरह से बहिष्कृत या पूर्वाग्रह, या किसी अन्य सुरक्षा हित, सहारा के अधिकार या अन्य अधिकार (या उसकी अमान्यता) से प्रभावित होगा, जिसे ऋणदाता अब या इसके बाद किसी भी समय धारण कर सकता है या (या इस सुरक्षा के अलावा हो सकता है या होगा) उधारकर्ता या बकाया राशि के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में।

चार.तीन भुगतान से बचना

यदि बकाया राशि के संबंध में उधारकर्ता द्वारा भुगतान की गई कोई भी राशि को शून्य माना जाता है या उधारकर्ता के परिसमापन या समापन या अन्यथा पर अलग रखा जाता है, तो इस विलेख के प्रयोजनों के लिए, ऐसी राशि को उधारकर्ता द्वारा भुगतान नहीं किया गया माना जाएगा।

पाँच. आगे की सुरक्षा और समझौते

पाँच.एक उधारकर्ता एतद्वारा ऋणदाता के साथ अनुबंध करता है कि यदि उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई संपत्ति पर सुरक्षा ऋणदाता की राय में अपर्याप्त हो गई है, तो उधारकर्ता करेगा:

(१) ऋणदाता को इसके बारे में सूचित करें; तथा

(२) ऋणदाता की संपूर्ण संतुष्टि के लिए तुरंत ऐसी अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करें और जैसा कि ऋणदाता द्वारा बकाया राशि के देय भुगतान को सुरक्षित करने की आवश्यकता हो सकती है।

पाँच.दो उधारकर्ता बकाया राशि/अग्रिम के भुगतान/पुनर्भुगतान को सुरक्षित करने के लिए ऋणदाता के विवेकाधिकार पर समय-समय पर ऋणदाता द्वारा निर्देशित अधिक परिसंपत्तियों की परिकल्पना करने के लिए सहमत होता है, और ऐसी परिसंपत्तियों का विवरण इस विलेख के साथ संलग्न किया जाएगा। उधारकर्ता द्वारा परिकल्पित अतिरिक्त परिसंपत्तियों में उक्त अतिरिक्त परिसंपत्तियों से संबंधित सभी फिटिंग, फिक्स्चर, उपकरण, सहायक उपकरण और भागों और समय-समय पर उक्त अतिरिक्त परिसंपत्तियों के सभी प्रतिस्थापन या परिवर्धन शामिल होंगे।

छः. सुरक्षा जारी करना

ऋण/ऋण सुविधा समझौते में निहित शर्तों के अधीन, केवल उधारकर्ता द्वारा समझौते में प्रदान किए गए तरीके से और अन्य सुरक्षा दस्तावेजों में ऋणदाता की संतुष्टि के लिए पूरी बकाया राशि का पूरा भुगतान करने पर, ऋणदाता उचित तत्परता के साथ, लिखित अनुरोध पर और उधारकर्ता की कीमत पर, उधारकर्ता को जारी करना, या जैसा कि उधारकर्ता निर्देशित करेगा और ऐसी सभी अन्य चीजें करेगा जो जारी करने के लिए यथोचित रूप से आवश्यक हो सकती हैं, इसके तहत बनाई गई सुरक्षा से संपत्ति (उक्त परिसंपत्तियों के अलावा जो पहले से ही ऋण/ऋण सुविधा समझौते के अनुसार जारी की जा चुकी हो सकती हैं)।

सात. आगे के आश्वासन

उधारकर्ता इसके द्वारा समय-समय पर और हर समय अनुबंधों और उपक्रम करता है, चाहे इसके तहत गठित प्रतिभूति से पहले या बाद में, उधारकर्ता की कीमत पर, ऐसे सभी शुल्क, स्थानांतरण, असाइनमेंट, कर्म, आश्वासन, दस्तावेज, समझौते, उपकरण, कार्य, मामले और चीजें ऐसे रूप में और अन्यथा जैसा कि ऋणदाता यथोचित रूप से या कानून द्वारा इसके द्वारा इच्छित सुरक्षा को पूरा करने और संरक्षित करने की आवश्यकता हो सकती है गठित या उसकी प्राप्ति की सुविधा या अन्यथा इसे लागू करने के संबंध में।

आठ. उधारकर्ता की घोषणाएँ

आठ.एक उधारकर्ता ऋण/ऋण सुविधा समझौते में निहित अभ्यावेदन और वारंटी को दोहराता है और स्वीकार करता है और पुष्टि करता है कि यह ऋणदाता को इस विलेख में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करने के इरादे से किया गया है, और आगे स्वीकार करता है कि ऋणदाता ने उधारकर्ता द्वारा दिए गए ऐसे प्रत्येक अभ्यावेदन और वारंटी के आधार पर और उस पर भरोसा करते हुए इस विलेख में प्रवेश किया है।

ऋण/ऋण सुविधा समझौते के तहत उधारकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन और वारंटी के अलावा, उधारकर्ता एतद्वारा निम्नानुसार कार्य करता है और घोषणा करता है:

(१) उधारकर्ता परिसंपत्तियों को अच्छी और विपणन योग्य स्थिति में रखेगा।

(२) उधारकर्ता उस परिसर के संबंध में सभी किराया, करों, किसी भी अन्य शुल्क का भुगतान करेगा जहां संपत्ति संग्रहीत की जाती है और ऋणदाता के नाम को उस इकाई के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिसके पक्ष में संग्रहीत संपत्ति का शुल्क लिया जाता है।

(३) उधारकर्ता इस विलेख के तहत निष्पादन, प्रवर्तन और प्रदर्शन और उसके पंजीकरण के संबंध में सभी करों (स्टॉप शुल्क सहित) का भुगतान करेगा।

- (४) यदि ऋणदाता द्वारा आवश्यक हो तो यह विलेख पंजीकृत किया जाएगा। यदि उधारकर्ता एक कंपनी है, तो परिसंपत्तियों पर इस विलेख के तहत सुरक्षा निर्माण के संबंध में सीएचजी -1 का फॉर्म इस विलेख के निष्पादन के तीस (30) दिनों के भीतर कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ दायर किया जाएगा। इस विलेख की एक प्रति और निर्धारित सीएचजी -1 की एक प्रति जमा करने पर, जिसमें इसके द्वारा बनाए गए पंजीकरण योग्य शुल्कों के पंजीकरण के लिए निर्धारित विवरण शामिल हैं, कंपनी रजिस्ट्रार को इस विलेख के निष्पादन पर, उधारकर्ता ऋणदाता के पक्ष में एक वैध और लागू करने योग्य हाइपोथिकेशन बनाने के लिए आवश्यक सभी कानूनी आवश्यकताओं का पालन करेगा, और सभी आवश्यक सहमति, अनुमोदन और अनुमतियाँ प्राप्त कर ली होंगी।

आठ.दो उधारकर्ता आगे घोषणा करता है, प्रतिनिधित्व करता है और वारंट करता है कि:

- (१) इसके पास इस विलेख के नियमों और प्रावधानों को निष्पादित करने, वितरित करने और निष्पादित करने की शक्ति है और इस विलेख के निष्पादन, वितरण और प्रदर्शन को अधिकृत करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई (आवश्यकतानुसार किसी भी कॉर्पोरेट कार्रवाई सहित) की गई है;
- (२) यह विलेख जब निष्पादित और वितरित किया जाता है तो इसकी शर्तों के अनुसार लागू करने योग्य वैध और कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्वों का गठन करेगा;
- (३) न तो किसी भी दस्तावेज का निष्पादन और न ही प्रदर्शन, जिसके लिए यह एक पक्ष है, और न ही इसकी शर्तों का अनुपालन किसी भी नियम, शर्तों या प्रावधानों के उल्लंघन के साथ संघर्ष करेगा या इसके परिणामस्वरूप होगा, या इस विलेख, समझौते या अन्य साधन के तहत एक डिफॉल्ट का गठन करेगा, जिसके लिए उधारकर्ता एक पार्टी है या जिसके द्वारा यह बाध्य है, या इसके विपरीत या उधारकर्ता के ज्ञापन और एसोसिएशन के लेखों या अन्य शासी दस्तावेज या किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश या किसी भी कानून, नियम या विनियम के किसी भी नियम या प्रावधानों का उल्लंघन या उल्लंघन करता है।

कर्जदार;

- (४) उधारकर्ता एतद्वारा घोषणा करता है कि यहां पहले जो कुछ भी निहित है, उसके अधीन, संपत्ति हर समय, उधारकर्ता की पूर्ण संपत्ति है और रहेगी।
- (५) इस विलेख के प्रावधान ऋणदाता के पक्ष में उन परिसंपत्तियों पर एक कानूनी, वैध और लागू करने योग्य शुल्क बनाने के लिए प्रभावी हैं, जिस पर उधारकर्ता बिना किसी सीमा के, एक कानूनी, वैध और लागू करने योग्य सुरक्षा हित, और उचित रिकॉर्डिंग और फाइलिंग सहित इसके अनुसार शुल्क देने का इरादा रखता है, जो सभी उपयुक्त सार्वजनिक कार्यालयों में इस विलेख के निष्पादन के तुरंत बाद किया जाएगा, और अन्य सभी आवश्यक और उचित कार्रवाई की जाएगी ताकि जैसे ही इस विलेख को दर्ज और दायर किया गया हो, यह इसके द्वारा कवर की गई परिसंपत्तियों में उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक और हित पर एक प्रभावी शुल्क बनाएगा, और निर्माण के लिए सभी आवश्यक और उचित मंजूरी और सहमति (यदि कोई हो), ऐसी परिसंपत्तियों की प्रभावशीलता, प्राथमिकता और प्रवर्तन प्राप्त किया गया है;
- (६) उधारकर्ता ऋण/ऋण सुविधा के संबंध में उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को देय होने का दावा की गई किसी भी राशि की शुद्धता के निर्णायक प्रमाण के रूप में, ऋणदाता की पुस्तकों से बनाए गए और ऋणदाता के विधिवत अधिकृत अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित खाते के विवरण को स्वीकार करने के लिए सहमत है, दस्तावेज या कागजात;
- (७) उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि यदि परिसंपत्तियों की वसूली पुनर्भुगतान या अन्यथा द्वारा की जाती है, तो ऋणदाता को ऋणदाता को ऋणदाता को बकाया राशि और ऋणदाता द्वारा ऋणदाता को देय अन्य राशियों के संबंध में ऋणदाता को ऋणग्रस्तता को कम करने के लिए ऋणदाता को ऋणदाता को ऋणदाता को भुगतान किया जाएगा। उधारकर्ता ऋणदाता द्वारा ऐसा करने से प्रतिबंधित किए जाने पर परिसंपत्तियों का हस्तांतरण या सौदा नहीं करेगा।

नौ. वाचा और उपक्रम

नौ.एक लागू कानून की शर्तों के अधीन, उधारकर्ता इसके द्वारा आगे की वाचा करता है कि:

- (१) ऋणदाता और/या उसके अधिकारी उधारकर्ता को बिना किसी सूचना के और उधारकर्ता के जोखिम और व्यय पर किसी भी स्थान पर प्रवेश करने के हकदार होंगे जहां संपत्ति संग्रहीत की जाती है और परिसंपत्तियों का निरीक्षण, मूल्य या कब्जा करने का हकदार होगा। उधारकर्ता यदि ऋणदाता द्वारा आवश्यक हो तो ऋणदाता के कारण और संकेत या ऋणदाता के नाम के साथ अंकन और इस आशय का एक बयान होगा कि संग्रहीत, रखी गई या अन्यथा दर्ज की गई संपत्ति ऋणदाता के पक्ष में हाइपोथेकेट की गई है, स्पष्ट रूप से चिपकाया गया/लिखित/मुद्रित किया जाएगा, जिसे हर समय सभी या ऐसे किसी भी परिसर और/या रिकॉर्ड पर स्पष्ट तरीके से दिखाया जाना चाहिए जहां संपत्ति का रखरखाव और/या रिकॉर्ड किया जाता है, इस समझौते में सृजित सुरक्षा हित की निरंतरता के दौरान।
- (२) उधारकर्ता ऋणदाता को जब भी आवश्यक हो, सभी परिसंपत्तियों का पूर्ण और सही विवरण/विवरण प्रस्तुत करेगा और ऋणदाता या उसके अधिकृत एजेंटों को खातों की सभी पुस्तकों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा और ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करेगा जो ऋणदाता को उसके मूल्य के रूप में आवश्यक हो सकते हैं। ऋणदाता के लिए किसी भी समय और समय-समय पर प्रतिभूति की निरंतरता के दौरान उधारकर्ता के खर्च पर, सभी मामलों में और ऐसी अवधि के लिए नियुक्त करना और नियोजित करना वैध होगा, जैसा कि ऋणदाता उचित समझेगा, एक व्यक्ति या व्यक्ति या एक फर्म या एक कंपनी ऋणदाता की ओर से सभी या किसी भी संपत्ति के मूल्य का निरीक्षण करने के लिए और उधारकर्ता को भुगतान करेगा ऋणदाता के संबंध में सभी व्यय शुल्क की मांग करता है या उसके आकस्मिक (ऋणदाता का विवरण निर्णायक है)। डिफॉल्ट रूप से, ऋणदाता ऋणदाता की पुस्तकों में उधारकर्ता के खातों में उसकी राशि डेबिट करने के लिए स्वतंत्र हो सकता है और भुगतान होने तक इसे अग्रिम के रूप में माना जाएगा।
- (३) सुरक्षा-कवच

- (अ) उधारकर्ता अपनी लागत और खर्च पर इस तरह के जोखिमों के खिलाफ पूरी तरह से बीमित परिसंपत्तियों को रखेगा या रखेगा, और ऐसी राशि (ओं) के लिए और ऐसी अवधि के लिए और ऐसे रूप में (रूपों) में जिसकी ऋणदाता को समय-समय पर आवश्यकता हो सकती है, जिसमें ऋणदाता को नुकसान भुगतानकर्ता के रूप में नामित किया गया है।
- (आ) ऐसे बीमाओं के संबंध में जिन्हें उपरोक्त उप-खंड (ए) के अनुसार बनाए रखना आवश्यक है, उधारकर्ता ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या पीड़ित नहीं होगा जो इस तरह के बीमा को अमान्य कर सकता है।
- (इ) उधारकर्ता द्वारा ऐसे बीमा प्राप्त करने और/या ऋणदाता को इसका प्रमाण प्रस्तुत करने में किसी भी विफलता की स्थिति में, ऋणदाता उधारकर्ता की लागत पर परिसंपत्ति का बीमा कर सकता है (लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं होगा)। यदि ऋणदाता परिसंपत्ति (परिसंपत्तिओं) के बीमा के लिए/के लिए प्रीमियम, या किसी अन्य धन का भुगतान करता है, तो उधारकर्ता ऋणदाता द्वारा भुगतान की गई ऐसी सभी राशि की प्रतिपूर्ति करेगा।
- (ई) यदि उधारकर्ता उपरोक्त बीमा के तहत कोई भी दावा करने का हकदार हो जाता है, तो वह तुरंत ऐसे बीमा के तहत दावा करेगा और पहले प्राप्त सभी धन को या तो बीमित सुरक्षा की बहाली में या बकाया राशि के पुनर्भुगतान के लिए लागू करेगा।

नौ.दो खंड 9.1 में निर्धारित अनुबंधों के अलावा, लागू कानून की शर्तों के अधीन, उधारकर्ता इसके द्वारा आगे की वाचा करता है कि ऋण/ऋण सुविधा समझौते में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर, संपत्ति या उसके किसी भी हिस्से पर कोई ग्रहणाधिकार बनाने या अस्तित्व में रखने की अनुमति नहीं देगा।

दस. डिफॉल्ट और प्रवर्तन की घटना

दस.एक डिफॉल्ट की घटना

ऋणदाता के पक्ष में इसके तहत बनाई गई सुरक्षा ऋणदाता द्वारा लागू करने योग्य हो जाएगी यदि ऋण/ऋण सुविधा समझौते में प्रदान की गई चूक की कोई घटना होती है और/या जारी रहती है।

दस.दो परिसर में प्रवेश करें

ऋण/ऋण सुविधा के पुनर्भुगतान में उधारकर्ता द्वारा चूक की घटना पर जैसा कि सहमति हुई है या यदि

किसी भी कारण से परिसंपत्तियों पर प्रभार अप्रवर्तनीय हो जाता है, ऋणदाता और/या उधारकर्ता के जोखिम और व्यय पर उसके अधिकारी उधारकर्ता और/या किसी अन्य व्यक्ति के किसी भी परिसर में प्रवेश कर सकते हैं ताकि उधारकर्ता और/या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बिना किसी रुकावट या बाधा के संपत्ति को जब्त किया जा सके।

दस.तीन गति बढ़ाने का अधिकार

(१) घटना के बाद या किसी भी समय और डिफॉल्ट की घटना की निरंतरता के दौरान, यदि बकाया

राशि या उसका हिस्सा देय है, ऋणदाता उधारकर्ता से बकाया राशि और/या सभी या किसी भी हिस्से के भुगतान की मांग करने का हकदार होगा, साथ ही अर्जित ब्याज और अन्य सभी राशियां इसके संबंध में या अन्यथा अर्जित की गई हैं और ऐसी सभी राशियां बिना किसी सूचना या प्रस्तुति या भुगतान की मांग के तुरंत देय और देय हो जाएंगी, विरोध या गैर-भुगतान या अनादर या अन्य नोटिस या किसी भी प्रकार या प्रकृति की मांग या किसी भी प्रकार की अन्य कानूनी औपचारिकताएं।

(२) यदि ऋण/ऋण सुविधा को पूर्वोक्त रूप से तेज कर दिया गया है और ऋण/ऋण सुविधा समझौते की शर्तों के अनुसार चुकाया नहीं गया है, तो ऋणदाता किसी भी अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और उधारकर्ता को पूर्व लिखित सूचना के बिना किसी भी सीमा के अधीन कर सकता है जो लागू कानून द्वारा लगाई गई हैं और जिसे अनुबंध द्वारा माफ नहीं किया जा सकता है:

(अ) संपत्ति या उसके किसी भी हिस्से के साथ इस तरह से और ऐसी शर्तों पर सौदा करना जो भी ऋणदाता के रूप में किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी होने के बिना और ऋणदाता के उपरोक्त अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना किसी भी अधिकार या उससे संबंधित दावों के साथ उचित विचार कर सकता है, और/या लागू कर सकता है, निपटान कर सकता है, समझौता कर सकता है;

(आ) किसी भी और सभी शक्तियों का प्रयोग करें, जो एक रिसीवर इसके तहत या लागू कानून द्वारा प्रयोग कर सकता है;

(इ) किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को संपत्ति के सभी या किसी भी हिस्से का रिसीवर के रूप में लिखकर नियुक्त करना, समय-समय पर रिसीवर के पारिश्रमिक का निर्धारण करना और रिसीवर को हटाना (सिवाय इसके कि जहां न्यायालय के आदेश की आवश्यकता होती है) और किसी भी रिसीवर के स्थान पर दूसरे को नियुक्त करना, चाहे ऐसे रिसीवर को ऋणदाता या न्यायालय के आदेश द्वारा हटा दिया गया हो या अन्यथा रिसीवर या उनमें से एक होना बंद हो जाता है। दो या दो से अधिक रिसीवर।

(ई) उपरोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऋणदाता उधारकर्ता की कीमत पर इन उपहारों में शामिल परिसंपत्तियों और भविष्य की किसी भी संपत्ति पर नियंत्रण रखने और पुनर्प्राप्त करने के लिए ऐसे सभी कार्यों और कार्यों को करने का हकदार होगा। उधारकर्ता यहां ऊपर उल्लिखित ऋणदाता के अधिकार के साथ असंगत या पूर्वाग्रहपूर्ण कोई कार्रवाई नहीं करेगा, और ऋणदाता द्वारा या किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा किसी रुकावट या बाधा के बिना उसकी आय, लाभ और लाभ प्राप्त करने के अधिकार के लिए, और इस तरह की कार्रवाई करने पर, ऋणदाता को मुक्त किया जाएगा और उधारकर्ता द्वारा अच्छी तरह से या अन्यथा छुट्टी दे दी जाएगी और पर्याप्त रूप से बचाया जाएगा और हानिरहित और क्षतिपूर्ति की जाएगी, सभी पूर्व और अन्य शीर्षकों, दावों, मांगों और ऋणों से और उनके खिलाफ।

(३) बिक्री

इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद और बशर्ते कि यह इसके द्वारा सहमत हो और निम्नानुसार घोषित किया जाए:

- (अ) चूक की स्थिति में ऋणदाता के लिए किसी भी समय उधारकर्ता की किसी भी सहमति के बिना, संपत्ति को बेचने और/या सौंपने में किसी अन्य व्यक्ति के साथ बेचने, असाइन करने या सहमति व्यक्त करने के लिए वैध होगा, और आश्वासन निष्पादित करने और खरीद धन के लिए प्रभावी रसीदें देने और बिक्री/असाइनमेंट को पूरा करने के लिए अन्य सभी कार्य और चीजें करने की शक्ति के साथ जो व्यक्ति या व्यक्ति बिक्री की शक्ति का प्रयोग करते हैं। असाइनमेंट उचित समझेगा।
- (आ) उधारकर्ता, ऋणदाता की पूर्व सहमति से, समय-समय पर व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में परिसंपत्तियों या उसके किसी भी हिस्से को बेचने या निपटाने के लिए स्वतंत्र होगा, बशर्ते कि ऐसी परिसंपत्तियों के मूल्य का उपयोग सुविधा को चुकाने के लिए किया जाता है।
- (इ) कोई भी खरीदार/समनुदेशिनी या ऋणदाता और/या किसी भी रिसीवर के साथ किसी भी बिक्री/असाइनमेंट पर काम करने वाला कोई अन्य व्यक्ति, जो उस संबंध में पूर्वोक्त शक्ति के अनुसरण में किए जाने का तात्पर्य रखता है/किया जाता है, यह देखने या पूछताछ करने के लिए बाध्य या संबंधित नहीं होगा कि क्या चूक की कोई घटना हुई है या उन शर्तों की आवश्यकता या समीचीनता के रूप में जिनके अधीन ऐसी बिक्री/असाइनमेंट किया गया होगा या अन्यथा औचित्य के रूप में या इस तरह की बिक्री/असाइनमेंट की नियमितता।
- (ई) पूर्वोक्त ऐसी किसी भी बिक्री/असाइनमेंट पर ऋणदाता द्वारा खरीद/समनुदेशन धन की प्राप्ति प्रभावी रूप से खरीदारों या क्रेता या समनुदेशिनी को मुक्त कर देगी और संबंधित होने से उसके आवेदन को देखने के लिए या उसके नुकसान या दुरुपयोग के लिए जवाबदेह होने के लिए।
- (उ) यह किसी भी समय ऋणदाता के लिए वैध होगा, जो लागू द्वारा लगाई गई किसी भी सीमा के अधीन है कानून और जिसे अनुबंध द्वारा माफ नहीं किया जा सकता है, उधारकर्ता की किसी भी और सहमति के बिना, ऋण परिसंपत्तियों और/या ऋण की किसी भी घटना की घटना के होने पर ऋणदाता के पक्ष में परिकल्पित प्राप्ति को वसूली के लिए।
- (ऊ) इसके अलावा, डिफॉल्ट की घटना होने पर, उधारकर्ता के देनदार और/या उधारकर्ता की प्राप्ति से ऋण परिसंपत्तियों की वसूली के सभी अधिकार ऋणदाता के पास होंगे। चूक की घटना के बाद, ऋणदाता ऋण परिसंपत्तियों के संबंध में उधारकर्ता के सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा और ऋण परिसंपत्तियों के संबंध में देय राशि की वसूली करने के लिए उधारकर्ता के उक्त देनदार (देनदारों) के खिलाफ आगे बढ़ने का हकदार होगा और ऊपर बताए गए समान का उचित उपयोग करने का हकदार होगा। उधारकर्ता को बिना किसी संदर्भ/सूचना के। इसके अलावा, ऐसी स्थिति में, उधारकर्ता ऋण परिसंपत्तियों के संबंध में असाइनमेंट विलेख (यदि आवश्यक हो) सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित करेगा। इसके अतिरिक्त, चूक की घटना के बाद, ऋणदाता प्राप्ति के संबंध में उधारकर्ता के सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा और प्राप्ति के संबंध में देय राशि की वसूली करने और उधारकर्ता को बिना किसी संदर्भ/सूचना के ऊपर उल्लिखित राशि का उचित और उपयोग करने का हकदार होगा। इस संबंध में, उधारकर्ता बिना किसी आपत्ति या विरोध के, ऋणदाता द्वारा आवश्यक सभी दस्तावेजों/नोटिस/पत्रों/मुख्तारनामा पर हस्ताक्षर करेगा और उन्हें निष्पादित करेगा।
- (ऊ) बैंक ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग कर सकता है जो लागू कानून के तहत उसे उपलब्ध हो सकते हैं, जिसमें वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हितों का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत सुरक्षित ऋणदाताओं के लिए उपलब्ध विशेष अधिकार और उपाय शामिल हैं।
- (ल) यदि खंड 10.3 (iii) (ए) के अनुसार कोई अधिशेष उपलब्ध है, तो ऋणदाता को देय शेष राशि के पूर्ण भुगतान के बाद, ऋणदाता के लिए उक्त अधिशेष को उधारकर्ता से संबंधित ऋणदाता के हाथों में किसी भी अन्य राशि के साथ बनाए रखना और लागू करना वैध होगा, इसके खिलाफ, या किसी भी और सभी अन्य धन के भुगतान या परिसमापन की दिशा में, जो उधारकर्ता से ऋणदाता को पूरी तरह से या संयुक्त रूप से या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति उधारकर्ता के साथ, ऋण, रियायती बिल, साख पत्र, गारंटी, शुल्क, या बिल, नोट्स, क्रेडिट और अन्य दायित्व सहित किसी भी अन्य ऋण या देयता से देय हो सकता है, वर्तमान या भविष्य, कानूनी या न्यायसंगत। यदि ऋणदाता को देय संबंधित राशियों में से पूरी के पुनर्भुगतान के लिए बिक्री/वसूली की शुद्ध आय अपर्याप्त है, तो इसे ऋणदाता के लिए उधारकर्ता की ऋणग्रस्तता के परिसमापन में विनियोजित किया जाएगा। जब तक ऋणदाता/रिसीवर द्वारा धन का ऐसा विनियोग नहीं किया जाता है, तब तक इस प्रकार वसूल की गई धनराशि ऋणदाता के लाभ के लिए ऐसे प्राप्तकर्ता/ऋणदाता/उसके किसी एजेंट, नामित, अधिकारी द्वारा ट्रस्ट में रखी जाएगी।

दस. चार ऋण/ऋण सुविधा समझौते के तहत अन्य सभी अधिकार

ऋणदाता अपने सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा जो ऋण/ऋण सुविधा समझौते के तहत उसके लिए उपलब्ध हैं और उधारकर्ता उसके तहत ऋणदाता के अधिकारों को स्वीकार करता है। इस समझौते और ऋण/ऋण सुविधा समझौते के बीच किसी भी असंगति के मामले में, व्याख्या पर निर्णय ऋणदाता द्वारा लिया जाएगा, जो निर्णय, उधारकर्ता सहमत है, उस पर लागू होगा।

ग्यारह. ऋणदाता की शक्तियां

ऋणदाता के पास किसी भी सीमा के अधीन अधिकार होगा जो लागू कानून द्वारा लगाई गई हैं और जिसे अनुबंध द्वारा माफ नहीं किया जा सकता है, इस विलेख के प्रावधानों पर कार्य करने और लागू करने के लिए, या उस संबंध में उचित उपायों को अपनाने के लिए और लागू कानून के अनुसार इस विलेख के तहत सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

बारह. डिफॉल्ट की स्थिति में रिसीवर की नियुक्ति

बारह. एक रिसीवर नियुक्त करने का अधिकार

- (१) ऋणदाता, इस विलेख के अनुसार बिक्री/असाइनमेंट की शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार हासिल करने के बाद किसी भी समय, लिखित रूप से, खंड (ii) में वर्णित एक या अधिक व्यक्तियों को संपत्ति के रिसीवर के रूप में नियुक्त कर सकता है, और इस तरह नियुक्त किए गए किसी भी रिसीवर को हटा सकता है और इसके बजाय दूसरे को नियुक्त कर सकता है।
- (२) उधारकर्ता एतद्वारा भारत में व्यवसाय करने वाले किसी भी बैंक, किसी भी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या उनके किसी भी संबंधित सहायक या सहयोगी या उपरोक्त में से किसी के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी, या अधिवक्ता/अधिवक्ताओं की कोई फर्म या स्वतंत्र सार्वजनिक लेखाकार या ऋणदाता द्वारा अनुमोदित किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति के लिए सहमति देता है, इसके तहत रिसीवर ("रिसीवर") के रूप में और इस बात से सहमत है कि वह उस समय ऐसे किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति पर आपत्ति नहीं करेगा ऐसी किसी भी नियुक्ति की।

बारह. दो प्राप्तकर्ता की स्थिति, शक्तियां और पारिश्रमिक

- (१) किसी भी रिसीवर की नियुक्ति किसी भी समय डिफॉल्ट की घटना के घटित होने पर या उसके बाद की जा सकती है।
- (२) इस तरह के रिसीवर को समय-समय पर, ऐसे अधिकारों, शक्तियों, प्राधिकरणों और विवेक के साथ निवेश किया जा सकता है जो ऋणदाता द्वारा इसके बाद निर्धारित या लागू कानून के तहत या जैसा कि ऋणदाता समीचीन सोच सकता है, जिसमें निम्नलिखित अधिकार, शक्तियां और प्राधिकरण शामिल हैं (जिनमें से सभी किसी भी सीमा के अधीन होंगे जो लागू कानून द्वारा लगाए जा सकते हैं और जिन्हें अनुबंध द्वारा माफ नहीं किया जा सकता है, अनुबंध द्वारा माफ नहीं किया जा सकता है):
 - (अ) संपत्ति के सभी या किसी भी हिस्से पर अधिकार, शीर्षक और ब्याज लेने के लिए, और उस उद्देश्य के लिए कोई कार्यवाही करने और उधारकर्ता के नाम पर या अन्यथा किसी भी आदेश या निर्णय को लागू करने के लिए, जैसा कि रिसीवर फिट समझेगा;
 - (आ) उद्देश्य की प्राप्ति के संबंध में उधारकर्ता के व्यवसाय को आगे बढ़ाने या करने में सहमति व्यक्त करने के लिए, जैसा कि रिसीवर उचित समझेगा;
 - (इ) उधारकर्ता और किसी अन्य व्यक्ति के बीच कोई व्यवस्था या समझौता करने या किसी भी मुआवजे का भुगतान करने या किसी भी दायित्व को वहन करने के लिए जिसे ऋणदाता या रिसीवर उचित समझेगा;
 - (ई) इस विलेख द्वारा प्रदत्त किसी भी शक्ति, प्राधिकारियों और विवेक का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए और/या किसी भी लागत या व्यय को चुकाने के उद्देश्य से, जो इसके प्रयोग में इसके द्वारा किए जा सकते हैं, या किसी अन्य उद्देश्य के लिए, ऋणदाता या अन्य लोगों से ऐसी शर्तों पर (सुरक्षा के साथ या बिना) उधार लेने के लिए जैसा कि रिसीवर या ऋणदाता उचित समझेगा और ताकि, ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के साथ, ऐसी कोई भी सुरक्षा पूरी तरह से या आंशिक रूप से प्राथमिकता में या यहां बनाई गई सुरक्षा के साथ पहली और अनन्य संपत्ति रैंकिंग के पूरे या किसी भी हिस्से पर शुल्क हो सकती है या शामिल हो सकती है;
 - (उ) परिसंपत्तियों/भविष्य की परिसंपत्तियों के किसी भी हिस्से को सौंपने, बेचने, व्यवहार करने या प्रबंधित करने या अन्यथा निपटाने में इस तरह से और आम तौर पर ऐसे नियमों और शर्तों पर जिन्हें ऋणदाता या रिसीवर उचित समझेगा और ऐसे किसी भी लेनदेन को उधारकर्ता के नाम पर या अन्यथा लागू करने के लिए;
 - (ऊ) इस विलेख में निर्दिष्ट किसी भी मामले को पूरा करने के लिए आवश्यक या उचित सभी सहमति और अनुमतियां प्राप्त करने के लिए, या अन्यथा, जैसा कि ऋणदाता या रिसीवर उचित समझेगा;
 - (ऋ) किसी भी पूर्व भार को भुनाने और ऋणों के खातों को निपटाने और पारित करने के लिए ताकि कोई भी इस प्रकार तय किए गए और पारित किए गए खाते (किसी भी प्रकट त्रुटि के अधीन) उधारकर्ता पर निर्णायक और बाध्यकारी होंगे और इस प्रकार भुगतान किए गए धन को रिसीवर द्वारा उचित रूप से किए गए व्यय के रूप में माना जाएगा;
 - (ल) कर्मचारियों, अधिकारियों, एजेंटों, पेशेवरों और अन्य लोगों को पारिश्रमिक या अन्यथा जैसी शर्तों के लिए नियुक्त करने और छुट्टी देने के लिए और उधारकर्ता द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को छुट्टी देने के लिए;
 - (एँ) निपटाने के लिए, मध्यस्थता का संदर्भ लेने, समझौता करें और किसी भी व्यक्ति या निकाय के साथ या उसके द्वारा किसी भी दावे, खातों, विवादों, प्रश्नों और मांगों की व्यवस्था करें जो उधारकर्ता का लेनदार होने का दावा करता है या किसी भी तरह से संपत्तियों या उसके किसी भी हिस्से से संबंधित है;
 - (ऐ) संपत्ति या उसके किसी भी हिस्से के संबंध में ऐसी सभी कार्रवाइयों और कार्यवाही को लाने, मुकदमा चलाने, लागू करने, बचाव करने और बंद करने के लिए, जैसा कि रिसीवर उचित समझेगा;
 - (ए) उधारकर्ता के साथ दस्तावेजीकरण की शर्तों के तहत उनके द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में उधारकर्ता के देनदार (देनदारों) के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए और उन अधिकारों और लाभों का हकदार होगा जो उधारकर्ता उक्त देनदार (ओं) के खिलाफ है;
 - (ऐ) ऐसे सभी अन्य कार्यों और चीजों को करने के लिए (जिसमें बिना किसी सीमा के, सभी दस्तावेजों और कर्मों पर हस्ताक्षर करना और निष्पादित करना शामिल है) जैसा कि ऋणदाता या रिसीवर द्वारा पूर्वोक्त किसी भी मामले या शक्तियों के लिए आकस्मिक या अनुकूल माना जा सकता है या अन्यथा आकस्मिक या उक्त परिसंपत्तियों के संरक्षण, सुधार या प्राप्ति के लिए अनुकूल माना जा सकता है; तथा
 - (ऑ) ऐसी सभी अन्य शक्तियों और प्राधिकारों का प्रयोग करने के लिए जैसा कि ऋणदाता प्रदान करने के लिए उपयुक्त समझेगा, और जो ऋणदाता परिसंपत्तियों के ऐसे हिस्से के संबंध में कर सकता है, जैसा कि पहले और अनन्य/परिपासु प्रभार या मानक सुरक्षा का विषय है, कोई भी शक्तियां और प्राधिकरण प्रदान कर सकता है जो वह दे सकता है यदि वह उसका पूर्ण लाभकारी स्वामी हो।

- (3) जब तक ऋणदाता द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाए, ऐसा रिसीवर यहां या ऋणदाता में निहित कानून द्वारा सभी अधिकारों, शक्तियों, प्राधिकरणों और विवेक का प्रयोग कर सकता है।
- (4) ऐसा रिसीवर समय-समय पर ऋणदाता द्वारा दिए गए और दिए गए निर्देशों के अनुसार अपनी शक्तियों, प्राधिकारों और विवेक का प्रयोग करेगा।
- (5) ऋणदाता समय-समय पर ऐसे रिसीवर के पारिश्रमिक को निर्धारित कर सकता है जिसका भुगतान उधारकर्ता द्वारा किया जाएगा, या इस तरह के भुगतान में विफल रहने पर, ऋणदाता उक्त परिसंपत्तियों में से भुगतान का निर्देश दे सकता है।
- (6) ऋणदाता, समय-समय पर और किसी भी समय, ऐसे किसी भी रिसीवर को ऐसे रिसीवर के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित प्रदर्शन के लिए सुरक्षा देने की आवश्यकता हो सकती है, और इस तरह दी जाने वाली सुरक्षा की प्रकृति और राशि तय कर सकता है, लेकिन ऋणदाता किसी भी मामले में ऐसी किसी भी सुरक्षा की आवश्यकता के लिए बाध्य नहीं होगा।

तेरह. दायित्व की सीमा

तेरह.एक किसी भी सीमा के अधीन जो लागू कानून द्वारा लगाई जा सकती है और जिसे अनुबंध द्वारा माफ नहीं किया जा सकता है, न तो ऋणदाता और न ही कोई रिसीवर किसी भी नुकसान या क्षति के संबंध में उत्तरदायी होगा जो अभ्यास से उत्पन्न होता है, या प्रयास या कथित प्रयोग, या अपने किसी भी संबंधित अधिकार का प्रयोग करने में विफलता, शक्तियां, अधिकार, विवेक और ट्रस्ट जो ऋणदाता में निहित हो सकते हैं।

तेरह.दो खंड 14.1 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उधारकर्ता एतद्वारा ऋणदाता के साथ स्पष्ट रूप से सहमत है कि न तो ऋणदाता और न ही उपरोक्त के रूप में नियुक्त कोई भी रिसीवर, ऋणदाता या ऐसे रिसीवर द्वारा उक्त परिसंपत्तियों या उसके किसी भी हिस्से का अधिकार, शीर्षक, ब्याज प्राप्त करने या लेने के कारण, उधारकर्ता के लिए किसी भी चीज़ के लिए उत्तरदायी होगा, वास्तविक रसीदों को छोड़कर जो उधारकर्ता या हकदार व्यक्तियों को वितरित या भुगतान नहीं की गई हैं या भुगतान के समय ऋणदाता द्वारा ईमानदारी से और यथोचित रूप से इसके हकदार माना जाता है, या किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी हो सकता है या किसी भी चूक या चूक के लिए उत्तरदायी हो सकता है जिसके लिए ऋणदाता उत्तरदायी हो सकता है।

तेरह.तीन ऋणदाता किसी भी तरह से संपत्ति के संबंध में जिम्मेदार नहीं होगा, भले ही चोरी, चोरी, डकैती, आग, दंगे और नागरिक हंगामा से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उक्त संपत्ति के अधिकार, शीर्षक, ब्याज को प्राप्त करने या लेने के बाद भी, जो भी परिस्थितियां या कारण हो सकते हैं या जिसके लिए नुकसान उत्पन्न हो सकता है, जिसमें कोई भी कार्य, चूक, लापरवाही, इसके किसी भी सेवक या नामांकित व्यक्ति या एजेंट की चूक शामिल है।

चौदह. लागत और व्यय

चौदह.एक कानूनी शुल्क और व्यय

उधारकर्ता इन उपहारों या इस सुरक्षा के संबंध में या उसके आकस्मिक रूप से ऋणदाता के सभी कानूनी शुल्क, लागत, शुल्क और खर्चों का भुगतान करेगा और साथ ही उक्त परिसंपत्तियों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए और बकाया राशि की मांग, प्राप्ति और वसूली के लिए भी भुगतान करेगा।

चौदह.दो निष्पादन, पंजीकरण आदि पर स्टाम्प शुल्क और अन्य शुल्क।

उधारकर्ता सभी स्टॉप शुल्क, अन्य कर्तव्यों, करों, शुल्क, दंड या अन्य शुल्कों का भुगतान करेगा जो इस विलेख के निष्पादन, निर्गम, वितरण, पंजीकरण और इसके अनुसार किए गए किसी भी दस्तावेज, कार्य और पंजीकरण के संबंध में या उसके संबंध में देय हैं (जैसा लागू हो सकता है)।

चौदह.तीनप्रतिपूर्ति दायित्व

सभी उचित लागत, व्यय, शुल्क और शुल्क ऋणदाता द्वारा इसके तहत दिए गए किसी भी अधिकार, उपचार या शक्तियों के प्रयोग में भुगतान या किए गए शुल्क, जिसमें बिना किसी सीमा के, इस खंड 14 में किसी भी लागत, व्यय, शुल्क या शुल्क का भुगतान शामिल है, जो उधारकर्ता के खाते के लिए होगा, और उधारकर्ता उसी का भुगतान करने की मांग पर तुरंत कार्य करता है या, जैसा भी मामला हो, ऋणदाता या उसके एजेंटों, प्रतिनिधियों, उत्तराधिकारियों और ऋणदाता या उनमें से किसी द्वारा ब्याज के साथ भुगतान किए गए ऐसे किसी भी धन की प्रतिपूर्ति करने के लिए, उस तारीख से लागू दर पर जब तक उधारकर्ता ऋणदाता और/या उनके एजेंटों, प्रतिनिधियों, उत्तराधिकारियों से नोटिस प्राप्त करता है, और उधारकर्ता द्वारा प्रतिपूर्ति किए जाने तक असाइन करता है, और ऐसी सभी लागत, खर्च, शुल्क और शुल्क को बकाया राशि में जोड़ा जाएगा और इसके द्वारा सुरक्षित किया जाएगा।

पंद्रह. अटॉर्नी

पंद्रह.एक नियुक्तिकरण

उधारकर्ता एतद्वारा अपरिवर्तनीय रूप से ऋणदाता, उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ-साथ प्रत्येक रिसीवर को इन उपहारों के तहत नियुक्त किया जाता है, और उधारकर्ता के नाम पर और उसकी ओर से, उन सभी कार्यों, कर्मों और चीजों को निष्पादित करने और करने के लिए नियुक्त करता है जिन्हें उधारकर्ता यहां निहित अनुबंधों और प्रावधानों के तहत निष्पादित करने और करने के लिए अधिकृत है और आम तौर पर उधारकर्ता के नाम का उपयोग करने के लिए इन उपहारों द्वारा या ऋणदाता द्वारा नियुक्त किसी भी रिसीवर को प्रदान की गई सभी या कोई भी शक्तियां और उधारकर्ता की ओर से उधारकर्ता की कीमत पर इसके तहत या कानून द्वारा ऋणदाता या उनके द्वारा नियुक्त किसी भी रिसीवर को प्रदत्त शक्तियों को निष्पादित करने के लिए और उधारकर्ता की कीमत पर उधारकर्ता की ओर से ऐसे दस्तावेजों और कर्मों को निष्पादित करने के लिए भी यहां ऊपर उल्लिखित प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए और सुरक्षा की सुरक्षा, संरक्षण, प्रवर्तन और प्राप्ति के लिए भी आवश्यक हो, और उधारकर्ता उन खर्चों को वहन करेगा जो ऋणदाता या उस संबंध में किसी भी रिसीवर द्वारा किए जा सकते हैं। ऋण/ऋण सुविधा समझौते के तहत चूक की स्थिति में, या ऋणदाता की राय में किसी भी परिस्थिति की घटना, ऋण/ऋण सुविधा के भुगतान के लिए सुरक्षा को खतरे में डालने की स्थिति में, ऋणदाता और उनके अधिकारी उधारकर्ता को नोटिस के बिना लेकिन उधारकर्ता के जोखिम और खर्चों पर हकदार होंगे और यदि आवश्यक हो, उधारकर्ता के लिए और उसके नाम पर वकील के रूप में या खंड 10.3 (iii) के तहत ऋणदाता के लिए उपलब्ध अधिकारों का प्रयोग करें।

पंद्रह.दो अनुसमर्थन

उधारकर्ता पुष्टि करता है और पुष्टि करता है, और इस तरह के वकील जो कुछ भी करेगा या करने का इरादा रखता है, और किसी भी वकील द्वारा किए गए, किए गए या निष्पादित किए गए सभी कार्यों या चीजों की पुष्टि करने के लिए सहमत होता है, जैसा कि ऊपर खंड 15.1 द्वारा विचार किया गया है।

पंद्रह.तीन अपरिवर्तनीयता

खंड 15.1 (नियुक्ति) द्वारा दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी, ऋणदाता और उसके प्रतिनिधियों और किसी भी रिसीवर (जैसा कि उधारकर्ता एतद्वारा स्वीकार करता है) के संबंध में है, ब्याज के साथ और मूल्य के लिए इस विलेख द्वारा गठित सुरक्षा के हिस्से के रूप में स्वामित्व के हितों को सुरक्षित करने के लिए, और ऋणदाता के लिए देय दायित्वों के प्रदर्शन के लिए प्रदान किया गया है।

सोलह. धन का अनुप्रयोग

सोलह.एक ऋणदाता या इसके तहत नियुक्त किसी भी रिसीवर द्वारा प्राप्त सभी धन, चाहे इसके तहत गठित सुरक्षा के प्रवर्तन से पहले या उसके परिणामस्वरूप, ऋणदाता द्वारा ऋण/ऋण सुविधा समझौते में प्रदान किए गए अनुसार लागू किया जाएगा।

सोलह.दो ऋणदाता द्वारा प्राप्त धन में किसी भी कमी के लिए उधारकर्ता ऋणदाता के प्रति उत्तरदायी होगा।

सत्रह. क्षतिपूर्ति

- (१) उधारकर्ता एतद्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से एक प्राथमिक दायित्व के रूप में सहमत होता है कि वह ऋणदाता और प्रत्येक वकील, प्रबंधक, रिसीवर, एजेंट या उसके द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करेगा और हानिरहित रखेगा, जो इस विलेख के तहत स्वयं के किसी भी भुगतान दायित्व के परिणामस्वरूप या शून्य हो रहा है, किसी भी कारण से शून्यकरणीय या अप्रवर्तनीय (चाहे अब मौजूद हो या नहीं और अब इस विलेख के लिए किसी भी पक्ष को ज्ञात या ज्ञात हो रहा है या नहीं)।
- (२) उधारकर्ता हर समय ऋणदाता को किसी भी और सभी नुकसानों, लागत, शुल्क, क्षति, देनदारियों, सूट, दावे, प्रतिदावे, कार्रवाई, दंड, खर्च (वकील की फीस और अदालत की लागत सहित) के खिलाफ हानिरहित और बचाएगा, जो ऋणदाता और उसके द्वारा नियुक्त प्रत्येक वकील, प्रबंधक, रिसीवर, एजेंट या अन्य व्यक्ति को उधारकर्ता की वारंटी के किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप भुगतान पड़ेगा, अभ्यावेदन, अनुबंध, उपक्रम या समझौते में निहित हैं।

अठारह. अधित्याग-पत्र

अठारह.एक कोई निहित छूट या हानि नहीं

ऋणदाता या किसी भी रिसीवर को किसी भी डिफॉल्ट पर ऋणदाता या किसी भी रिसीवर को प्राप्त किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय का प्रयोग करने में कोई देरी या चूक इस तरह के किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय को बाधित नहीं करेगी या इसकी छूट या इस तरह के डिफॉल्ट में कोई स्वीकृति नहीं होगी, और न ही किसी भी डिफॉल्ट या किसी भी डिफॉल्ट में उनके द्वारा किसी भी स्वीकृति के संबंध में ऋणदाता या किसी रिसीवर की कार्रवाई या निष्क्रियता होगी, किसी भी अन्य चूक के संबंध में ऋणदाता या किसी भी रिसीवर के किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय को प्रभावित या खराब कर सकता है, न ही इस तरह के किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय का कोई एकल या आंशिक प्रयोग उसके किसी भी आगे के प्रयोग या किसी अन्य अधिकार, शक्ति या उपाय के प्रयोग को रोकेगा। यहां प्रदान किए गए ऋणदाता के अधिकार और उपाय संचयी हैं और कानून द्वारा प्रदान किए गए किसी भी अधिकार या उपचार से अलग नहीं हैं।

उन्नीस. संचार

उन्नीस.एक नोटिस

इस विलेख के तहत प्रत्येक नोटिस, अनुरोध, मांग या अन्य संचार होगा:

- (अ) लिखित रूप में हो, हाथ से दिया गया हो, या पंजीकृत डाक द्वारा, पावती देय हो;
- (आ) यह माना जाए कि जब हाथ से वितरित किया गया है, तो उस समय वितरित किया गया है यदि प्राप्तकर्ता के लिए एक व्यावसायिक दिवस पर व्यावसायिक घंटों के दौरान, और यदि पंजीकृत पोस्ट पावती द्वारा दिया जाता है, तो इसे पोस्ट में डाल दिए जाने के अड़तालीस (48) घंटे बाद और उधारकर्ता को उसके पते पर पहले ऊपर उल्लेख किया गया है और ऋणदाता को उसके कार्यालय के पते पर पहले यहां ऊपर उल्लेख किया गया है, या ऐसे अन्य पते पर जैसा कि कोई भी पक्ष लिखित रूप में दूसरे पक्ष को सूचित कर सकता है।

बीस. विच्छेदनीयता

इस विलेख में निहित प्रत्येक प्रावधान ऐसे हर दूसरे प्रावधान से अलग और अलग होगा और यदि किसी भी समय इस तरह के प्रावधानों में से कोई एक किसी भी कानून के तहत किसी भी संबंध में अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय हो जाता है या हो जाता है, तो किसी भी अन्य क्षेत्राधिकार में इस तरह के प्रावधान की वैधता, वैधता और प्रवर्तनीयता और इसके शेष प्रावधानों में से किसी भी तरह से प्रभावित या बाधित नहीं होगा।

इक्कीस. शासी कानून और क्षेत्राधिकार

इक्कीस.एक यह विलेख भारत में कानूनों के अनुसार शासित और समझा जाएगा।

इक्कीस.दो यहां पक्ष इस बात से सहमत हैं कि किसी भी संपार्श्विक दस्तावेज सहित इस विलेख से उत्पन्न होने वाले और/या उससे संबंधित सभी विवाद जयपुर में एक सक्षम न्यायालय के अनन्य अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे और तदनुसार इस विलेख से उत्पन्न होने वाले या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी मुकदमे, कार्रवाई या कार्यवाही (जिसे "कार्यवाही" कहा जाता है) को ऐसी अदालतों या न्यायाधिकरणों में लाया जा सकता है और उधारकर्ता अपरिवर्तनीय रूप से उन लोगों के अधिकार क्षेत्र को प्रस्तुत करता है और स्वीकार करता है अदालतें या न्यायाधिकरण।

इक्कीस.तीन सभी मामले, प्रश्न, विवाद, डिफॉल्ट, मतभेद और/या संबंध में और/या संबंध में और/या उल्लंघन, समाप्ति या अमान्यता के परिणामस्वरूप या इस समझौते से संबंधित, चाहे इस समझौते के तहत किसी एक या दोनों पक्षों के दायित्व इस तरह के विवाद के समय बने रहें या नहीं और इस समझौते को समाप्त कर दिया गया है या समाप्त या पूरा किया गया है या नहीं, मध्यस्थता द्वारा तय किया जाएगा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी सांविधिक संशोधन के प्रावधानों के अनुसार और ऋणदाता/बैंक द्वारा नामित किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ को भेजा जाएगा। एकमात्र मध्यस्थ द्वारा दिया गया पुरस्कार इस समझौते के सभी पक्षों के लिए अंतिम और

बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता की सीट जयपुर, राजस्थान होगी और मध्यस्थता की लागत पूरी तरह से उधारकर्ता द्वारा वहन की जाएगी। उन मामलों के संबंध में जहां यह पिछले पैराग्राफ के अनुसार आयोजित मध्यस्थता कार्यवाही में निर्धारित किया जाता है कि (i) ऐसे पैराग्राफ में प्रदान की गई मध्यस्थता कार्यवाही अप्रवर्तनीय है; या (ii) भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के तहत उसकी विषय वस्तु गैर-मध्यस्थ है, जैसा कि संशोधित किया गया है, ऐसी स्थिति में, जयपुर, भारत में अदालतों के पास ऐसे मामलों के संबंध में अन्य क्षेत्राधिकार होगा, प्रत्येक पक्ष अपरिवर्तनीय रूप से उन अदालतों में से किसी में की जा रही कार्यवाही पर आपत्ति करने के लिए किसी भी अधिकार को छोड़ देता है, यह दावा करने के लिए कि कार्यवाही एक असुविधाजनक मंच में लाई गई है या यह दावा करने के लिए कि उन अदालतों के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है।

बाईस. समाप्ति

यह विलेख तब संतुष्ट और निर्वहन किया जाएगा जब ऋणदाता के संबंध में सभी बकाया राशि और देनदारियों को उधारकर्ता द्वारा पूरी तरह से चुकाया गया होगा, और ऋण/ऋण सुविधा समझौते के संबंध में सभी प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह से सम्मानित किया गया है, जिसमें उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को निम्नलिखित के पुनर्भुगतान तक सीमित नहीं है, लेकिन यह सीमित नहीं है, तथा:

(१) इस विलेख की तैयारी, निष्पादन और वितरण के संबंध में ऋणदाता या रिसीवर या उनके सलाहकारों द्वारा किए गए उचित लागत, शुल्क, शुल्क और व्यय (पूर्ण क्षतिपूर्ति के आधार पर कानूनी और अन्य शुल्क और अन्य सभी आउट-ऑफ-पॉकेट खर्चों सहित), इसके तहत किसी भी राशि के लिए मुकदमा करने या वसूलने की मांग में, अन्यथा इसके या उनके अधिकारों को संरक्षित या लागू करना, परिसंपत्तियों के संरक्षण या प्रयास के संबंध में, इस विलेख के संबंध में ऋणदाता या रिसीवर के खिलाफ लागू किए गए किसी भी दावों का बचाव करने और/या इस विलेख के निर्वहन में, ऋणदाता को भुगतान किया गया है; तथा

(२) रिसीवर को देय सभी पारिश्रमिक, ऐसे रिसीवर द्वारा प्राप्त किए गए हैं।

तेईस. संशोधन प्रक्रिया

इस विलेख की शर्तों में कोई परिवर्तन या संशोधन वैध, बाध्यकारी या लागू करने योग्य नहीं होगा जब तक कि यह लिखित रूप में न हो और पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित न हो।

चौबीस. नियुक्ति

ऋणदाता उधारकर्ता के लिए किसी भी संदर्भ या सहारा के बिना, इसके तहत या उसके किसी भी हिस्से को अधिकार और दायित्व सौंपने के लिए स्वतंत्र होगा। उधारकर्ता अपने अधिकारों और दायित्वों को इसके तहत या उसके किसी भी हिस्से को किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित नहीं करेगा।

पच्चीस. इस विलेख के निष्पादन की तारीख अनुसूची 1 में उल्लिखित तारीख होगी। यदि इस विलेख की अनुसूची 1 के तहत तारीख को खाली रखा जाता है और दस्तावेज़ डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित होता है, तो इस विलेख के निष्पादन की तारीख वह तारीख होगी जब विलेख पर किसी भी पक्ष द्वारा डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतिम बार हस्ताक्षर किए गए थे ("अंतिम डिजिटल तिथि")। ऋण/ऋण सुविधा के संबंध में निष्पादित दस्तावेजों के निष्पादन की तारीख के संबंध में, वही समझ लागू की जाएगी जहां दस्तावेज पर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं।

छब्बीस. उधारकर्ता एतद्वारा बैंक द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक और/या डिजिटल स्टैम्पिंग और/या इस विलेख और संबंधित दस्तावेजों के निष्पादन के लिए अपरिवर्तनीय रूप से सहमत और सहमति देता है, जिसमें आधार या वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) या बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण या यूएसबी टोकन आधारित डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) का उपयोग करना शामिल है, लेकिन सीमित नहीं है।

सत्ताईस. उधारकर्ता एतद्वारा अपरिवर्तनीय रूप से सहमत होता है, सहमति देता है और बैंक को उधारकर्ता/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं का उपयोग करने के लिए अधिकृत करता है।

उधारकर्ता को प्रमाणित और सत्यापित करने के लिए आधार विवरण और मूल बायोमेट्रिक जानकारी/हस्ताक्षरकर्ताओं को अधिकृत करना। द उधारकर्ता इसके द्वारा अपरिवर्तनीय रूप से सहमत होता है और सहमति देता है कि ओटीपी दर्ज करके और/या फिंगरप्रिंट इंप्रेशन प्रदान करके (बायोमेट्रिक केवाईसी) के रूप में माना जाएगा कि पेन को मान्य करने और आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए आधार विवरण का उपयोग करने के लिए बैंक को उधारकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की निहित और स्वेच्छिक सहमति के रूप में माना जाएगा और उधारकर्ता एतद्वारा बैंक को क्रमशः नेशनल सिविलीटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) से उधारकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के व्यक्तिगत विवरण प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता है।

अठ्ठाईस. उधारकर्ता एतद्वारा अपरिवर्तनीय रूप से सहमत होता है, सहमति देता है और स्वीकार करता है कि विलेख और संबंधित दस्तावेजों को बैंक के ई-प्लेटफॉर्म/डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से या बैंक द्वारा नियुक्त किसी भी विक्रेता के माध्यम से निष्पादित/डिजिटल रूप से मुहर लगाई जा सकती है और निष्पादन, ई-स्टैम्पिंग, डेटा भंडारण आदि से संबंधित ऐसे प्लेटफॉर्म की शर्तों को भी स्वीकार किया जा सकता है। उधारकर्ता स्वीकार करता है कि इस तरह के ई-प्लेटफॉर्म/डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वीकार किए गए और/या निष्पादित दस्तावेज, उधारकर्ता के लिए वैध और बाध्यकारी होंगे और बैंक द्वारा साक्ष्य के एक उचित रूप के रूप में भरोसा किया जा सकता है और उपयोग किया जा सकता है और उस पर स्वीकार किए गए नियमों और शर्तों के संबंध में और इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निष्पादित दस्तावेजों के संबंध में कोई विवाद या प्रश्न नहीं उठाने का वचन देता है। बैंक या ऐसे तीसरे पक्ष के विक्रेता आईपी पते से संबंधित उधारकर्ता के सभी डेटा एकत्र करने के हकदार होंगे, कंप्यूटर के स्थान या निष्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य उपकरण और लेनदेन की पुष्टि के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए।

उन्तीस. उधारकर्ता एतद्वारा अपरिवर्तनीय रूप से सहमत होता है और स्वीकार करता है कि बैंक द्वारा नियुक्त बैंक/तीसरे पक्ष के विक्रेताओं/एजेंटों आदि से प्राप्त और/या भेजा गया कोई भी संचार, चाहे वह बैंक के पास उपलब्ध उधारकर्ता/उधारकर्ता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के पंजीकृत मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी (आईडीओ) पर एसएमएस, ईमेल आदि के माध्यम से हो, उधारकर्ता के लिए वैध और बाध्यकारी माना जाएगा। उधारकर्ता सहमति से भी सहमत है और स्वीकार करता है कि बैंक उधारकर्ता/उधारकर्ता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के पंजीकृत मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी को संचार के लिए वैध और अनुमत सेल नंबर/ईमेल आईडी के रूप में मानने के लिए स्वतंत्र होगा।

तीस. उधारकर्ता के खाते में ऋण/ऋण सुविधा का संचालन ऋण/ऋण सुविधा का लाभ उठाने और विलेख और संबंधित दस्तावेजों के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए उधारकर्ता की सहमति निहित होगी और

यह उधारकर्ता पर वैध और बाध्यकारी होगा और प्राधिकृत भागीदारों/हस्ताक्षरकर्ताओं के अधिकार के संबंध में या अन्यथा बैंक के पक्ष में निष्पादित दस्तावेजों के संबंध में कोई विवाद नहीं उठाया जाएगा।

- इक्तीस. खंड 25-30 में उल्लिखित प्रावधान उन सभी दस्तावेजों पर लागू होंगे जिन्हें सुविधाओं के संबंध में उधारकर्ता और/या सह-उधारकर्ताओं द्वारा डिजिटल रूप से निष्पादित किया जाता है।
- बत्तीस. उधारकर्ता एतद्वारा पुष्टि करता है, स्वीकार करता है और सहमत होता है कि वेबसाइट या ऐसे अन्य इंटरनेट या वेब-आधारित साधनों के माध्यम से किसी भी परिशिष्ट सहित इस विलेख की ऑनलाइन स्वीकृति पार्टियों के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध का परिणाम है।
- तैंतीस. उधारकर्ता को पता है कि इस विलेख के संचरण, इस विलेख के परिशिष्ट, नियम और शर्तों, निर्देशों, स्वीकृतियों और संचार ('संचार') को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे ईमेल, प्रतिकृति, एसएमएस टेक्स्ट मैसेजिंग, व्हाट्सएप, वेबसाइट, ऑनलाइन स्वीकृति, आदि ('इलेक्ट्रॉनिक मीडिया') के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। हालांकि, उधारकर्ता ऋण/सुविधा और उसके संचालन के संबंध में इस विलेख के तहत विभिन्न मामलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बैंक से संचार प्राप्त करने और संचार प्रदान करने का इच्छुक है।
- चौत्तीस. बैंक द्वारा इसकी अनुमति देने के विचार में, उधारकर्ता एतद्वारा अपरिवर्तनीय रूप से, पुष्टि करता है और बैंक को निम्नानुसार वचन देता है: (ए) बैंक अपनी आवश्यकताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रदान किए गए संचार पर भरोसा करने का हकदार होगा (और इसे वास्तविक मानते हैं)। इस प्रश्न के मामले में कि कौन से संचार प्रदान किए गए या प्राप्त किए गए थे, बैंक द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिकॉर्ड को अंतिम, निर्णायक और बाध्यकारी माना जाएगा। (ख) उधारकर्ता ने यह सुनिश्चित किया है और यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रदान किए गए संचार उधारकर्ता द्वारा प्रदान किए गए हैं और एतद्वारा सहमत हैं और पुष्टि करते हैं कि बैंक इस संबंध में किसी भी प्रकार का सत्यापन करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। (ग) उधारकर्ता इस बात की पुष्टि करता है कि बैंक संचार के पूरे या किसी भाग के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होगा जैसा कि इस प्रकार संप्रेषित संचार में दिखाई दे सकता है और यह उधारकर्ता के एकमात्र जोखिम पर होगा। (घ) बैंक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से संचार के आधार पर बैंक द्वारा किसी भी कार्य या कार्य करने से इनकार या चूक या कार्रवाई को स्थगित करने के परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। (ङ) बैंक को निम्नलिखित की प्राप्ति की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रदान किए गए संचार के संबंध में कोई भी कार्रवाई करने से पहले लिखित रूप में संचार और लिखित रूप में ऐसे संचार की गैर-डिलीवरी और गैर-अनुरूपता किसी भी तरह से इस विलेख या अन्यथा के तहत बैंक के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। (च) बैंक किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से संचार के संबंध में उधारकर्ता को प्रदान की गई सुविधाओं/सुविधाओं को वापस ले सकता है या संशोधित कर सकता है या जोड़ सकता है। (छ) उधारकर्ता इस बात से अवगत है और इस बात की पुष्टि करता है कि बैंक इस खंड में निहित वचन और क्षतिपूर्तियों के कारण और उन पर भरोसा करते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रदान किए गए किसी भी संचार पर कार्रवाई करने के लिए सहमत है।

घोषणा

उधारकर्ता स्वीकार करता है कि उसने इस विलेख की सभी पूर्वगामी शर्तों और इस विलेख की अनुसूची को पढ़ लिया है और इस विलेख के अंतिम पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर (भौतिक/डिजिटल, जैसा भी मामला हो)/अंगूठे का निशान/सामान्य मुहर लगा रहा है। उधारकर्ता आगे सहमत होता है और पुष्टि करता है कि पार्टियों को इस विलेख के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होगी और इस विलेख के अंतिम पृष्ठ पर हस्ताक्षर इस विलेख के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त होंगे।

उधारकर्ता पुष्टि करता है कि इस विलेख में ऊपर जो कुछ भी कहा गया है, वह अपने ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और उधारकर्ता ने स्वेच्छा से इस विलेख में प्रवेश किया है, इसके प्रभाव की पूरी जानकारी के साथ और अंतिम पृष्ठ पर इस विलेख पर हस्ताक्षर करने के लिए इस विलेख के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने के रूप में माना जाएगा।

अनुसूची - I			
S.No	विवरण	विवरण	या क्रिस्म
1.	निष्पादन विवरण	स्थान:	
		दिनांक:	
2.	उधारकर्ता का विवरण	नाम:	
		पता:	
3.	स्वीकृति पत्र का विवरण ऋण/ऋण सुविधा की राशि ऋण समझौता	संदर्भ नहीं तथा तारीख	
4.	संपत्ति का विवरण		
5.	शुल्कों की रैंकिंग		

जिसके गवाह में उधारकर्ता ने इस विलेख को ऊपर लिखे गए दिन और वर्ष पर निष्पादित किया है।

उधारकर्ता के लिए उपर्युक्त उधारकर्ता/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नाम द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित: भीतर नामित उधारकर्ता की ओर से	दस्तखत देखिए।:
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के लिए इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/गठित अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया नाम: नामित बैंक/ऋणदाता की ओर से	दस्तखत देखिए।:

घोषणा यदि उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता (ओं)/गारंटर (ओं)/बंधक(ओं) स्थानीय भाषा में हस्ताक्षर करते हैं

ऋण आवेदन, स्वीकृति पत्र, ऋण करार, मुख्तारनामा की विषय-वस्तु, मालिकाना हक विलेखों की जमा का ज्ञापन, घोषणा, वचन पत्र और अन्य दस्तावेजों जैसे गारंटी पत्र और किसी अन्य संबंधित सहायक दस्तावेजों में निबंधन और शर्तों को मेरे द्वारा _____ में आवेदक/सह-आवेदक/गारंटर/बंधककर्ता को समझाया गया है (भाषा का नाम जिसमें आवेदक/सह-आवेदक/जमानतकर्ता/बंधककर्ता ने हस्ताक्षर किए हैं) और इसे समझा गया है आवेदक/सह-आवेदक/गारंटर/बंधककर्ता द्वारा।

English	☒	I/We confirm that the contents of the Application Form/ Loan Agreement / Sanction Letter / Terms and Conditions in other documents were read out and explained to me/us in English and I/We confirm to have understood the same.
Hindi	☐	मैं/हम यह पुष्टि करता हूँ / करती हूँ / करते हैं कि आवेदन पत्र / ऋण अनुबंध / स्वीकृति पत्र / अन्य दस्तावेजों में नियम और शर्तों की विषय-वस्तु को पढ़कर मुझे / हमें हिन्दी में समझा दिया गया है और मैं/हम इसे समझने की पुष्टि करता हूँ / करती हूँ / करते हैं।
Assamese	☐	মই/আমি এইটো নিশ্চিত কৰো/ মই সেই আবেদন পত্ৰখন কৰোঁ/কৰোঁ/ ঋণ চুক্তি/ গ্রহণযোগ্যতাৰ পত্ৰ অন্যান্য নথিপত্ৰত চৰ্তাৱলী আৰু নিয়মাবলীৰ বিষয়বস্তু পঢ়ি, যাক/আমাক অসম ভাষাত ব্যাখ্যা কৰা হৈছে আৰু মই/আমি নিশ্চিত কৰো যে আমি ইয়াক বুজি পাইছো। মই এইটো কবিম। বলা কৰোঁ।
Bengali	☐	আমি/আমরা এটা নিশ্চিত করছি/ আমি সেই আবেদন ফর্মটি করি / করি / করি / ঋণ চুক্তি/ গ্রহণযোগ্যতার চিঠি অন্যান্য নথিতে শর্তাবলীর বিষয়বস্তু পড়ার পরে/ আমি/ ইউ বাংলা ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং আমি / আমরা নিশ্চিত করি যে আমরা এটি বুঝতে পেরেছি। আমি এটা করবো। চলা এটা করি।
Gujarati	☐	હું/અમે આની પુષ્ટિ કરીએ છીએ/ હું તે અરજીપત્રક કંઈ છું/કંઈ છું/ લોન કરાર/ સ્વીકૃતિનો પત્ર અન્ય દસ્તાવેજોમાં નિયમો અને શરતોની સામગ્રી વાંચીને, મને/ અમને ગુજરાતી ભાષામાં સમજાવવામાં આવ્યા છે અને હું / અમે પુષ્ટિ કરીએ છીએ કે અમે તેને સમજીએ છીએ. હું તે કરીશ. યાવો તે કરીએ.
Kannada	☐	ನಾನು/ನಾವು ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ/ ನಾನು ಆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ / ಮಾಡುತ್ತೇನೆ/ ಸಾಲ ಒಪ್ಪಂದ/ ಸ್ವೀಕಾರ ಪತ್ರ ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದುವ ಮೂಲಕ, ನಾನು / ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾನು / ನಾವು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ.
Konkani	☐	हांव/आमी हाची पुष्टी करतात/ हांव तो अर्ज फॉर्म करता/करता/ कर्ज करार/ मान्यतेचे पत्र हेर दस्तावेजांतले शब्द आनी शर्तींचो मजकूर वाचून म्हाका/आमकां कोंकणी भाशेंत उलोवप केल्लें आसा आनी आमकां तें समजटा हाची खात्री हांव/आमी दितात. हांव करतलो. चल करुया तें.
Maithili	☐	हम एकरा पुष्टि करैत छी हम ओ आवेदन फार्म करैत छी/ ऋण संविदा/ स्वीकृति क पत्र आन दस्तावेजमे नियम आ शर्तक विषयवस्तु कें पढ़ि हमरा मैथिली भाषामे स्पष्ट कएल गेल अछि आ हम पुष्टि करैत छी जे हम एकरा बुझैत छी। हम एकरा करब। चलो ई करैत छी.
Malayalam	☐	ഞാൻ/ഞങ്ങൾ ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു/ ആ അപേക്ഷാ ഫോം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു/ ചെയ്യുന്നു/ വായ്പാ കരാർ/ സമ്മതപത്രം മറ്റ് ഡോക്യുമെന്റുകളിലെ നിബന്ധനകളുടെയും വ്യവസ്ഥകളുടെയും ഉള്ളടക്കം വായിക്കുന്നതിലൂടെ, I/We മലയാള ഭാഷയിൽ വിശദീകരിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് ചെയ്യൂ നോക്കാം.
Marathi	☐	मी/ आम्ही याची पुष्टी करतो / मी तो अर्ज करतो/ कर्ज करार/ मान्यतेचे पत्र इतर दस्तऐवजामधील अटी व शर्तींचा मजकूर वाचून मला/आम्हाला मराठी भाषेत समजावून सांगितले आहे आणि मला/आम्हाला ते समजले आहे याची खात्री पटते. मी ते करीन. चला ते करूया।
Odiya	☐	ଫୁଁଆଣେ ଏହା ଚିହ୍ନିତ କରୁଛୁ / ଫୁଁ ଯେଉଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ କରେ / କରେ / ରାଶି ଚୁକ୍ତିନାମା/ ସ୍ୱୀକୃତି ପତ୍ର ଅନ୍ୟ ାନ୍ୟ ଦସ୍ତାବିଜରେ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାବଳୀ ଆବେଦନ ପତ୍ରେ ଫୁଁଆଣେରବାସ୍ତୁ ଚିହ୍ନିଆ ଗାଣାରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତା ବରାଦାଗିରି ଏବଂ ଫୁଁଆଣେ ଚିହ୍ନିତ କରୁଛୁ ଯେ ଆଣେ ଏହାକୁ ରୁଞ୍ଜୁ । ଫୁଁ ଗାହା କରାବି । ଗାଢ଼ୁଆଣେ ଏହା କରାବି ।
Punjabi	☐	ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ/ਕਰਦੇ ਹਾਂ/ ਮੈਂ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ/ ਕਰਦੀ ਹਾਂ/ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਥ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ/ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਹੋਰਨਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੁਆਰਾ, ਮੈਨੂੰ/ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਕਰੀਏ।
Sindhi	☐	آئون / اسان هن جي تصديق ڪريون ٿا / آئون اهو درخواست فارم ڪندو آهيان / ڪندو آهيان / قرض جو معاوضو / قبوليت جو خط ٻين دستاويزن ۽ اصطلاحن ۽ شرطن جي مواد کي پڙهي، آءٌ / اسان کي سنڌي زبان ۾ بيان ڪيو ويو آهي ۽ آئون / اسين تصديق ڪريون ٿا ته اسان ان کي سمجهون ٿا. آئون اهو ڪندس. آءٌ ته ڪري وٺون.
Tamil	☐	நான்/நாங்கள் இதை உறுதி செய்துகொள்கிறோம்/ அந்த விண்ணப்பப் படிவத்தை நான் செய்துகொள்கிறேன்/ செய்துகொள்கிறேன்/ கடன் ஒப்பந்தம்/ ஏற்புக் கடிதம் பிற ஆவணங்களில் உள்ள விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின் உள்ளடக்கங்களைப் படிப்பதன் மூலம், நான் / எங்களுக்குத் தமில் மொழியில் விளக்கப்பட்டுள்ளது, நாங்கள் அதைப் புரிந்துகொள்கிறோம் என்பதை நான் / நாங்கள் உறுதிப்படுத்துகிறோம். அதை நான் செய்யவேன். அதை செய்யலாம்.
Telugu	☐	నేను/మేం దీనిని దృవీకరిస్తున్నాం. నేను ఆ అప్లికేషన్ ఫార్మాన్ని చేస్తాను/చేస్తాను/ లోన్ కాంట్రాక్ట్ అంగీకార పత్రం/మామూలు ఇతర డాక్యుమెంట్లలోని నియమనిబంధనలలోనివిషయాలను చదవడం ద్వారా, నేను/మాకు తెలుగు భాషలో వివరించబడ్డాయి మరియు మేము దానిని అర్థం చేసుకున్నాముని నేను/మేము దృవీకరిస్తున్నాము. నేను చేస్తాను. మనం చేద్దాం.
Urdu	☐	ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں/ میں یہ درخواست فارم کرتا / کرتا ہوں / قرض کا معاوضہ / قبولیت کا خط دیگر دستاویزات میں شرائط و ضوابط کے مندرجات کو پڑھ کر مجھے اردو زبان میں سمجھایا گیا ہے اور ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہم اسے سمجھتے ہیں۔ میں یہ کروں گا۔ چلو یہ کرتے ہیں

उधारकर्ता के लिए नाम:	दस्ताखत देखिए।:
सह-उधारकर्ता के लिए 1 नाम:	दस्ताखत देखिए।:
सह-उधारकर्ता के लिए 2 नाम:	दस्ताखत देखिए।:
गारंटर के लिए नाम: NA	दस्ताखत देखिए।:
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के लिए इसके अधिकृत द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया हस्ताक्षरकर्ता/गठित अटॉर्नी नाम नामित बैंक के भीतर की ओर से	 दस्ताखत देखिए।

अस्वीकरण - कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त ऋण सुविधा समझौते, नियम और शर्तें, प्रमुख तथ्य विवरण और अन्य संबंधित दस्तावेजों का मूल दस्तावेज से अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है, ताकि ग्राहक की सुविधा के लिए और संचार में पारदर्शिता में सुधार हो सके। जिसमें कुछ विपथन, संक्षिप्तता और व्याकरण संबंधी त्रुटियां हो सकती हैं, इसलिए किसी भी कानूनी उद्देश्यों के लिए दस्तावेज के अंग्रेजी संस्करण (संलग्न) को संदर्भित किया जाएगा।

